REPORT OF

JOINT COMMITTEE ON THE
AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION)
BILL, 1978
(HINDI VERSION)

CB II
R34(1)

H4

507

सी० बी० (दो) संख्या 319

लोक सभा

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, (1978)

(संयुक्त समिति का प्रतिवेदन)

[18 मई, 1979 को प्रस्तुत किया गया]

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मई, 1979 /वैशाख, 1901 (शक)

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1978 सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का शुद्धि-पत्र.

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
(iv)		8	अटौसो	अटैचो
(vi)	12	3	संदद	संदर्भ
(vii)	(दो)	4	राज्य में	रूप में
(ix)	26(तीन)	5	बनाने	बनायें
(ix)	27(एक)	4	प्रदूजण	प्रदूषण
(x)	32	7	सुफाना	सुलफाना
(xviii)	-	9	डा० टौराका	डा० जी० टौरैका
(xix)	-	17	किवक्नाहट	चिकनाहट
(xix)	-	नीचे से 16	अमगरा	आगरा
(xx)	-	1	डीजल	डीजल इंजन
29	-	क्रमांक 12	(अनुपूरक 12(1))	अनुपूरक 10(2)
29	-	क्रमांक 13	पामा	भाभा
30	-	क्रमांक 47	फॉलूशन	पॉलूशन
34	4	3	नियमों	निगमों
41	-	अन्तिम पंक्ति	अवर सचिव	उप सचिव
46	-	10	चेयरमैं	चेयरमैन
54	-	अन्तिम पंक्ति	मख्यज्ञानिक	मुख्य वैज्ञानिक
65	9	1	यिमत	विमति
65	-	नीचे से पंक्ति 2-3	"अपितु विभिन्न पशुओं, वनस्पति सम्पत्ति और स्मारकों पर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है" का लोप किया जाये	
66	3	7	करने	रखने
69	-	अंतिम पंक्ति	संक्रिया	सहक्रिया
70	-	नीचे से 2	पड़े	पड़
71	(तीन)	3	आधृत	आधारित
72	-	22	तक	गत
74	9	5	जड़	ग्रेड
75	-	2	व्यव	व्यवस्था
75	-	20	कमी	कमी

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. संयुक्त समिति की रचना	(iii)
2. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(iv)
3. संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक . . .	1
परिशिष्ट एक--	
संयुक्त समिति को विधेयक भेजने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव .	27
परिशिष्ट दो--	
राज्य सभा में प्रस्ताव	28
परिशिष्ट तीन--	
उन एसोसिएशनों, संगठनों, व्यक्तियों इत्यादि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए । .	29
परिशिष्ट चार--	
विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और पर्यावरण विदों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया	32
परिशिष्ट पांच--	
संयुक्त समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश . . .	: :

1415 एल० एस०--1

वायु प्रदूषण निवारण तथा (नियंत्रण) विधेयक, 1978 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की रचना

डा० कर्ण सिंह —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पी० अन्बालागन
3. श्री मनोरंजन भक्त
4. श्री दिनेश जोरदार
5. श्री बी० पी० कदम
6. श्रीमती पार्वती कृष्णन
7. श्री एम० वी० कृष्णप्पा
8. श्री बी० पी० मण्डल
9. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
10. श्री आर० के० महालगी
11. श्री गोबिन्दराम मिरी
12. श्री नथुनी राम
13. श्री गणनाथ प्रधान
14. श्री आर० एन० राकेश
15. श्री राम किंकर
16. श्री राममूर्ति
17. श्री वसन्त साठे
18. श्री चिमनभाई एच० शुक्ल
19. श्री ए० सुन्ना साहिब
20. श्री सिकन्दर बख्त

राज्य सभा

21. श्री ए० आर० अन्तुले
22. प्रो० सौरेन्द्र भट्टाचार्य
23. श्री धर्म चन्द जैन
24. श्री गयूरअली खान
25. श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब
26. श्री लक्ष्मण महापात्र
27. श्री प्रेम मनोहर
28. श्री अजीत कुमार शर्मा

29. श्री त्रिलोकी सिंह

30. डा० रफीक जकारिया

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय--मुख्य विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती रमादेवी--संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री जगदीश्वर नारायण--सहायक विधायी परामर्शदाता
3. श्री पाडी कानी--अटोसी

निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरुल्ला--संयुक्त सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय
2. डा० निलय चौधरी--चेयरमैन, सेण्ट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ वाटर पौल्यूशन।
3. श्री बी० वी० रोतकर--सदस्य सचिव, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ वाटर पौल्यूशन।
4. श्री एस० टी० खरे--सलाहकार (पी एच ई ई) सी पी एच ई ई ओ।
5. श्री पी० एस० ए० सुन्दरम--उप-सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय।
6. श्री जे० एन० कालिया--अवर-सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि

श्री डी० के० विश्वास--प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1978 सम्बन्धी संयुक्त समिति

मैं, संयुक्त समिति, जिसे वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण तथा उपशमन के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से वायु प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिए बोर्डों की स्थापना के लिए, ऐसे बोर्डों को, उनसे सम्बन्धित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिये और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक†† सौंपा गया था, का सभापति समिति द्वारा, उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, समिति का यह प्रतिवेदन तथा समिति द्वारा यथा संशोधित रूप में विधेयक, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है, प्रस्तुत करता हू।

2. विधेयक 17 अप्रैल, 1978 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री श्री सिकन्दर बख्त द्वारा 25 जुलाई, 1978 को लोक सभा में पेश किया गया तथा स्वीकृत किया गया था (परिशिष्ट—एक)

3. राज्य सभा उक्त प्रस्ताव से 2 अगस्त, 1978 को सहमत हुई (परिशिष्ट—दो)।

4. राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना 4 अगस्त, 1978 को लोक सभा को दी गई।

5. समिति ने कुल मिला कर 13 बैठकें कीं।

6. समिति की पहली बैठक समिति का कार्यक्रम तैयार करने के लिये 30 अगस्त, 1978 को हुई। समिति ने राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, उद्योगों, श्रम संगठनों, नगर निगमों, पर्यावरण और प्रदूषण में अनुसन्धान से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के राज्य बोर्डों और प्रस्तावित विधान के विषय-वस्तु में रुचि रखने वाले अन्य संगठनों तथा व्यक्तिगत विशेषज्ञों से 23 सितम्बर, 1978 तक अपने विचारार्थ लिखित ज्ञापन मांगने का निर्णय किया। समिति ने इस सम्बन्ध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने और विधेयक के उपबन्धों पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य संगठनों आदि के विचार तथा सुझाव मांगने के लिए उन्हें पत्र लिखने का भी निर्णय किया। समिति ने 30 सितम्बर, 1978 को हुई अपनी बैठक में ज्ञापन भेजने का समय 20 अक्तूबर, 1978 तक बढ़ाया।

7. समिति को विभिन्न विशेषज्ञों, संगठनों और व्यक्तियों आदि से 86 ज्ञापन प्राप्त हुए जिनमें विधेयक के उपबन्धों के बारे में विचार/टिप्पणियां/सुझाव दिये गये हैं (परिशिष्ट—तीन)।

8. समिति ने 30 अगस्त, 1978 को हुई अपनी बैठक में वायु प्रदूषण की समस्याओं से अपने आपको अवगत कराने की दृष्टि से सारे देश में विभिन्न स्थानों का स्थल पर अध्ययन दौरा करने का भी निर्णय किया।

समिति ने अपने अध्ययन दौरे के प्रथम चरण में (एक) 30 सितम्बर, 1978 के अपराह्न में दिल्ली और उसके आस-पास, और (दो) 1 अक्तूबर, 1978 को मथुरा रिफाइनरी और आगरा में ताज महल का स्थल पर अध्ययन दौरा किया और सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा भी की।

समिति द्वारा 30 अगस्त, 1978 को हुई अपनी बैठक में बनाये गये निम्नलिखित 3 अध्ययन दलों ने 13 से 17 अक्तूबर, 1978 तक देश में विभिन्न स्थानों का दौरा किया और राज्य सरकारों के अधिकारियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की :

अध्ययन दल 'क' .	बम्बई, गोआ, बड़ौदा और अहमदाबाद।
अध्ययन दल 'ख' .	कानपुर, धनबाद, बोकारो और गौहाटी।
अध्ययन दल 'ग' .	कोचीन, कोयम्बटूर, मद्रास और बंगलौर।

समिति ने 9 नवम्बर, 1978 को वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीच्यूट, (दिल्ली विश्वविद्यालय) का भी निरीक्षण किया और वायु प्रदूषण तथा छाती के रोगों सम्बन्धी विषय पर संस्थान के निदेशक तथा अन्य प्रोफेसरों के साथ अनौपचारिक चर्चा की।

††भारत के असाधारण राज-पत्र, भाग—दो, खण्ड—दो, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित।

दिनांक 8 नवम्बर, 1978 को हुई अपनी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार समिति ने अध्ययन दल 'ख' को 15 और 16 नवम्बर, 1978 को कलकत्ता का स्थल पर अध्ययन दौरा करने की अनुमति दी जिसका वह पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण पहले दौरा नहीं कर सकी। अध्ययन दल ने सम्बन्धित प्राधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ भी अनौपचारिक चर्चा की।

9. दिनांक 2 जनवरी, 1979 को हुई अपनी बैठक में समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर मौखिक साक्ष्य लेने का निर्णय किया और इस प्रयोजनार्थ विभिन्न विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों आदि का चयन किया।

10. 1 से 3 फरवरी, 1979 को हुई अपनी बैठकों में समिति ने विभिन्न विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों आदि द्वारा दिया गया मौखिक साक्ष्य लिया। समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट चार पर है।

11. समिति का प्रतिवेदन 24 नवम्बर, 1978 तक पेश किया जाना था। समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये 2 बार समय बढ़ाया गया--पहली बार 22 नवम्बर, 1978 को बजट सत्र 1979 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अर्थात् 23 फरवरी, 1979, तक और दूसरी बार 21 फरवरी, 1979 के बजट सत्र 1979 के अन्तिम दिन तक समय बढ़ाया गया था।

12. 2 अप्रैल, 1979 को हुई अपनी बैठक में समिति ने निर्णय किया कि (एक) समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाये और (दो) समिति को प्राप्त ज्ञापनों म से प्रत्येक की दो प्रतियां, प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद, संसद सदस्यों के संदद के लिये संसद् ग्रन्थालय में रखी जायें।

13. समिति ने 2 से 4 अप्रैल, और 2 और 3 मई 1979 को हुई अपनी बैठकों में विधेयक पर खण्डवार विचार किया।

14. समिति ने 15 मई, 1979 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया।

15. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के बारे में समिति की टिप्पणियां अगले पैराग्राफों में बताई गई हैं।

16. **खण्ड 2**--समिति ने इस खण्ड में दी गई कतिपय शब्दावली की परिभाषा में इस प्रकार संशोधन किया है :--

(एक) 'वायु प्रदूषक'--समिति को बताया गया कि प्रभावित स्थानों से झाड़ने से वायु प्रदूषकों से भी जल प्रदूषित होता है जो अन्य जीवित प्राणियों अर्थात मछलियों के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकता है समिति का विचार है कि इस शब्दावली की और अधिक खुल कर परिभाषा की जानी चाहिए ताकि वायु प्रदूषकों द्वारा प्रभावित होने वाले सभी जीवित प्राणियों को शामिल किया जा सके।

इस खण्ड की मद (क) का तदनुसार संशोधन किया गया।

(दो) "अनुमोदित साधित्र" समिति ने नोट किया कि धुआं, गैस या कणाकार पदार्थों का सृजन करने या उनको खपत करने की कतिपय रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रयोग किये जाने वाले साधित्र वर्तमान परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। समिति महसूस करती है कि क्योंकि इन रासायनिक प्रक्रियाओं से वायु प्रदूषण होने की संभावना है अतः इन प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले साधित्रों को भी प्रस्तावित परिभाषा के अंतर्गत लाया जाना चाहिये।

इस खण्ड की मद (ग) का तदनुसार संशोधन किया गया।

17. **खण्ड 5**--समिति ने इस खण्ड में कतिपय संशोधन किये हैं और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण राज्य बोर्ड के पूर्णकालिक चेयरमैन के नामनिर्देशन के बारे में एक सामान्य सिफारिश की है जो इस प्रकार है :--

(एक) समिति ने नोट किया कि वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण राज्य बोर्ड का गठन करते समय श्रमिकों, जो कारखानों या औद्योगिक उपक्रमों के अन्दर होने वाले वायु प्रदूषण से मुख्यतः प्रभावित होते हैं, का प्रतिनिधि नहीं लिया गया है। समिति महसूस करती है कि राज्य सरकार को उक्त बोर्ड में विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी अधिकारियों का नामनिर्देशन करते समय राज्य में श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिकों के प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन पर भी विचार करना चाहिए।

इस खण्ड के उप-खण्ड (2) की मद (ख) का तदनुसार संशोधन किया गया।

(दो) समिति का यह मत है कि तकनीकी किस्म के इस प्रस्तावित विधान की कारगर कार्यान्विति सुनिश्चित करने तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए प्रस्तावित विधान के अधीन गठित किये जाने वाले राज्य बोर्ड में इस विषय के तकनीकी विशेषज्ञों को भी सदस्यों के राज्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अतः समिति का यह विचार है कि राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक बना दिया जाना चाहिए कि उक्त बोर्ड में वह कम से कम दो ऐसे सदस्य नामजद करे जिन्हें वायु की गुणवत्ता में सुधार अथवा वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अथवा उपशमन से संबंधित विषयों के बारे में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो।

तदनुसार इस खण्ड के उप-खण्ड (2) में एक परन्तुक जोड़ा गया है।

(तीन) समिति ने यह नोट किया है कि प्रस्तावित खण्ड के उपबन्धों के अधीन उन राज्यों में जहां जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 लागू नहीं है अथवा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य बोर्ड गठित नहीं किये गये हैं वहां राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण हेतु गठित किये जाने वाले राज्य बोर्ड के एक पूर्णकालिक या अंशकालिक चेयरमैन नामजद करने की वैवेकिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

समिति को यह बताया गया कि पूर्णकालिक चेयरमैन नियुक्त करने की स्थिति में पड़ने वाले खर्चे जिसको जुटाने में छोटे राज्यों को कठिनाई का अनुभव हो सकता है तथा इस क्षेत्र में अर्हता प्राप्त पटु व्यक्तियों के अभाव को देखते हुए पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति के लिए कोई आज्ञापक उपबंध कठिनाई पैदा कर सकता है। तथापि समिति का यह मत है कि प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों को सफलता-पूर्वक कार्यान्वित करने की दृष्टि से एक पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति वांछनीय है। अतः समिति का यह विचार है कि सरकार ऐसी राज्य सरकारों पर यह जोर देने की वांछनीयता पर विचार करे कि जहां तक संभव हो पूर्णकालिक चेयरमैन नामजद किया जाये।

18. **खण्ड** 7:—(एक) खण्ड 7 मुख्यरूप से बोर्ड के सदस्यों की सेवा की शर्तों के बारे में है तथा खण्ड (8) का उप खण्ड (2) बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किये जाने हेतु किसी सदस्य की अनर्हताओं के बारे में हैं। समिति का यह मत है कि किसी सदस्य को बोर्ड की सदस्यता से हटाये जाने को सदस्यों की सेवा की कोई शर्त मानना वांछनीय नहीं है और इसके अतिरिक्त इस संबंध में किसी संदिग्धता से बचने के लिए सदस्यों को बोर्ड की सदस्यता से हटाने संबंधी उपबंधों को विधेयक के खण्ड 8 के उपबंधों के अन्तर्गत लाना ज्यादा उपयुक्त होगा।

अतः खण्ड 7 के उपखण्ड (3) का लोप कर दिया गया है और खण्ड 8 के उपखण्ड (2) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(दो) समिति का यह विचार है कि वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण राज्य बोर्ड के चेयरमैन तथा सदस्य सचिव से भिन्न सदस्यों की अतिरिक्त सेवा की शर्तों की दो उपखण्डों के बजाये एक उपखण्ड में ही व्यवस्था की जाये।

अतः इस खण्ड के मूल उपखण्ड (8) और (9) को मिलाकर एक बना दिया गया है तथा उसकी संख्या बदलकर उप-खण्ड (7) कर दी गई है।

19. **खण्ड** 8—(एक) समिति का यह विचार है कि ऐसा व्यक्ति जिसने दुर्भावना रहित किसी कारणवश अपने ऋणों का भुगतान करना रोक दिया है अथवा अपने ऋणदाताओं के साथ कोई समझौता कर लिया है उसको प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत गठित वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण राज्य के सदस्य के रूप में नामजद किये जाने के लिये निरर्हित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार इस खण्ड के उप खण्ड (1) के मद (क) का संशोधन किया गया है।

(दो) समिति का यह विचार है कि इस प्रकार के बोर्ड के निर्णयों का रुख किसी एक तरफ न हो यह सुनिश्चित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका वायु की गुणवत्ता के सुधार अथवा वायु प्रदूषण आदि के नियंत्रण में काम में लाये जाने वाले किसी फर्म अथवा कम्पनी में प्रत्यक्ष रक्षा से अथवा परोक्षय रूप से कोई हित हो बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किये जाने के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को भी वायु की गुणवत्ता में सुधार अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु किसी ऐसी फर्म अथवा कम्पनी में जिसका इस प्रकार के बोर्ड अथवा किसी संबंधित राज्य सरकार अथवा राज्य के स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी उपकरण के साथ कोई ठेका हो किसी रूप में नियोजित हो बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किये जाने से विवर्जित किया जाना चाहिए ।

तदनुसार इस खण्ड के उपखण्ड (1) में नये मद (ङ) और (च) जोड़ दिये गये हैं ।

(तीन) इस खण्ड के उप-खण्ड (2) में किये गये संशोधित परिणामिक हैं ।

20. **खण्ड** 10—समिति का यह मत है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय वायु प्रदूषण तथा नियंत्रण बोर्ड तथा संबंधित राज्य सरकारों को नियमित समय अन्तराल से राज्य बोर्डों के कार्यकरण से अवगत कराया जाता रहे इस दृष्टि से संबंधित राज्य बोर्डों के लिए यह बाध्यकर बनाया जाना चाहिए कि वे अपनी बैठकों के कार्यवाही सारांश की प्रतियां केन्द्रीय बोर्ड तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजें ।

तदनुसार एक नया उपखण्ड (2) जोड़ दिया गया है और उसके परिणाम स्वरूप खण्ड 10 की संख्या बदलकर उसका उपखण्ड (1) कर दी गई है ।

21. **खण्ड** 11—समिति नोट करती है कि इस खण्ड के उपखण्ड (एक) के अधीन बोर्ड को उन समितियों सहित जिनमें पूरी तरह बाहर के व्यक्ति हों समितियां गठित करने की शक्ति दी गई है जो ऐसे कार्य करेंगी जो बोर्ड उन्हें सौंपे । समिति का यह विचार है कि बोर्ड के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिये बिना पूरी तरह बाहर के व्यक्ति लेकर समिति गठित करना वांछनीय नहीं है क्योंकि ऐसी समितियां उनको सौंपी जाने वाली समस्याओं अथवा कामों को नहीं समझ पायेंगी ।

अतः इस खण्ड के उपखण्ड (1) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।

22. **खण्ड** 14—समिति का यह विचार है कि प्रस्तावित विधान के अधीन गठित किये जाने वाले राज्य बोर्ड को भी अपनी परियोजनाओं अथवा स्कीमों को तैयार करने अथवा उनको निष्पादित करने के लिए समय-समय पर परामर्शदाताओं की सेवाओं की जरूरत पड़ सकती है । अतः समिति का यह मत है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12(4) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुरूप राज्य बोर्ड को इस प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों पर अर्हताप्राप्त (योग्य) व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए ।

तदनुसार इस खण्ड में नया खण्ड (5) जोड़ दिया गया है ।

23. **खण्ड** 15—समिति का यह मत है कि राज्य बोर्डों के कुशल ढंग से कार्य सम्पन्न करने तथा प्रस्तावित विधान के उपबन्धों की समुचित कार्यान्विति सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड को चेयरमैन तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाना चाहिए ।

तदनुसार खण्ड में संशोधन कर दिया गया है ।

24. **खण्ड** 17—(एक) समिति का यह विचार है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण तथा प्रशमन हेतु समय पर उपाय सुनिश्चित करने के लिए राज्य बोर्डों के लिए नियमित समय अन्तराल से ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करें और वहां पाई जाने वाली वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करे ।

तदनुसार इस खण्ड के उपखण्ड (1) में नया मद (च) जोड़ दिया गया है और विद्यमान मद (ज) से (ञ) की संख्या बलदकर (ज) से (ट) कर दी गई है ।

25. **खण्ड** 19—(एक) समिति का विचार है कि यह राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिये कि वह राज्य बोर्ड के साथ परामर्श के बाद राज्य के किसी क्षेत्र को जिस प्रकार वह आवश्यक समझे वायु प्रदुषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करे क्योंकि इस मामले में विस्तार में जाने की आवश्यकता है।

इस खंड के उपखंड (1) में संशोधन किया गया है तथा उसके उपखण्ड (2) का लोप किया गया है तथा अन्य उपखण्डों को तदनुसार पुनः संख्यांकित किया गया है ।

(दो) समिति ने नोट किया है कि इस खण्ड के प्रस्तावित उपबंधों के अधीन राज्य सरकार को उसमें उल्लिखित कुछ कार्यों को करने की शक्ति प्रदान की गई है । समिति का विचार है कि इस खण्ड के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्य सरकार को वायु प्रदूषण के निवारण

और नियंत्रण के लिये गठित किये जाने वाले राज्य बोर्डों जिनके नियंत्रण में तकनीकी विशेषता प्राप्त है अनिवार्य रूप से परामर्श लेना चाहिये। इस खण्ड के मूल उपखण्ड (4), (5) तथा (6) जिसमें खण्ड (3), (4), (5) के रूप में पुनः संख्याकित किया गया है का तदनुसार संशोधन किया गया है।

26. खण्ड 21—(एक) इस खण्ड के उपखण्ड (2) के परंतुक में किया गया संशोधन उसके उपखंड (4) में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप है।

(दो) समिति नोट करती है कि उपखण्ड (4) में यह उपबन्ध है कि यदि राज्य बोर्ड सहमति प्रदान करना अस्वीकार नहीं करता है या अस्वीकार करने पर वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी उद्योग के लिये किसी औद्योगिक संयंत्र के संचालन के निमित्त राज्य बोर्ड की सहमति के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् चार महीने के अन्दर आवेदक को अस्वीकार किये जाने की सूचना नहीं देता है तो सहमति के लिये आवेदन को स्वीकार कर लिया गया मान लिया जायेगा। समिति का विचार है कि यह अधिक वांछनीय होगा कि बोर्ड का यह कृत्य बना दिया जाये कि वह निश्चित रूप से चार महीने की अवधि में आवेदन पर सहमति प्रदान कर या सहमति प्रदान न करने के बारे में अंतिम निर्णय ले तथा उक्त निर्णय को आवेदक को सूचित कर दे।

इस खण्ड के उपखंड (4) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

(तीन) समिति ने नोट किया है कि इस खण्ड के उपखंड (5) की मद संख्या (एक) और (चार) के अधीन यह निर्धारित है कि नियंत्रण उपकरण तथा चिमनी के विशिष्ट विवरण राज्य बोर्ड द्वारा दिये जायेंगे। समिति का विचार है कि कई बार वास्तविक व्यवहार में बोर्ड के लिये विशिष्ट विवरण निर्धारित करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में समिति को आशंका है कि उद्योग इसका बहाना बनाने तथा उपकरणों को स्थापित ही न करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए समिति का विचार है कि निर्गमित होने वाले प्रदूषण पदार्थ की मात्रा निर्धारित स्तर तक रखने हेतु आवश्यक उचित नियंत्रण उपकरण का पता लगाने के लिये तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा उसके स्थापित किये जाने के पूर्व बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये यह बेहतर होगा कि उद्योग पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाये।

इस खंड के उपखंड (5) की मद (एक) तथा (चार) में तदनुसार संशोधन किया गया है।

(चार) समिति का यह भी विचार है कि वायु प्रदूषण की समस्या के स्वरूप तथा इस तथ्य को देखते हुये कि वर्तमान विधेयक पहली बार अधिनियमित किया जाना है, बोर्ड के सामने ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जिन पर निर्धारित शर्तों के अधीन पूर्णरूप से कार्यवाही की जा सके। इस लिये समिति का विचार है कि ऐसा उपबंध होना चाहिये जिससे कि बोर्ड जैसा आवश्यक समझे अनुमति प्रदान करते समय उद्योगों पर अन्य शर्तें लगा सके।

इस खंड के उपखंड (5) में तदनुसार मद संख्या (पांच) को जोड़ दिया गया है और मूल मद संख्या (पांच) को मद संख्या (छः) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया गया है।

(पांच) इस खंड में किए गए संशोधन परिणामिक प्रकार के है।

27. खण्ड 23-(एक) समिति का विचार है कि राज्य बोर्ड को तथा प्राधिकारियों को अथवा एजेंसियों को यदि यह उनकी जानकारी में आता है कि किसी भी वायु प्रदुषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी वायु प्रदुषक तत्व का वातावरण में निर्मगन निर्धारित मानक से अधिक हो रहा है अथवा उसके इस प्रकार की पुनरावृत्ति की आशंका है इस प्रकार के वायु प्रदूषण तत्वों के निर्गमन को कम करने के लिये आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने चाहियें।

इस खंड के उपखंड (2) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

(दो) समिति ने नोट किया है कि राज्य बोर्ड तथा प्राधिकारियों अथवा एजेंसियों के लिये जैसा कि निर्धारित किया जाये यह आवश्यक होता है कि ऐसे वायु प्रदूषक तत्वों के जिनके निर्धारित मानकों से अधिक होने की जानकारी दी जाये या जिनके अधिक होने की आशंका वातावरण में निर्गमन को कम करने के लिये, उपचारात्मक उपाय करे। समिति की राय है कि राज्य बोर्ड प्राधिकारियों अथवा एजेंसियों को संबंधित से उद्योग इस प्रकार के उपचारात्मक उपाय करने में किये गये व्यय को वसूल करने की शक्ति दी जानी चाहिये।

इस खंड में तदनुसार नया उस खंड (3) जोड़ दिया गया है।

28. खण्ड 24--समिति का विचार है कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य बोर्ड द्वारा किसी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति प्रस्तावित कानून के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा सौंपे गये अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक तथा बिना रोक टोक के कर सके उनके पास तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्तियां जैसी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अन्तर्विष्ट भी होनी चाहियें ।

इस खंड में नया उप-खंड (4) जोड़ दिया गया है ।

29. खण्ड 25 --इस खंड में किया गया संशोधन स्पष्टीकरण के स्वरूप का है ।

30. खण्ड 26 -- (एक) समिति को बताया गया है कि वायु के नमूनों को दो भागों में विभक्त करने संबंधी इस खंड में किया गया उपबन्ध का प्रारूप जल (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 21 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के नमूने पर तैयार किया गया है । तत्पश्चात् समिति को यह भी बताया गया है कि इस मामले पर विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई थी । जिन्होंने वायु के नमूनों को विभक्त करने के संबंध में आशंकायें व्यक्त की थीं । उन्होंने बताया था कि वायु के नमूनों के विभक्त करने में बहुत अधिक तकनीकी बाधाएं हैं । उन्होंने यह भी बताया था कि क्रमिक रूप से नमूना एकत्र करना या विभिन्न नमूना एकत्र करना या समान स्थितियों में विभिन्न नमूना एकत्र करना तकनीकी दृष्टि से दोष रहित नहीं है । उक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये समिति का यह निष्कर्ष है कि कानूनी प्रमाण के प्रयोजन के लिये केवल एक नमूना एकत्र किया जाना चाहिये और उसे दो भागों में विभक्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

तदनुसार इस खण्ड के उप-खण्ड (3) की मद (ख) में संशोधन किया गया है ।

(दो) ऊपर सुझाये गये संशोधन के परिणामस्वरूप इस खंड में किये गये अन्य संशोधन या तो पारिणामिक या स्पष्टीकरण के स्वरूप है ।

31. खण्ड 27 --इस खंड में किये गये संशोधन पारिणामिक हैं ।

32. खण्ड 28 --समिति ने नोट किया है कि विद्यमान खण्ड में केवल एक राज्य वायु प्रयोग शाला स्थापित करने अथवा निर्दिष्ट करने का उपबन्ध है । समिति को बताया गया है कि नमूना एकत्र करने के पश्चात् वायु के नमूनों की तत्काल जांच और विश्लेषण करने होते है । क्योंकि अन्य या उनके परिवहन में या अन्य किसी कारण से विलम्ब से नमूना खराब हो जायेगा । और नमूने की जांच करने का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जायेगा । ऐसा होने पर समिति का विचार है कि राज्य स्तर की किसी एक प्रयोगशाला के लिये चाहे वह कितनी अच्छे प्रकार के उपकरणों से सज्जित हों इस समस्या को कारगर ढंग से सुझाना संभव नहीं होगा । इसलिये समिति का विचार है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये एक से अधिक राज्य वायु प्रयोग शाला की आवश्यकता होगी । तदनुसार इस के उपखंड खंड (एक) में संशोधन किया गया है ।

33. खण्ड 32 और 33 --समिति को यह बताया गया कि जल (प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की संगत धाराओं में संशोधन कर दिया गया है और खण्ड 32 के परन्तुक तथा खण्ड के उप-खंड 3 में किये गये उपबंधों को उन उपबंधों के अनुरूप बनाया जाये ।

अतः खण्ड 32 के परन्तुक तथा खण्ड 33 के उपखण्ड (3) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।

34. खण्ड 35--इस खण्ड के उपखण्ड (1) और (2) में लिये गये संशोधन मौखिक हैं ।

35. खण्ड 37--समिति की यह राय है कि चूंकि वायु प्रदूषक तत्वों के मानव, स्वास्थ्य, तथा पशुजीवन, बनस्पति तथा सम्पति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्रस्तावित विधान के उद्देश्य अर्थात वायु प्रदूषक तत्वों का निवारण, नियंत्रण तथा प्रशमन तब तक किया जाना संभव नहीं है जब तक कि प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले निदेशों अथवा आदेशों का

उल्लंघन करने की स्थिति में निवारक (कठोर) दण्ड की व्यवस्था न हो। समिति का यह भी विचार है कि इन आदेशों अथवा निदेशों का पालन न करने की स्थिति में कारावास का भय प्रस्तावित विधेयक में उपबंधों की कारगर कार्यान्विति सुनिश्चित करने में और भी सहायक होगा।

तदनुसार इस खण्ड के उपखण्ड (1) में संशोधन कर दिया गया है।

36. खण्ड 38—इस खण्ड में किये गये संशोधन पारिणामिक तथा मौखिक हैं।

37. खण्ड 40—इस खण्ड में किया गया संशोधन स्पष्टीकरण संबंधी है।

38. खण्ड 41—समिति ने यह नोट किया है कि यद्यपि संबधित सरकारी विभाग द्वारा किये गये अपराध के लिए विभाग प्रमुख को दण्ड का भागीदार बनाया गया है किन्तु यदि उक्त विभाग प्रमुख अपनी निर्दोषता सिद्ध कर देता है, तो स्पष्टतया ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं बचा रहता जिस पर कि यह जिम्मेदारी डाली जाये। समिति का यह मत है कि जब कोई अपराध कर दिया गया है तो विभाग के किसी अन्य ऐसे अधिकारी पर उसकी जिम्मेदारी अवश्य डाली जानी चाहिये। जिसकी मर्जी अथवा सांठ-गांठ अथवा लापरवाही से यह अपराध किया गया हो।

तदनुसार इस खण्ड में उप-खण्ड (2) जोड़ा गया है और खण्ड 41 की संख्या बदल कर खंड 41 का उपखण्ड (1) कर दी गई है।

39. खण्ड 47.—समिति ने यह नोट किया है कि राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी राज्य बोर्ड द्वारा अपने कृत्यों के संपादन में निरन्तर चूक किये जाने या फिर जनहित में राज्य बोर्ड को एक वर्ष के लिए निष्प्रभावी कर सकती है। समिति का यह विचार है कि निष्प्रभावी बनाने हेतु एक वर्ष की जो अवधि रखी गई है वह बहुत लम्बी है और वह प्रस्तावित विधान की कारगर सबसे क्रियान्विति में बाधा उत्पन्न करेगी। अतः समिति का यह मत है कि निष्प्रभावी बनाने की अवधि छः महीने से अधिक नहीं होनी चाहिये विशेषकर उस समय जबकि राज्य सरकार निष्प्रभावी बनाने की अवधि छः महीने और बढ़ा सकती है।

तदनुसार इस खण्ड के उपखण्ड (1) में संशोधन कर दिया गया है।

40. खण्ड 50—समिति का यह विचार है कि प्रस्तावित विधेयक की अनुसूची में किये जाने वाले परिवर्तनों के बारे में संसद को जानकारी दी जाती रहे यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी जानी चाहिए।

तदनुसार इस खण्ड में उपखण्ड (2) जोड़ दिया गया और खण्ड 50 की संख्या बदल कर खण्ड 50 का उप-खण्ड (1) कर दी गई है।

41. खण्ड 53 और 54—इन खण्डों में किये गये संशोधन औपचारिक तथा पारिणामिक हैं।

42. अनुसूची—समिति का यह मत है कि एसबैटोज, मिनिंग (ओटाई) पल्प (लुगदी) तथा कागज उद्योग भी वातावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण है और इनको प्रस्तावित विधेयक की परिधि में लाया जाना चाहिए।

तदनुसार विधेयक के अनुसूची में संशोधन कर दिया गया है।

43. खण्ड 1—इस खण्ड में किया गया संशोधन औपचारिक है।

44. अधिनियम सूत्र—अधिनियम सूत्र में किया गया संशोधन औपचारिक है।

45. संयुक्त समिति यह सिफारिश करती है कि विधेयक को यथा संशोधित रूप से पारित किया जाये।

सामान्य सिफारिशें

वायु प्रदूषण जोकि बढ़ते हुए औद्योगीकरण तथा अन्य कारणों के परिणामस्वरूप निरन्तर बढ़ता जा रहा है, की समस्या के विभिन्न पहलुओं से अपने आपको अवगत करने तथा वायु की गुणवत्ता को बनाये रखने तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए आवश्यक उपायों, जिनकी कि प्रस्तावित विधेयक में परिकल्पना की गई है, का पता लगाने के लिए संयुक्त समिति ने सम्पूर्ण देश में विभिन्न स्थानों के अध्ययन दौरे किये। इन अध्ययन दौरों के दौरान समिति ने संबंधित प्राधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की कार्यान्विति के लिए जिम्मेदार उन लोगों से अनौपचारिक वार्ता की जिनसे प्रस्तावित विधान के उपबंधों के अन्तर्गत वायु प्रदूषण के बारे में अतिरिक्त कार्य करने की आशा की जाती है। समिति ने विभिन्न वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों तथा इस विषय पर अन्य विशेषज्ञों के विचार भी जाने ।

2. समिति यह नोट करती है कि यद्यपि गत कुछ दशकों के दौरान हुई तीव्र नगरीकरण, भारी औद्योगीकरण तथा आर्थिक और औद्योगिकी की घटनाओं से लाखों करोड़ों नागरिकों को लाभ पहुंचा है, किन्तु ये लाभ देश के वास्तविक पर्यावरण को महंगे पड़े हैं। समिति यह भी नोट करती है कि वायु प्रदूषण की समस्याएं विभिन्न कारणों, विशेषकर तीव्र उद्योगीकरण, वनों के काटे जाने, बढ़ते हुए यातायात, तापन, घरेलू ईधन, कूड़ाकरकट तलछट के जलाने, धूम्रपान तथा इसी तरह की चीजों से हाल ही के वर्षों में सारे विश्व भर में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। शोर प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, और इन सब का मानव स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु विभिन्न प्रकार के जीवजुन्तुओं वनस्पति, सम्पत्ति तथा स्मारकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समिति ने यह भी नोट किया है कि देश में इस समस्या के प्रति सामान्य जागरूकता के आभाव से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के विद्यमान उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार तंत्र को न्यून प्राथमिकता दिये जाने के कारण अपर्याप्त धन संबंधी साधनों की वजह से भारत में यह समस्या और गंभीर होती जा रही है।

3. प्रस्तावित विधान के उपबन्धों पर विचार करने के बाद समिति का यह विचार बना है कि विधेयक के प्रस्तावित उपबंध वायु प्रदूषण की समस्या को पूरी तरह से हल करने की दृष्टि से अपर्याप्त हैं। समिति यह मानती है कि व्यापक परिवर्तनों का सुझाव देने का तात्पर्य वर्तमान विधेयक के क्षेत्र से बाहर जाना होगा।

किन्तु इस विषय के महत्व को देखते हुए तथा हमारे देशवासियों के व्यापक कल्याण की दृष्टि से समिति ने वर्तमान विधान के बारे में सुनिर्दिष्ट सुझाव देने के अतिरिक्त सरकार के विचारार्थ कुछ सामान्य सिफारिशें करने का निश्चय किया है। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

1. पर्यावरण संबंधी शिक्षा

समिति को बताया गया कि तकनीकी संस्थानों से आने वाले इंजीनियरों को पर्यावरण की अवधारण की समुचित जानकारी नहीं दी जाती, परिणामत: विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं की रूपरेखा बनाने वाले व्यक्ति इस बात का पूरी तरह ध्यान नहीं रखते कि अपद्रव्यों के रूप में निकलने वाले पदार्थों से पर्यावरण कितना अधिक दूषित हो सकता है, साथ ही सामान्य शिक्षा प्रणाली में भी पर्यावरण के महत्व के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती, समिति इस बात से अवगत है कि यद्यपि पर्यावरण विज्ञान एक नया विज्ञान है, तथापि इसका महत्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और देश को विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों की अधिकाधिक आवश्यकता होगी। समिति का विचार है कि विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण बातों को शामिल करके देश की शिक्षा प्रणाली को समृद्ध बनाया जाना चाहिए।

समिति यह देख कर प्रसन्न है कि कम से कम एक राज्य महाराष्ट्र, में इस दिशा में पहल की जा चुकी है और वहां शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों में पर्यावरण के विषय को शामिल कर लिया गया है।

प्रदूषण के खतरों को देखते हुए तथा आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समिति की राय है कि सरकार राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी शिक्षा प्रणालियों में पर्यावरण का विषय

शामिल करने की वांछनीयता पर विचार करें। पर्यावरण का यह विषय स्कूल कक्षाओं में सामान्य शिक्षा के रूप में, स्नातक पूर्व स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में; स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष अध्ययन के रूप में; तथा तकनीकी शिक्षा में पर्यावरण इंजीनियरी के रूप में शामिल किया जा सकता है। चूंकि शिक्षा राज्य-सूची का विषय है अतएव सरकार राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए इस विषय के विशेषज्ञों के परामर्श से इस संबंध में नीति तैयार करे ताकि राज्य सरकारें अपने पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकें। इसे प्रस्तावित नयी शिक्षा-नीति का अभिन्न अंग बनना चाहिए।

2. वायु-प्रदूषण प्रयोगशालाओं का विकास

समिति नोट करती है कि प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत राज्य वायु प्रयोगशालाओं की स्थापना का उपबन्ध है। समिति को बताया गया कि वायु-प्रदूषकों के नमूनों का संकलन और उनका विश्लेषण दोनों कार्य उसी क्षेत्र में किये जाने होते हैं तथा कुछ वायु-प्रदूषकों के मामले में जहां घनत्व बहुत कम है अथवा जिन्हें कम किया जा सकता है उनका मापन उसी स्थान पर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य स्तर पर केवल एक ही प्रयोगशाला, चाहे वह कितनी ही साधन सम्पन्न क्यों न हो, इस समस्या को कारगर ढंग से हल नहीं कर सकती। समिति को यह भी बताया गया कि इस समय वायु-प्रदूषण के क्षेत्र में तकनीकि दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ तत्काल उपलब्ध नहीं है। समिति की राय है कि प्रस्तावित विधेयक के समुचित प्रवर्तन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक होगा कि नयी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के अतिरिक्त देश में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की संभाव्यता पर विचार किया जाये। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(1) प्रशिक्षण के लिए :

पर्यावरण विज्ञान केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; विठलभाई पटेल चेस्ट इन्स्टिट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरी संस्थान, नागपुर, नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ आक्युपेशनल हेल्थ, अहमदाबाद; लेबर इन्स्टिट्यूट बम्बई, और भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर।

(2) वायु-प्रदूषण नियंत्रण कार्य के लिए

राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरी संस्थान, नागपुर, नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ आक्युपेशन हेल्थ, अहमदाबाद और लेबर इन्स्टिटयूट, बम्बई ; और

(3) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, पांच भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर तथा वर्तमान जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) बोर्डों से सम्बद्ध प्रयोगशालायें।

समिति को बताया गया कि वायु-प्रदूषण प्रयोगशालाय, देश में विभिन्न चिकित्सा अनुसंधान संस्थाओं तथा मेडिकल कालेजों को पूरक अनुदान देकर भी स्थापित की जा सकती है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

3. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने से संबंधित समस्यायें

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के साथ अनौपचारिक चर्चा के दौरान समिति को बताया गया कि इस अधिनियम के प्रभावी ढंग से प्रवर्तन और क्रियान्वयन में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में

तकनीकि सक्षमता का अभाव है और विभाग भी सदैव कुछ किस्म के उद्योगों को उचित सलाह देने के लिए पर्याप्त रूप से समर्थ नहीं होते क्योंकि विभागों में तकनीकी स्कंध बहुत कम हैं। साथ ही विशेषकर छोटे उद्योगों के मामले में इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करना उनके लिए कठिन हो रहा है क्यों कि ये उद्योग वायु-प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक महंगी मशीनें और उपकरण लगाने में असमर्थ हैं और ये उपकरण आम तौर पर देश में उपलब्ध नहीं है।

समिति का यह दृढ़ विचार है कि कानून बनाकर पर्यावरण प्रदूषण के किसी भी पक्ष के निवारण और नियंत्रण के लिए कोई अभिकरण बना देना ही तब तक उपयोगी नहीं हो सकता जब तक कि अधिनियमों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था और विशेषज्ञता के निर्माण को समुचित प्राथमिकता नहीं दी जाती। अतः समिति की राय है कि प्रस्तावित विधान के समुचित प्रवर्तन और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये सरकार निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाने की वांछनीयता पर विचार करे :

(1) तकनीकि कार्मिकों के लिए दीर्घ-कालिक और अल्प-कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना;

(2) संबंधित विभागों को पर्याप्त धन देकर उनके समुचित कार्यचालन के लिए उनको मजबूत बनाना;

(3) जब तक वायु-प्रदूषकों पर नियंत्रण रखने वाले उपकरण और मशीनें देश में उपलब्ध नहीं होती तब तक उनके आयात और वितरण की व्यवस्था करना;

(4) देश में पर्याप्त अनुसंधान और विकास कार्यों की व्यवस्था करना ताकि हम इस क्षेत्र में शीघ्र ही आत्म निर्भर हो सकें ;

(5) इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जायें जिनके अन्तर्गत विद्यमान उद्योगों द्वारा अधिनियम के उपबंधों का पालन किये जाने के लिये कुछ सीमा निर्धारित की जाये; और

(6) प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण और मशीनें लगाने हेतु छोटे उद्योगों को राजसहायता/सहायता प्रदान करने के लिए एक निधि बनाना। प्रोत्साहन के रूप में उद्योगों को उपकर अथवा करों में कुछ छूट भी दी जाये।

समिति को यह अच्छी तरह से मालूम है कि भारत जैसे विकासशील देश में जिसने औद्योगिकीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया है, अधिक कठोर और वास्तविक प्रदूषण विरोधी उपाय न तो व्यवहार्य हैं और न ही वे देश के आर्थिक विकास में सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक चरणबद्ध ढंग से निष्पादित किये जाने की आवश्यकता है ताकि एक ओर उद्योगों, जो कि देश के विकास के लिए अत्यावश्यक हैं, के विकास में अनावश्यक रूप से रुकावट न आये और दूसरी ओर हानिकारक प्रभाव डालने वाले प्रदूषणों पर पर्याप्त नियंत्रण किया जा सके। समिति का विचार है कि इस दिशा में व्यापक बहु माध्यम लोक शिक्षा अभियान के जरिये राष्ट्रीय चेतना पैदा करके इस कानून के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आम नागरिक को पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया जाये ताकि वह व्यापक सामाजिक हित में क्रियाचयन प्राधिकारियों को समझदारी के साथ अपना सहयोग दे सकें।

4. शोर-प्रदूषण

समिति को सूचित किया गया कि उद्योगों, मोटर वाहनों, वायुयानों, ध्वनिविस्तारकों तथा अन्य यंत्रों जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न शोर से प्रायः सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है। कुछ मामलों में कारखानों के भीतर होने वाले शोर से औद्योगिक श्रमिक बहरे हो सकते हैं और उनका बहरापन दूर नहीं किया जा सकता। चूंकि शोर वायु के माध्यम से आगे बढ़ता है इसलिए ऐसी धारणा है कि शोर को भिन्न कणयुक्त पदार्थ या सल्फरडाई आक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों की तरह

एक प्रदूषक माना जाना चाहिए । अतएव शोर को प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए ।

निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा इस पहलू पर कि क्या शोर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रस्तावित कानून के क्षेत्राधिकार में लाया जा सकता है, विचार करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों में दूसरे विचार को यह धारणा व्यक्त की है कि शोर प्रदूषण का प्रभाव केवल भौतिक है न कि रासायनिक जैसा कि वायु प्रदूषणों के मामले में होता है । उनके अनुसार शोर से वायु के स्वरूप तथा उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता । यह क्षणिक होता है वायु के माध्यम से आगे बढ़ता है और शोर पैदा करने वाले स्रोत के रुकते ही शोर समाप्त हो जाता है । इसमें संदेह नहीं कि यह एक तात्कालिक अप्रदूषण है किन्तु इसका वायुमण्डल पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव नही पड़ता अतः सामान्य वायु प्रदूषकों के साथ इसकी तुलना किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

कानूनी दृष्टि से समिति को सूचित किया गया कि शोर प्रदूषण की संभावना बहुत अधिक है । शोर प्रदूषण का स्रोत चाहे कोई भी हो उससे सदैव सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है । शोर प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से संबंधित कानून राज्य सूची की प्रविष्टि 6 में दिये गये विषय "सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता" के अन्तर्गत आयेगा । "सार्वजनिक स्वास्थ्य" शब्द बहुत व्यापक है जिनके अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा तंदरुस्ती को हानि पहुंचाने वाले सभी प्रकार के तत्व आ जाते हैं । अतः जहां तक शोर प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संबंधी कानून का संबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य से है उसे केवल राज्य विधानमण्डल द्वारा ही बनाया जा सकता है । तथापि संसद् भी संविधान के अनुच्छेद 252 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ऐसा कानून बनाने के लिए सक्षम है ।

समिति इस तथ्य से अवगत है कि आज की दुनिया में उन्नति प्रौद्योगिकी से बने सामान और सेवाओं की मांग निरन्तर बढ़ रही है । एक ओर जहां आधुनिक प्रौद्योगिकी लोगों को सुख-सुविधाएं प्रदान करती है वहीं दूसरी ओर उससे प्रायः सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हानिकारिक प्रभाव पड़ता है । प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर उद्योगों, परिवहन तथा ध्वनी पैदा करने वाली मशीनों के क्षेत्र में हुई वैज्ञानिक प्रगति से खासकर उन लोगों के लिए जो भीड़ भरे शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, शोर का खतरा और बढ़ गया है । समिति ने यह भी नोट किया है कि इस दशक में लोगों में शोर के संबंध में निरन्तर चिंता बढ़ रही है ।

समिति का विचार है कि चूंकि देश में शोर-प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है इसलिए यह उचित तथा वांछनीय होगा कि केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिये कदम उठाये जायें । अतः समिति की यह राय है कि सरकार देश में शोर-प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिये केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा उपयुक्त कानून बनाने की वांछनीयता पर विचार करे ।

5. व्यापक कानून तथा समन्वय तंत्र की स्थापना

विचार-विमर्श के दौरान समिति को सूचित किया गया कि विद्यमान जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रचालन में अनेक कमियां और संगठनात्मक कठिनाइयां हैं यद्यपि अधिनियम चार वर्ष से अधिक समय से प्रवर्तमान है फिर भी देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें से अभी तक जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित नहीं किये गये हैं । वहां वे प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं । इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने की दिशा में कम प्रगति हुई है ।

पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच करने के पश्चात् समिति का यह विचार है कि समस्त देश में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रति समान दृष्टिकोण रखने तथा उनका कड़ाई से अनपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार एक व्यापक कानून बनाने की व्यवहार्यता पर विचार करे ताकि उसमें सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए व्यवस्था की जा सके । कानूनी दृष्टि से भी समिति को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण जिसमें जल, वायु और शोर प्रदूषण सम्मिलित हैं, के निवारण के लिए संसद ऐसा व्यापक कानून बनाने के लिए सक्षम है ।

समिति का यह भी विचार है कि संयुक्त राज्य अमरीका की भांति जहां कि केन्द्रीय स्तर पर एक ही पर्यावरण निवारण एजेंसी है तथा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं सरकार केन्द्र में एक ऐसा पर्यावरण मंत्रालय अथवा विभाग स्थापित करने के बारे में विचार करे जो कि प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा तथा विभिन्न बोर्डों अर्थात् जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शोर-प्रदूषण बोर्ड के बीच समन्वय रखेगा । राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजना तथा समन्वय समिति को भी सक्रिय बनाया जाये ताकि वह योजना आयोग के जो समिति से पर्यावरण के पहलुओं के बारे में सलाह ले । निकट समन्वय से प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करने में केन्द्रीय भूमिका निभा सके ।

समिति का यह भी विचार है कि विभिन्न बोर्डों के कार्यचालन में दोहराव तथा परस्परव्याप्ति न होने देने की दृष्टि से प्रयोगशालायें, तकनीकी विशेषज्ञता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सामान्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कोई युक्ति निकाली जाये ।

6. सिगरेट धूम्रपान विरोधी विधान की क्रियान्विति

वायु प्रदूषण की जहां तक इसका मानव स्वास्थ्य से संबंध है बुरा प्रभाव श्वास नलियों तथा फेफड़ों पर मुख्यतः पड़ता है । कार्बनिक तथा अकार्बनिक धूल तथा सल्फर डायऑक्साइड जैसी गैस को सूंघने से फेफड़ों को क्षति पहुंचती है और ये शरीर में जलन पैदा करती है । धूम्रपान करने वालों पर प्रायः इसका बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि धूम्रपान से अन्य प्रकार के प्रदूषण फैलने में सहायता मिलती है । समिति को बताया गया है कि सिगरेट पीना एक खतरनाक आदत है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर सिद्ध हो सकता है । सतत धूम्रपान से क्रानिक ब्रोनकाइटिस, पेप्टिक अल्सर, स्टोमक अपसेट, कोरोनरी हृदय रोग, हाइपरटेंशन और लंग कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं । सतत चिकित्सा अनुसंधान को विश्वव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययन से पता चलता है कि सिगरेट पीने से कोरोनरी हृदय रोग का खतरा तीन गुणा बढ़ जाता है । महिलाओं द्वारा धूम्रपान और भी अधिक चिन्ताजनक है । यदि एक गर्भवती स्त्री एक दिन में 10 सिगरेट पीती है तो बच्चे के पैदा होने से पूर्व या शैशवावस्था के पहले चार सप्ताह में धूम्रपान न करने वाली माता की तुलना में उसके बच्चे के मर जाने के अधिक अवसर हैं । यदि बच्चा बच जाता है तो धूम्रपान न करने वाली माता के बच्चों की तुलना में उसके अपने आरंभिक स्कूल काल में अपने सहपाठियों से पढ़ने की योग्यता और सामाजिक सामंजस्य में बहुत पीछे रहने की काफी संभावना है ।

समिति को यह मालूम है कि सरकार ने सिगरेट उत्पादन, सप्लाई तथा वितरण विनियम (अधिनियम) 1975 का अधिनियमन करके सिगरेट धूम्रपान के विरुद्ध कतिपय कदम उठाये हैं । परन्तु उसे यह जानकर भारी चिंता हुई है कि यह अधिनियम सिगरेट धूम्रपान की आदत को रोकने में अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है । क्योंकि स्पष्टतया दिन प्रतिदिन मांग की पूर्ति के लिये बाजार में भिन्न प्रकार के सिगरेटों की सदैव भरमार होती है और नवयुवकों को धूम्रपान के लिये आकर्षित करने तथा प्रेरित करने के लिये विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा फिल्मों में मोहक संदेश विज्ञापनों में सदैव दिये जाते हैं ।

समिति की राय है कि जब तक इस दिशा में कुछ और कारगर कदम नहीं उठाये जाते तब तक सिगरेट के धूम्रपान की आदत को रोका नहीं जा सकता और वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सिगरेट के पैकटों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी छापकर सिगरेटों की खपत में व्यावहारिक रूप से कोई कमी नहीं की जा सकती । यहां तक कि सिगरेट के पैकटों पर चेतावनी लिखित पाठ में एक चिन्ह और लगाने या उस पर एक चित्र छापने, जो सिगरेट निर्माता संघ के विचाराधीन बताया गया है, से वांछित परिणाम प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी ।

अतः समिति यह महसूस करती है कि सिगरेट के धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले खतरों के संदर्भ में धूम्रपान की आदत को सामान्य करने के लिये सरकार निम्नलिखित और कदम उठाने की व्यावहारिकता पर विचार करें :—

(एक) तम्बाकू में निकोटीन की मात्रा को कानूनन कम करना,

(दो) सिगरेटों के धूम्रपान को बढ़ावा देने वाले मोहक संदेशों या चित्रों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध,

(तीन) सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से धूम्रपान से होने वाले खतरों के बारे में जन प्रचार अभियान,

(चार) औद्योगिक संस्थानों को धूम्रपान के खतरों से अपने कर्मचारियों को अवगत कराने के लिये विवश किया जाये.

(पांच) सभी स्तरों पर शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों में धूम्रपान तथा स्वास्थ्य पर उसके बुरे प्रभाव संबंधी एक अध्याय शामिल किया जाये, और

(छः) सभी बन्द क्षेत्रों और जन उपयोगी सेवाओं के अन्य स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबन्ध।

7. मथुरा रिफाइनरी और ताज महल

प्रस्तावित विधेयक के प्रभावों को समझने के लिये देश के विभिन्न स्थानों का अध्ययन दौरा करते समय समिति ने मथुरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी और आगरा के ताजमहल का विशेष दौरा किया ताकि विश्व प्रसिद्ध इस स्मारक पर वायु प्रदूषकों के वर्तमान प्रभाव तथा रिफाइनरी से निकले वायु प्रदूषकों के भावी प्रभावों का अध्ययन किया जा सके। समिति को यह मालूम है कि ताजमहल पर रिफाइनरी से निकले वायु प्रदूषकों के भावी प्रभावों के बारे में उठाया गया विवाद प्रस्तावित विधेयक के क्षेत्राधिकार में पूरी तरह नहीं आता है। परन्तु इस मामले में देश तथा विदेशो में भारी जनरुचि पैदा हो गई है और यह हमारे समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा के मूल्यवान पहलू से संबंधित हैं तथापि समिति अपने विचाराधीन प्रस्तावित विधान के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का भारी महत्व समझती है।

समिति को बताया गया कि डा० एस० बरदाराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति जो पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा जुलाई 1974 में वायु प्रदूषण को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिये उठाये जाने वाले उपायों के बारे में परियोजना प्राधिकारियों को परामर्श देने के लिये गठित की गई थी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया :—

(एक) आगरा क्षेत्र में विशेषकर आगरा किला और ताजमहल के निकट सल्फर डायआक्साइड और कणाकार पदार्थ से प्रदूषण की मात्रा काफी अधिक है। प्रदूषण के सभी सम्भाव्य स्रोत सभी कोयला उपभोक्ता जिनमें दो विद्युत संयंत्र शामिल हैं लगभग 250 फाउन्ड्री सहित उद्योग और रेलवे शंटिंग यार्ड है जिनमें प्रतिदिन क्रमशः 1100 मीटरी टन, 2000 से 3000 मीटरी टन और 40 से 50 मीटरी टन कोयला का उपयोग होता है ।

(दो) भारतीय तेल निगम के अनुमान के अनुसार सल्फर डायआक्साइड की कुल मात्रा प्रतिघन्टा एक मीटरी तक सीमित होगी ।

(तीन) भारतीय मौसम विभाग द्वारा किये गये विकिरण अध्ययनों और मैसर्स टेकनीकी (इटली की एक फर्म) और नेशनल इंवायरमेंटल इंजीनियरि रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किये गये निरीक्षणों पर आधारित अनुमानों के अनुसार आगरा में दीर्घकालीन सल्फर डायआक्साइड के जमाव की मात्रा प्रतिघन मीटर 15 से 20 माइक्रोग्राम के वर्तमान स्तर की तुलना में प्रतिघन मीटर एक से दो माइक्रोग्राम होगी। सर्दी में मौसम के अत्यन्त खराब होने की स्थिति में अल्प कालीन (एक घन्टा) जमाव की मात्रा प्रतिघन मीटर 65 माइक्रोग्राम होगी ।

(चार) आगरा में प्रदुषण के वर्तमान स्तर को कम करने के लिये तुरंत प्रभावी कदम उठाये जाने चाहियें ।

(पांच) यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि रिफाइनरी के फलस्वरूप आगरा में सल्फर डायआक्साइड स्तर में दीर्घकाल में वास्तविक योगदान प्रतिघन मीटर 2 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होगा ।

विशेषज्ञ समिति ने आगरा में मूल्यवान स्मारकों विशेषकर ताजमहल के संरक्षण के लिये गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए शीघ्र क्रियान्वयन के लिये सरकार के विचारार्थ अनेक सिफारिशें कीं ताकि प्रदूषण के वर्तमान स्तर को कम किया जा सके और प्रदूषण के किसी भावी स्रोत को रोका जा सके इसने विशिष्ट रूप से यह भी बताया कि प्रदूषकों या किसी अन्य कारण से भावी खतरे के स्मारकों का संरक्षण सुरक्षित करने के लिये सतत अध्ययन तथा जांच की भारी आवश्यकता है।

समिति को यह भी बताया गया कि मैसर्स टैकनिको की रिपोर्ट के अनुसार संगमरमर तथा भुरभुरे बलुआ पत्थर में क्षय होना आरम्भ हो चुका है। यह बताया गया है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जांच रोम स्थित सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण और पुनरुद्धार के अध्ययन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के सहायक निदेशक डाक्टर टोराका द्वारा भी की गई थी कि ताजमहल जैसी इमारत के लिये एक प्रतिशत जोखिम भी बहुत अधिक है।

समिति को इस विषय के सम्बन्ध में अन्य विशेषज्ञों के विचार सुनने का भी अवसर मिला। समिति को बताया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा मैसर्स टैकनिको की रिपोर्ट अपर्याप्त आंकड़ों पर आधारित है और यह कि विशेषज्ञ समिति में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल नहीं थे। इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं ने कुछ दूरी के उस स्मारक पर केवल सलफर डायआक्साइड के प्रभाव पर विचार किया था। तथा रिफाइनरी से निकलने वाले अन्य प्रदूषक तत्वों जैसे कार्बन तथा नाइट्रोजन की आक्साइडों धूल पारस्परिक क्रिया उत्पन्न उत्पादों तथा कजाकारों पदार्थों के सम्भावित प्रभाव की ओर ध्यान नहीं दिया था जिससे कि ताजमहल तथा अन्य स्मारकों का रंग और रूप खराब हो जायेगा।

जब मैसर्स टैकनिकों की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर डाक्टर टोराका ने शंका व्यक्त की तब समिति को जानकारी दी गई कि बताया जाता है कि टेकनिकों विशेषज्ञों ने भी यह स्वीकार किया था कि कोई भी व्यक्ति स्मारकों के संरक्षण के बारे में स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता कि क्योंकि प्रदूषण और क्षय का क्या अनुपात है। इसकी अभी तक किसी को जानकारी नहीं है तथा सैद्धांतिक रूप से वायु प्रदूषण में प्रतिघन मीटर एक माइक्रोग्राम की वृद्धि पत्थर के संरक्षण के लिये ठीक नहीं होगी। समिति को यह भी बताया गया कि विशेषज्ञ समिति ने पानी में विषैले अपशिष्ट तत्व के (उसके शोधन के बाद भी) गिराये जाने जो यमुना नदी में आगरा तक आयेगा की उपेक्षा कर दी थी। समिति को बताया गया है कि एन. ई. ई० आर० आई. के सर्वेक्षण से अनुसार यमुना नदी का जल पहले से ही प्रदूषित हो चुका है और रिफाइनरी से अतिरिक्त प्रदूषक तत्वों तथा उनके गुणांक प्रभाव आगरा के क्लोरीन युक्त पेय जल को इतना विषाक्त बना देंगे जिससे मानव तथा उसकी सन्तति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

समिति को यह भी बताया गया कि पश्चिम के देशों में वायु प्रदूषक तत्वों के प्रभाव से कला तथा वास्तुशिल्प की अनेक बहुमूल्य कृतियां नष्ट हो गये हैं। उदाहरण के लिये एथेंस में एक्रोपो के आश्चर्य-जनक संगमरमर के मन्दिर पर जो 2400 वर्षों से प्रकृति के प्रकोप को सहता रहा है अब गत 30 वर्षों के दौरान एथेंस के समीप वाहन यातायात में वृद्धि शहरीकरण तथा औद्योगिक विकास के कारण सल्फर डायक्साइड संरक्षक गैसों तथा काले धुंये से बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। पेट्रोल निडल जिसे मिश्र देश से न्यूयार्क ले जाया गया था उसका गत 3500 वर्ष की अपेक्षा गत 70 वर्षों से अधिक ह्रास हुआ है। स्मारकों की रक्षा के लिये अमरीका की निरन्तर रुचि होने तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति का उपयोग करने के बावजूद बताया जाता है कि वाशिंगटन में लिंकन मेमो-रियल का संगमरमर का प्रदूषित वायु का एसिडों के प्रभाव से बहुत तेजी से ह्रास होता जा रहा है।

समिति का विचार है कि ऐसे विषयों पर विशेषज्ञ परस्पर प्रायः सहमत नहीं होते हैं। किन्तु समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये पूरे साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् समिति को इसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है कि मथुरा रिफायनरी के निर्माण से आगरा के वायुमण्डल में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जायेगा। तथा यह ताजमहल के लिये स्पष्ट रूप से खतरा उत्पन्न कर देगा जो कि सम्भवतः दुनिया का सर्वाधिक प्रसिद्ध और सुन्दर अद्वितीय स्मारक है और जो सफेद संगमरमर का बना है जो कि सल्फर डायक्साइड से विशेष रूप से प्रभावित होता है। समिति का विचार है कि यदि रिफायनरी बनाई गई तो यह अवश्य अपेक्षा की जा सकती है कि वह कम से कम 150 या 200 वर्षों तक कार्य करती

रहेगी और यदि जिन विशेषज्ञों ने निराशावादी विचार व्यक्त किये हैं वे सही सिद्ध होते हैं और हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण नहीं कर पाते हैं जो कि समस्त मानवता की धरोहर के रूप में हमारे पास है तो हम भावी पीढ़ी के प्रति बहुत भारी अपराध के भागी होंगे।

समिति ने स्वयं यह देखा है कि रिफायनरी की कुछ संरचनाओं का निर्माण हो चुका है और कुछ और ढांचों का निर्माण हो रहा है। अब तक हुये व्यय के सम्बन्ध में समिति को बताया गया कि यह व्यय 100 करोड़ रुपये हुआ है जिसमें से 15 करोड़ रुपये भूमि अर्जन सिविल निर्माण कार्य आदि पर हुआ तथा लगभग 85 करोड़ उपकरणों पर व्यय हुआ है। समिति का विचार है कि यदि रिफायनरी का निर्माण किसी अन्य स्थान पर किया जाये जो कि मथुरा से बहुत अधिक दूर न हो तो निर्मित संरचनाओं का उपयोग भण्डारण परिवहन तथा आवश्यक सामान्य के वितरण के लिये किया जा सकता है जिससे कि वे पूर्णतया व्यर्थ नहीं हो जाये तथा अधिकांश उपकरणों को दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है तथा उनका उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि इससे कुछ अनुपयोगी व्यय हो सकता है किन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि ताजमहल का सांस्कृतिक तथा कलात्मक मूल्य होने के अतिरिक्त यह पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केन्द्र है जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता प्रदान करता है।

समिति का विचार है कि ताजहमल कुछ वर्षों में पर्यटन की आय से रिफाइनरी की सारी लागत वसूल कर सकता है, परन्तु ऐसा केवल तभी हो सकता है जब इसका चकाचौंध करने वाला सौन्दर्य, जो इसके चमकदार श्वेत तल की किचकनाहट तथा प्रतिबिम्बकता पर निर्भर है, को बनाया तथा सुरक्षित रखा जाये।

मामले पर सावधानी से विचार करने तथा उसकी अच्छाइयों तथा बुराइयों को ध्यान में रखने के बाद समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मथुरा भूवैज्ञानिक, पारिस्थितिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए रिफाइनरी स्थापित करने के लिये एक सबसे खराब स्थल है। समिति की राय है कि आगरा और बृज मण्डल में ताजमहल तथा अन्य स्मारकों को रिफाइनरी से वायु प्रदूषकों के बुरे प्रभाव से बचाने के लिये सरकार को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार आगरा में अन्य स्रोतों से वर्तमान वायु प्रदूषकों को रोकने के लिये तुरन्त तथा कारगर कदम उठाने के अलावा रिफाइनरी समस्या पर पुनः विचार करना चाहिये तथा कम से कम रिफाइनरी के अत्यन्त प्रदूषक यूनिटों को इटावा क्षेत्र में ले जाने की व्यावहारिकता की जांच करनी चाहिये। समिति की यह भी राय है कि उपचरित तरल मल निस्राव, जिससे आगरा क्षेत्र के पहले से प्रदूषित पीने के पानी को विषाक्त बनाने की सम्भावना है, को, यदि सम्भव हो, एक पाइप लाइन के रास्ते से निकाला जाना चाहिये और पीने के पानी की सप्लाई के संरक्षण के लिये अमगरा या इटावा में निचली ओर किसी उपयुक्त स्थान पर नदी में फेंका जाना चाहिये।

8. स्मारकों की रक्षा के लिये भारतीय भू-सर्वेक्षण को शक्तियों का प्रत्यायोजन

प्रस्तावित विधान पर अपने विचार-विमर्श के दौरान समिति ने सम्बन्धित अधिकारियों से भारतीय भू-सर्वेक्षण, जो मुख्यतया स्मारकों के रखरखाव तथा अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है, की भूमिका पर चर्चा की। विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण के खतरों से ताजमहल तथा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को बचाने के लिये भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में जब पूछा गया, तो समिति को बताया गया कि सम्बन्धित प्राधिकारी मथुरा में रिफाइनरी स्थापित करने के सरकार के निर्णय से आशंकित हो गये थे, क्योंकि इससे आगरा के स्मारकों विशेषकर ताजहमल पर प्रस्तावित रिफाइनरी के इंधन के चट्टों से गैसीय निस्रव के बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप भारतीय-भू-सर्वेक्षण ने आगरा में स्मारकों के आस-पास वायु की वर्तमान क्वालिटी का सर्वेक्षण करने के लिये नेशनल इंवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीटयूट को वहां की गई जांच से पता चला कि दो बिजली घरों 250 फाउण्ड्री सहित उद्योगों और रेलवे शटिंग यार्ड के कारण आगरा क्षेत्र में, विशेषकर आगरा किला और ताजमहल के निकट के क्षेत्र में सल्फर डायआक्साइड और कर्णाकार पदार्थों दोनों से भारी प्रदूषण होता है। तदनुसार सम्बन्धित प्राधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से बिजली घरों तथा फाउण्ड्री से होने वाले प्रदूषण को दूर करने के लिये कदम उठाने हेतु कहा। इसी तरह, रेलवे बोर्ड से मार्शलिंग यार्ड में वर्तमान

भाप इंजनों के स्थान पर डीज़ल चलाने के लिये अनुरोध किया गया। समिति को बताया गया कि भारतीय भू-सर्वेक्षण ने आगरा और दिल्ली के स्मारकों के प्रभावित भागों के नमूने लिये और यह पाया कि सल्फर-डायआक्साइड से संगमरमर पर बुरा प्रभाव डाल रहा है।

जब डा० एस वरदाराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति आगरा क्षेत्र में स्मारकोंप र मथुरा रिफाइनरी के पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव पर सरकार को परामर्श देने के लिये गठित की गई थी, तो समिति को बताया गया था कि भारतीय भू-सर्वेक्षण के प्रतिनिधि को भी उसके विचार-विमर्श में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया गया था और उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे भूवैज्ञानिक दृष्टि से मथुरा में रिफाइनरी का स्थापित किया जाना ठीक नहीं समझते। प्राधिकारियों ने यह भी बताया कि वर्तमान अधिनियम अर्थात भूवैज्ञानिक स्थल और अवैज्ञानिक अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन किसी प्रकार के उद्योग को स्थापित करने से रोकने की शक्ति उनके पास नहीं है। अधिनियम के अधीन उनके पास स्मारक के स्थल के निकट के कतिपय क्षेत्र को निषिद्ध घोषित करने की सीमित शक्तियां हैं ताकि खनन या खदान कार्य या किसी ऐसे कार्य जो सुरक्षित स्थल को क्षति पहुंचा सकता है, को रोका जा सके।

समिति का विचार है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के समुचित संरक्षण तथा परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये सरकार भारतीय भू-सर्वेक्षण को आवश्यक शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने की वांछनीयता पर विचार करे ताकि ऐसे स्मारकों के निकट किसी प्रकार के औद्योगिक विकास होने से पूर्व उनसे "कोई आपत्ति नहीं" प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सके।

9. इन्द्रप्रस्थ तापीय बिजली घर, दिल्ली

नेशनल एनवायरनमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट ने अपने सर्वेक्षण में जो उन्होंने 1968-69 में किया यह बताया था कि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में सल्फर डायआक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा धूल जैसे प्रदूषण तत्वों की काफी मात्रा मौजूद थी। दिल्ली में वायु-प्रदूषण ज्यादातर इन्द्रप्रस्थ तापीय बिजलीघर से होता है जो कि नगर के बीचोंबीच स्थित है। वायु प्रदूषण की समस्या का अध्ययन करने हेतु दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के दौरों के दौरान समिति को यह बताया गया कि इन्द्रप्रस्थ बिजली घर में निम्न ग्रेड का कोयला जिसमें लगभग 80 प्रतिशत अंश राख का होता है इस्तेमाल किया जाता है। जब सभी एकक कार्य कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में प्रतिदिन लगभग 3500 मीटरी टन कोयला फूंका जाता है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1000 मीटरी टन राख निकलती है। इस राख में से 90 से 95 प्रतिशत तक राख सन्यन्त्र के अन्दर ही रुक जाती है और 5 से 10 प्रतिशत तक चिमनी के जरिये बाहर निकल जाती है। राख को रोकने के लिए जो मुख्य उपकरण काम में लाये जाते हैं वे मैकजीकल डस्ट क्लैक्टर तथा इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रैसीपिटेट्स हैं। बिजली घर में लोग वर्तमान इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसीपिटेटर्स ऐसे समय बनाये गये थे जबकि पश्चिम के प्रमुख निर्माताओं को कोयले में सल्फर के कम अंश में होने अथवा इलैक्ट्रोस्टेटिक तरल पदार्थ कम अंश में होने के प्रमुख की कोई जानकारी नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छठे दशक के शुरू में जो प्रेसीपिटेटर बने वे टिकाऊ नहीं थे और झरिया तथा धनबाद कोयला पट्टी के न्यून सल्फर/अधिक राख वाले कोयले से चलने वाले बायलरों के हिसाब से छोटे थे।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालय ने इस प्रदूषण की समस्या से जूझने के प्रयास में कोई पश्चिमी विशेषज्ञों से इन प्रसीपिटेटरों की जांच कराई। उन्होंने एकमत होकर यह मत व्यक्त किया कि विद्यमान राख एकत्रीकरण उपकरण में बड़े परिवर्तन/परिवर्धन किए बिना उसके कार्य-निष्पादन में आगे कोई सुधार नहीं किया जा सकता। ऊर्जा मन्त्रालय ने इस प्रयास के अनुसरण में 1976 में 5 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की। डा० एच० एस० शरण, निदेशक (इंजीनियरिंग) बी० एच०ई० एल० इसके चेयरमैन नियुक्त किये गये और इसको इन्द्रप्रस्थ बिजली घर से निकलने वाले वायु प्रदूषक तत्वों की समस्या पर विचार करके इसको कम करने के लिए उपाय सुझाने थे। यह समिति भी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि समस्या एककों के डस्ट क्लैक्टिंग उपकरण में परिवर्तन किया जाना चाहिए और बिजली घर में या तो और इलक्ट्रोस्टेटिक प्रैसीपिटेटर लगाये जाएं या फिर विद्यमान प्रसीपिटेटर बदले जाएं। समिति ने यह भी सिफारिश की कि इस आशय के नियामक आदेश जारी किये जायें कि दिल्ली

विद्युत् प्रदाय संस्थान को इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के बायलरों में जलाने के लिए केवल राख वाला कोयला (जिसमें 25 प्रतिशत से ज्यादा राख न हो) ही सप्लाई किया जाए। तथापि वास्तव में इस तरह के कोयले की सप्लाई में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।

जहां तक इन सिफारिशों को बिजली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा कार्यान्वित करने के लिए किए गये उपायों का सम्बन्ध है, समिति को यह बताया गया कि हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड को 113 लाख रुपये के दो इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रसीपिटेटरों की खरीद का आदेश दे दिया गया है। यह परियोजना ठीक प्रकार से चालू हो जायेगी जो धूल (गर्द) निकलने की मात्रा भी बाहर निकलने वाली फ्लू गैस की वर्तमान 3000 से 4000 मिलीग्राम प्रति घन मीटर से घटकर प्रतिसामान्य घनमीटर पर 150 मिलीग्राम से भी कम हो जायेगी, ऐसी आशा है। यहां एक एकक 2 और 3 का सम्बन्ध है, विद्यमान इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटरों में सुधार, नये क्षेत्र जोड़ने तथा गैस कन्डीशनिंग उपकरण लगाने का प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालय ने स्वीकार लिया है। जब इस स्कीम पर 200 लाख रुपये खर्च आने का अनुमान है, इस योजना के कार्यान्वित हो जाने पर धूल निकलने का अंश बाहर निकलने वाली प्रत्येक घन मीटर फ्लू गैस का 1500 से 2500 मिलीग्राम राख से घटकर प्रति सामान्य घनमीटर पर 150 मिलीग्राम से भी कम हो जायेगी। 4 और 5 एककों में सुधार के कार्य के लिए ठेका एकक संख्या 1 के लिये नये इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसीपिटेटरों तथा एकक 2 और 3 में लगाये जाने वाले (विचाराधीन) उपकरणों के तुलनात्मक कार्य निष्पादन के आधार पर दिया जायेगा।

समिति को यह देख कर अप्रसन्नता हुई है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा लम्बी चलने वाली कार्यविधि अपनाई। बिजलीघर के विभिन्न एककों में इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसीपिटेटरों में सुधार/उनके बदलने का कार्य थोड़ा-थोड़ा करके करवाया गया जिससे इस बात का परिचय मिलता है कि सम्बन्धित प्राधिकारियों ने इस समस्या को उचित महत्व नहीं दिया जिससे दिल्ली में रहने वाले प्राणियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर प्रभाव पड़ा। दिल्ली में जो कि विश्व की सुन्दरतम राजधानियों में से एक है, अस्वास्थ्य कर प्रदूषण अधिकांशत इसी कारण घिनौने रूप में विद्यमान है।

अत. समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि वर्तमान स्थिर विद्युत् अवक्षेपण में रुपभेद करने/उसे बदलने के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें ताकि इन्द्रप्रस्थ बिजली घर से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य के लिए खतरों से दिल्ली के लोगों को बचाया जा सके। समिति की यह भी राय है कि यदि भविष्य में कभी भी दिल्ली के लिए कोई नया बिजली घर बनाने का प्रस्ताव होता है, तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे घनी आबादी वाली बस्तियों से दूर शहर की सीमाओं से बाहर स्थापित किया जाये।

(डा०) कर्ण सिंह,
सभापति,
संयुक्त समिति।

नई दिल्ली ;
15 मई, 1979

---

25 वैशाख, 1901 (शक)

1978 का विधेयक संख्यांक 58

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1978

खण्डों का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

केन्द्रीय तथा राज्य वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड

3. केन्द्रीय वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ।
4. राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का राज्य वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड होना ।
5. राज्य बोर्डों का गठन ।
6. संघ राज्यक्षेत्र में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किसी राज्य बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन किया जाना ।
7. सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।
8. निरर्हताएं ।
9. सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति ।
10. बोर्ड का अधिवेशन ।
11. समितियों का गठन ।
12. बोर्ड के साथ व्यक्तियों का विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अस्थायी रूप में सहयुक्त किया जाना ।
13. बोर्ड में रिक्ति से कार्यों या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
14. राज्य बोर्डों के सदस्य-सचिव तथा उनके अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।
15. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

अध्याय 3

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

16. केन्द्रीय बोर्ड के कृत्य ।
17. राज्य बोर्डों के कृत्य ।
18. निदेश देने की शक्ति ।

अध्याय 4

वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण

खण्ड

19. वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति ।
20. आटोमोबाइल से उत्सर्जनों के मानक सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश देने की शक्ति ।
21. कुछ औद्योगिक संयंत्रों के प्रयोग पर निर्बन्धन ।
22. उद्योग आदि चलाने वाले व्यक्ति राज्य बोर्डों द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक वायु प्रदूषक उत्सर्जित नहीं होने देंगे ।
23. कुछ मामलों में राज्य बोर्ड और अन्य अभिकरणों को जानकारी देना ।
24. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति ।
25. जानकारी प्राप्त करने की शक्ति ।
26. वायु या उत्सर्जन के नमूने लेने की शक्ति और उसके सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।
27. धारा 26 के अधीन लिए गए नमूनों के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट ।
28. राज्य वायु प्रयोगशाला ।
29. विश्लेषक ।
30. विश्लेषकों की रिपोर्ट ।
31. अपीलें ।

अध्याय 5

निधि, लेखा और लेखापरीक्षा

32. केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिदाय ।
33. बोर्ड की निधि ।
34. बजट ।
35. वार्षिक रिपोर्ट ।
36. लेखा और लेखापरीक्षा ।

अध्याय 6

शास्तियां और प्रक्रिया

37. धारा 21(5) या धारा 22 के उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए आदेशों या निदेशों का पालन करने में असफल रहना ।
38. कतिपय कार्यों के लिए शास्ति ।
39. अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।
40. कम्पनियों द्वारा अपराध ।
41. सरकारी विभागों द्वारा अपराध ।
42. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण ।
43. अपराधों का संज्ञान ।

खण्ड

44. बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

45. रिपोर्ट और विवरणियां।

46. अधिकारिता का वर्जन।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

47. राज्य सरकार की राज्य बोर्ड को अतिष्ठित करने की शक्ति।

48. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्डों के अतिष्ठित किए जाने की दशा में विशेष उपबन्ध।

49. इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्डों का विघटन।

50. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति।

51. रजिस्टर का रखा जाना।

52. अन्य विधियों का प्रभाव।

53. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

54. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

अनुसूची

1978 का विधेयक संख्यांक 58

[एयर (प्रिवेन्शन एण्ड कंट्रोल आफ पोल्यूशन) बिल, 1978 का हिन्दी अनुवाद]

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1978

[जैसा संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है]

(जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं खींची हैं, वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन हैं; जहां तारक चिह्न लगे हैं, वहां लोप किया गया है।)

वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए बोर्डों की स्थापना के लिए, ऐसे बोर्डों को, उनसे संबंधित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक

जून, 1972 में स्टाकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, यह विनिश्चय किया गया कि पृथ्वी के प्राकृतिक साधनों को बनाए रखने के लिए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वायु की क्वालिटी बनाए रखना तथा उसके प्रदूषण पर नियंत्रण रखना सम्मिलित है समुचित कदम उठाएं जाएं ;

यह आवश्यक समझा गया कि उक्त विनिश्चय को, जहां तक कि उसका सम्बन्ध वायु की क्वालिटी बनाए रखने और उसके प्रदूषण पर नियंत्रण रखने से है, कार्यान्वित किया जाए ;

अतः भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1979 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। .

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) "वायु प्रदूषक" से ऐसा कोई ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है जो वायुमण्डल में ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो मानव, जीवित प्राणी या वनस्पति या सम्पत्ति या पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है ;

(ख) "वायु प्रदूषण" से वायुमण्डल में किसी वायु प्रदूषक का विद्यमान होना अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुमोदित साधित्र" से ऐसा कोई उपस्कर या गेजेट अभिप्रेत है जो किसी ज्वलनशील सामग्री को जलाने के लिए या किसी धुएं, गैस अथवा किसी कणाकार पदार्थ को उत्पन्न करने या उसका उपयोग करने के लिए प्रयुक्त होता है और राज्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनुमोदित है ;

(घ) "अनुमोदित ईंधन" से ऐसा कोई ईंधन अभिप्रेत है जो राज्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनुमोदित है ;

(ङ) "आटोमोबाइल" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जिसे चलाने के लिए अन्तर्दहन इंजन द्वारा या शक्ति जनन की किसी रीति से ईंधन जलाकर शक्ति प्राप्त होती है ;

(च) "बोर्ड" से केन्द्रीय बोर्ड या कोई राज्य बोर्ड अभिप्रेत है ;

(छ) "केन्द्रीय बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अधीन जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए गठित केन्द्रीय बोर्ड अभिप्रेत है ; 1974 का 6

(ज) "चिमनी" के अन्तर्गत द्वार या निकास वाली ऐसी कोई संरचना भी है जिससे होकर या जिससे किसी वायु प्रदूषक का उत्सर्जन हो सकता है ;

(झ) "नियंत्रण उपस्कर" से किसी वायु प्रदूषक की क्वालिटी और उसके उत्सर्जन की रीति को नियंत्रित करने के लिए कोई साधित्र, युक्ति, उपस्कर, या पद्धति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी युक्ति भी है जो किसी

औद्योगिक संयंत्र के दक्ष प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है ;

(ञ) "उत्सर्जन" से किसी चिमनी, वाहिनी या धूमनाल या किसी अन्य निकास से आने वाला कोई ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है ;

(ट) "औद्योगिक संयंत्र" से ऐसा कोई संयंत्र अभिप्रेत है जो किसी उद्योग या व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता है और वायुमण्डल में कोई प्रदूषक उत्सर्जित करता है ;

(ठ) "सदस्य" से, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या किसी राज्य बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इसका अध्यक्ष भी है ;

(ड) किसी कारखाने या परिसर के सम्बन्ध में "अधिष्ठाता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कारखाने या परिसर के कार्यकलाप पर नियंत्रण है और जहां उक्त कार्यकलाप किसी प्रबन्ध अभिकर्ता को सौंपे गए हैं वहां ऐसे अभिकर्ता को कारखाने या परिसर का अभिकर्ता समझा जाएगा ;

(ढ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ण) "राज्य बोर्ड" से अभिप्रेत है,—

1974 का 6

(i) ऐसे किसी राज्य के सम्बन्ध में, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 प्रवर्तन में है और राज्य सरकार ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए उस अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई राज्य बोर्ड गठित किया है, ऐसा राज्य बोर्ड; और

(ii) किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में, ऐसा राज्य बोर्ड जो वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है ।

अध्याय 2

केन्द्रीय तथा राज्य वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड

1974 का 6

केन्द्रीय वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ।

3. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड उस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग और पालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा ।

1974 का 6

राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का राज्य वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड होना ।

4. ऐसे किसी राज्य में, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 प्रवर्तन में है और उस अधिनियम की धारा 4 के अधीन राज्य सरकार ने उस राज्य के लिए राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड गठित कर दिया है, ऐसा राज्य बोर्ड, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन राज्य वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड समझा जाएगा और तदनुसार वह राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड, उस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के पालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा ।

राज्य बोर्डों का गठन ।

1974 का

5. (1) ऐसे किसी राज्य में, जिसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 प्रवर्तन में नहीं है, या उक्त अधिनियम प्रवर्तन में तो है किन्तु राज्य सरकार ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए उक्त अधिनियम के अधीन कोई राज्य बोर्ड गठित नहीं किया है, तो राज्य सरकार ऐसी किसी तारीख से जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए एक राज्य बोर्ड गठित करेगी जिसका नाम वह होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और वह इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) एक अध्यक्ष, जो पर्यावरण के संरक्षण से सम्बन्धित विषयों की बाबत विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव रखता है और जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष पूर्णकालिक या अंशकालिक, जैसा राज्य सरकार ठीक समझे, हो सकेगा ;

(ख) पांच से अनधिक ऐसी संख्या में, जो राज्य सरकार ठीक समझे, पदधारी, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(ग) पांच से अधिक ऐसी संख्या में, जो राज्य सरकार ठीक समझे, व्यक्ति जो राज्य के भीतर कार्य करने वाले स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों में से उस राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(घ) तीन से अनधिक ऐसी संख्या में, जो राज्य सरकार ठीक समझे, अशासकीय व्यक्ति, जो कृषि, मीन उद्योग, अथवा उद्योग या व्यापार या श्रम या किसी अन्य हित का जिनका उस राज्य सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(ङ) दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कम्पनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा जो उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(च) एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित विषयों के बारे में व्यवहारिक अनुभव रखता है तथा जिसे प्रशासनिक अनुभव है और जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम दो सदस्य ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वायु की क्वालिटी के सुधार या वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित विषयों के बारे में विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक राज्य बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नाम वाला तथा शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा ।

संघ राज्यक्षेत्र में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किसी राज्य

6. संघ राज्यक्षेत्र के लिए कोई राज्य बोर्ड गठित नहीं किया जाएगा और संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, केन्द्रीय बोर्ड उस संघ राज्यक्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगा :

परन्तु किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय बोर्ड अपनी ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों और कृत्यों को इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन किया जाना ।

सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

7. (1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड के सदस्य-सचिव से भिन्न कोई सदस्य उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसको उसका नामनिर्देशन राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है :

परन्तु कोई सदस्य अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता ।

(2) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड के सदस्य तथा धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उसी समय समाप्त हो जाएगी जब वह राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध के अधीन, यथास्थिति, किसी ऐसी कम्पनी या निगम के, जिसके आधार पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया था, अधीन किसी पद पर नहीं रह जाता ।

*   *   *   *

(3) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड के सदस्य-सचिव से भिन्न कोई सदस्य—

(क) अध्यक्ष की दशा में, राज्य सरकार को, तथा

(ख) किसी अन्य दशा में राज्य बोर्ड के अध्यक्ष को,

संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और तब अध्यक्ष का या ऐसे किसी अन्य सदस्य का स्थान रिक्त हो जाएगा ।

(4) यदि इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड के सदस्य-सचिव से भिन्न कोई सदस्य, बोर्ड की राय में पर्याप्त कारण के बिना बोर्ड के तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है या जहां वह धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्देशित किया गया है वहां यदि वह राज्य बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है और दोनों में से किसी दशा में ऐसी रिक्ति ऐसी तारीख से प्रभावी होगी जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(5) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड में कोई आकस्मिक रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य, जिसका स्थान वह लेता है, नामनिर्दिष्ट किया गया था ।

(6) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड का सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए पुनः नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा ।

(7) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड के अध्यक्ष तथा (सदस्य-सचिव को छोड़कर) सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

*   *   *   *

निरर्हताएं

8. (1) कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड का सदस्य नहीं होगा,—

(क) जो दिवालिया है या किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ है या जिसने अपने ऋणों का संदाय निलम्बित कर दिया है या अपने लेनदारों से प्रशमन कर लिया है ; अथवा

(ख) जो विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया है ; अथवा

(ग) जो किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या ठहराया जा चुका है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है ; अथवा

(घ) जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या किसी भी समय ठहराया जा चुका है ; अथवा

(ङ) जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या किसी भागीदार द्वारा वायु की क्वालिटी के सुधार के लिए अथवा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए मशीनरी, औद्योगिक संयंत्र, नियंत्रण उपस्कर या किसी अन्य साधित्र के निर्माण, विक्रय या भाड़े पर लेने का कारबार करने वाली किसी फर्म या कंपनी में कोई शेयर या हित रखता है; अथवा

(च) वायु की क्वालिटी के सुधार के लिए अथवा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए बोर्ड अथवा बोर्ड का गठन करने वाली सरकार के साथ अथवा राज्य में किसी स्थानीय प्राधिकरण के साथ अथवा सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रबंधित किसी कंपनी या निगम के साथ कोई संविदा करने वाली किसी कंपनी या फर्म का निदेशक या सचिव, प्रबंधक या अन्य वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी है।

(छ) जिसने राज्य सरकार की राय में सदस्य के रूप में अपनी प्रास्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका बोर्ड में बने रहना जन साधारण के लिए अहितकर है।

(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकेगी, जो उपधारा (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त है, या हो जाता है :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन हटाए जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(3) धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य, जो इस धारा के अधीन हटाया गया है, यथास्थिति, उस समय तक पद पर बने रहने का, जब तक उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, या सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किए जाने का पात्र नहीं होगा।

सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति।

9. यदि इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड का कोई सदस्य धारा 8 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

बोर्ड का अधिवेशन।

10. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगा और वह अपने अधिवेशनों में कामकाज करने के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं :

परन्तु यदि अध्यक्ष की राय में कोई अत्यावश्यक प्रकृति का काम किया जाना है तो वह ऐसे समय पर बोर्ड का अधिवेशन बुला सकता है जो वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की प्रतियां केन्द्रीय बोर्ड और संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाएंगी ।

समितियों का गठन ।

11. (1) बोर्ड ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए पूर्णत: सदस्यों से *** या भागत: सदस्यों से और भागत: अन्य व्यक्तियों से गठित होने वाली इतनी समितियों का गठन कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे ।

(2) इस धारा के अधीन गठित समिति का अधिवेशन ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगा और वह अपने अधिवेशनों में कामकाज करने के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो विहित किए जाएं ।

(3) समिति के सदस्यों को, जो बोर्ड के सदस्यों से भिन्न हैं, उसके अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए बोर्ड के किसी अन्य कार्य को करने के लिए ऐसी फीस और भत्ते दिए जाएंगे, जो विहित किए जाएं ।

बोर्ड के साथ व्यक्तियों का विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अस्थायी रूप में सहयुक्त किया जाना ।

12. (1) बोर्ड ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह लेने की वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किसी का पालन करने के लिए वांछा करता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ किसी प्रयोजन के लिए सहयुक्त किसी व्यक्ति को बोर्ड के उस विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा जो उस प्रयोजन से सुसंगत है, किन्तु उसे बोर्ड के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए वह बोर्ड का सदस्य नहीं होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ सहयुक्त व्यक्ति ऐसी फीसें और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो विहित किए जाएं ।

बोर्ड में रिक्ति से कार्यों या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

13. बोर्ड या उसकी किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जा सकेगी कि, यथास्थिति, बोर्ड या ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान थी या उसके गठन में कोई त्रुटि थी ।

राज्य बोर्डों के सदस्य-सचिव तथा उनके अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड के सदस्य-सचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

(2) राज्य बोर्ड का, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया है या नहीं ; सदस्य-सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं ।

(3) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, राज्य बोर्ड, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया है या नहीं, ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) राज्य बोर्ड के उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारियों (सदस्य-सचिव से भिन्न) तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का ढंग, सेवा की शर्तें और वेतनमान ऐसे होंगे जो इस अधिनियम के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(5) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समय-समय पर किसी भी अर्हित व्यक्ति को बोर्ड के परामर्शी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और उसे ऐसे वेतन और भत्तों या फीसों का संदाय कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

15. राज्य बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किन्हीं ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हैं, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जो वह ठीक समझे, अध्यक्ष या सदस्य-सचिव या बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

अध्याय 3

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

केन्द्रीय बोर्ड के कृत्य ।

16. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन अपने कृत्यों के पालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय बोर्ड के मुख्य कृत्य देश में वायु की क्वालिटी में सुधार लाना और वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन है । 1974 का 6

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी कृत्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय बोर्ड***—

(क) वायु की क्वालिटी में सुधार लाने और उसके प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से सम्बद्ध किसी विषय पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दे सकेगा;

(ख) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बना सकेगा और उसे निष्पादित कर सकेगा;

(ग) राज्य बोर्डों के क्रियाकलाप में समन्वय स्थापित कर सकेगा और उनके बीच के विवादों को सुलझा सकेगा;

(घ) राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता दे सकेगा और उनका मार्गदर्शन कर सकेगा, वायु प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्या से सम्बन्धित अन्वेषण और अनुसंधान क्रियान्वित और प्रायोजित कर सकेगा;

(ङ) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के कार्यक्रमों में लगे हुए या लगाए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर योजना बना सकेगा और उसे संगठित कर सकेगा जो केन्द्रीय बोर्ड विनिर्दिष्ट करे;

(च) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के बारे में जन-सम्पर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम आयोजित कर सकेगा;

(छ) वायु प्रदूषण से और उसके प्रभावी निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए परिकल्पित उपायों से सम्बन्धित तकनीकी और सांख्यकीय आंकड़े एकत्र, संकलित और प्रकाशित कर सकेगा और वायु के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन सम्बन्धी निर्देशिकाएं, संहिताएं या मार्गनिर्देशिकाएं तैयार कर सकेगा;

(ज) वायु की क्वालिटी के लिए मानक अधिकथित कर सकेगा ;

(झ) वायु प्रदूषण से सम्बन्धित विषयों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकेगा और उसका प्रसार कर सकेगा;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो विहित किए जाएं ।

(3) केन्द्रीय बोर्ड इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का दक्ष पालन करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के लिए एक या अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगा और उन्हें मान्यता दे सकेगा।

(4) केन्द्रीय बोर्ड —

(क) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से कोई भी कृत्य अपने द्वारा नियुक्त समितियों को, साधारणतया या विशिष्टतया, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(ख) ऐसी अन्य बातें और कार्य कर सकेगा जो अपने कृत्यों के उचित पालन के लिए तथा साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए वह आवश्यक समझे।

1974 का 6

राज्य बोर्डों के कृत्य।

17. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन अपने कृत्यों पर, यदि कोई है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना ;

(ख) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से सम्बद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ग) वायु प्रदूषण से सम्बन्धित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना ;

(घ) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से सम्बन्धित कार्यक्रम में लगे हुए या लगाए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण को संगठित करने में केन्द्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना और उससे सम्बन्धित सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना ;

(ङ) किसी नियंत्रण उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र अथवा विनिर्माण प्रक्रिया का सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण करना और वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए कार्यवाही करने की बाबत ऐसे व्यक्तियों को, आदेश द्वारा ऐसे निदेश देना जैसे वह आवश्यक समझे ;

(च) वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का ऐसे अंतरालों पर, जो वह आवश्यक समझे, निरीक्षण करना, वायु की क्वालिटी का निर्धारण करना और ऐसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए उपाय करना ;

(छ) केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की क्वालिटी के बारे में अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों तथा आटोमोबाइल से वायुमंडल में वायु प्रदूषक के उत्सर्जन के लिए मानक अधिकथित करना अथवा किसी पोत या किसी वायुयान से भिन्न किसी भी अन्य स्रोत से वायुमंडल में किसी वायु प्रदूषक के उत्सर्जन के लिए कोई मानक अधिकथित करना :

परन्तु ऐसे औद्योगिक संयंत्रों से वायुमण्डल में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के परिमाण और सम्मिश्रण को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न औद्योगिक संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन के लिए इस खण्ड के अधीन भिन्न-भिन्न मानक अधिकथित किए जा सकेंगे।

(ज) राज्य सरकार के ऐसे किसी उद्योग को जिससे वायु प्रदूषण होना संभाव्य है, चलाने के लिए किसी परिसर या अवस्थान की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सलाह देना ;

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं या उसे समय-समय पर सौंपे जाएं ;

(ञ) ऐसी अन्य बातें और ऐसे अन्य कार्य करना जो वह अपने कृत्यों के उचित पालन के लिए और साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, आवश्यक समझे ।

(2) राज्य बोर्ड इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का दक्ष पालन करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के लिए एक या अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगा और उन्हें मान्यता दे सकेगा ।

निदेश देने की शक्ति ।

18. इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन में :—

(क) केन्द्रीय बोर्ड ऐसे लिखित निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार उसे दे ;

(ख) प्रत्येक राज्य बोर्ड ऐसे लिखित निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार उसे दें :

परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई निदेश केन्द्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निदेश से असंगत है तो वह मामला केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए, निर्देशित किया जाएगा ।

अध्याय 4

वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण

वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति ।

19. (1) राज्य सरकार, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य के भीतर किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

* * * *

(2) राज्य सरकार, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करके या उसे घटाकर उसमें परिवर्तन कर सकेगी, या

(ख) ऐसा कोई नया वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकेगी जिसमें एक या अधिक विद्यमान वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र या उसका कोई भाग अथवा उसके कई भाग सम्मिलित हैं ।

(3) यदि राज्य सरकार की, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में या उसके किसी भाग में किसी अनुमोदित ईंधन से भिन्न किसी ईंधन के प्रयोग से वायु प्रदूषण हो सकता है या होना संभाव्य है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षेत्र में ऐसे या उसके किसी भाग में ऐसे ईंधन के प्रयोग को, ऐसी तारीख से (जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीन मास पश्चात् की होगी), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(4) राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसी तारीख से जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुमोदित साधित्र से भिन्न किसी साधित्र का प्रयोग किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में स्थित परिसरों में नहीं किया जाएगा :

परन्तु भिन्न-भिन्न साधित्रों के प्रयोग के लिए या किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के भिन्न-भिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ।

(5) यदि राज्य सरकार की राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है, कि किसी वायुप्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में या उसके किसी भाग में किसी सामग्री (जो ईंधन नहीं है) के जलाए जाने से वायु प्रदूषण हो सकता है या होना सम्भाव्य है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र में या उसके किसी भाग में ऐसी सामग्री के जलाए जाने को प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

आटोमोबाइल से उत्सर्जनों के मानक सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश देने की शक्ति।

20. धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा आटोमोबाइल से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए अधिकथित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार राज्य बोर्ड के परामर्श से मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के भारसाधक संबंधित प्राधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकेगी, जैसे वह ठीक समझे, और ऐसा प्राधिकारी उस अधिनियम में अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अनुदेशों के अनुपालन के लिए आबद्ध होगा । 1939 का 4

कुछ औद्योगिक संयंत्रों के प्रयोग पर निबंन्धन ।

21. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना, किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग के प्रयोजन के लिए कोई औद्योगिक संयंत्र प्रचालित नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य के बोर्ड की सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए, और वह विहित प्ररूप में दिया जाएगा और उसमें औद्योगिक संयंत्र की विशिष्टियां तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां भी होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र के घोषित किए जाने से ठीक पूर्व, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग के प्रयोजन के लिए ऐसे क्षेत्र में कोई औद्योगिक संयंत्र प्रचालित करता है तो ऐसा व्यक्ति इस उपधारा के अधीन आवेदन ऐसी अवधि के अन्दर (जो ऐसी घोषणा की तारीख से कम से कम तीन मास की होगी), जो विहित की जाए, करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा आवेदन करता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस समय तक, ऐसा औद्योगिक संयंत्र प्रचालित कर रहा है जब तक कि सहमति के लिए राज्य बोर्ड से किया गया आवेदन अस्वीकृत नहीं हो जाता । * * *

(3) राज्य बोर्ड, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहमति के लिए आवेदन के सम्बन्ध में ऐसी जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी कोई जांच करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए ।

(4) राज्य बोर्ड, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहमति के लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् चार मास की अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा, आदेश में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से आवेदित सहमति प्रदान कर सकेगा या उससे इन्कार कर सकेगा ।

(5) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे * * * राज्य बोर्ड द्वारा सहमति * * उपधारा (4) के अधीन दी गई है, निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

(i) ऐसे विनिर्देशों वाला नियंत्रण उपस्कर, जो राज्य बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किया जाए ऐसे परिसर में संस्थापित और प्रचालित किया जाएगा जहां उद्योग चलाया जाता है या चलाए जाने की प्रस्तावना है ;

(ii) विद्यमान नियंत्रण उपस्कर में, यदि कोई है, परिवर्तन या उसके स्थान पर दूसरे उपस्कर का प्रतिस्थापन, राज्य बोर्ड के निदेशों के अनुसार किया जाएगा ;

(iii) खण्ड (i) या (ii) में निर्दिष्ट नियंत्रण उपस्कर सभी समयों पर अच्छी चालू हालत में रखा जाएगा ;

(iv) ऐसे परिसरों में ऐसे विनिर्देशों की चिमनी, जहां कहीं आवश्यक है, जो बोर्ड इस निमित्त अनुमोदित करे, लगाई जाएगी या पुनः लगाई जाएगी; ***

(v) ऐसी अन्य शर्तें, जो राज्य बोर्ड इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ; और

(vi) खण्ड (i), खण्ड (ii) और खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जैसी राज्य बोर्ड इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र के घोषित किए जाने से ठीक पूर्व, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग के प्रयोजन के लिए ऐसे क्षेत्र में कोई औद्योगिक संयंत्र प्रचालित कर रहा है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि छह मास से कम की नहीं होगी :
परन्तु यह और कि —

(क) खण्ड (i) के अधीन विनिर्देशों के अनुसार किसी नियंत्रण उपस्कर के संस्थापन के पश्चात्, या

(ख) खण्ड (ii) के अधीन राज्य बोर्ड के निदेशों के अनुसार किसी नियंत्रण उपस्कर में परिवर्तन या उसके स्थान पर दूसरे उपस्कर के प्रतिस्थापन के पश्चात्, या

(ग) खण्ड (iv) के अधीन किसी चिमनी के लगाए जाने या पुनः लगाए जाने के पश्चात्,

कोई भी नियंत्रण उपस्कर या चिमनी, राज्य बोर्ड के पूर्वतन अनुमोदन पर के सिवाय, न तो परिवर्तित की जाएगी और न उसके स्थान पर दूसरी प्रतिस्थापित की जाएगी, और, यथास्थिति, न तो लगाई जाएगी और न पुनः लगाई जाएगी ।

(6) किसी तकनीकी विकास के कारण या अन्यथा राज्य बोर्ड की राय है कि उपधारा (5) में निर्दिष्ट सभी शर्तों में या किसी शर्त में परिवर्तन अपेक्षित है (इसमें किसी नियंत्रण उपस्कर का, भागतः या पूर्णतः परिवर्तन भी है) तो राज्य बोर्ड उस व्यक्ति को जिसे सहमति अनुदत्त की गई है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा और तब ऐसा व्यक्ति उस प्रकार परिवर्तित शर्तों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(7) यदि कोई व्यक्ति, जिसे, उपधारा (4) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा सहमति अनुदत्त की गई है, किसी अन्य व्यक्ति को उद्योग में अपना हित अन्तरित करता है तो ऐसी सहमति ऐसे अन्य व्यक्ति को अनुदत्त की गई समझी जाएगी और वह उन सभी शर्तों के, जिनके अधीन ऐसी सहमति दी गई थी, अनुपालन के लिए उसी प्रकार आबद्ध होगा मानो ऐसी सहमति मूलतः उसे ही अनुदत्त की गई हो ।

उद्योग आदि चलाने वाले व्यक्ति राज्य बोर्डों द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक वायु प्रदूषक उत्सर्जित नहीं होने देंगे।

22. कोई व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई उद्योग किसी वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र में चलाता है या कोई औद्योगिक संयंत्र प्रचालित करता है, राज्य बोर्ड द्वारा धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन अधिकथित मानकों से अधिक किसी वायु प्रदूषक का न तो उत्सर्जन करेगा, न कराएगा और न करने की अनुज्ञा ही देगा।

कुछ मामलों में राज्य बोर्ड और अन्य अभिकरणों को जानकारी देना।

23. (1) जहां किसी वायु प्रदूषक नियन्त्रण क्षेत्र में किसी दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित कार्य या घटना के कारण कोई वायु प्रदूषक राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक उत्सर्जित होता है या होने की आशंका है वहां, उस परिसर का, जहां से ऐसा प्रदूषक उत्सर्जित होता है या होने की आशंका है, भारसाधक व्यक्ति, ऐसी घटना या तथ्य की आशंका की जानकारी राज्य बोर्ड को और ऐसे प्राधिकारियों को या अभिकरणों को, जो विहित किए जाएं, तुरन्त देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार की किसी घटना के तथ्य या उसकी आशंका के संबंध में, चाहे वह उस उपधारा के अधीन जानकारी द्वारा हो या अन्यथा, सूचना की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड और प्राधिकारी या अभिकरण, यावत्साध्यशीघ्र, उपचार के लिए ऐसे उपाय करेगा, जो ऐसे वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपचार के लिए उपाय करने में राज्य बोर्ड, प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा उपगत व्यय, यदि कोई हों और उस तारीख से, जब व्ययों के लिए मांग की जाती है और जब तक कि उनका संदाय नहीं कर दिया जाता है ब्याज सहित (ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, नियत करे) उस बोर्ड, प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया या लोक मांग के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति।

24. (1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य बोर्ड द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह, सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता से, जो वह आवश्यक समझे, किसी स्थान में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश करे, अर्थात्––

(क) राज्य बोर्ड के उसे सौंपे गए कृत्यों में से किसी का पालन करने के प्रयोजन के लिए ;

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसे किन्हीं कृत्यों का पालन किया जाना है और यदि हां, तो किस रीति से किया जाना है अथवा क्या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का या इस अधिनियम के अधीन तामील की गई सूचना, किए गए आदेश, दिए गए निदेश या अनुदत्त प्राधिकार का पालन किया जा रहा है या किया गया है ;

(ग) किसी नियन्त्रण उपस्कर, औद्योगिक संयन्त्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य सारवान पदार्थ की जांच या परीक्षण करने के प्रयोजन से अथवा किसी ऐसे स्थान की तलाशी लेने के लिए जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके भीतर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है तथा ऐसे किसी नियन्त्रण उपस्कर, औद्योगिक संयन्त्र, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारवान पदार्थ का उस दशा में अभिग्रहण करने के लिए, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य दिया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई उद्योग किसी वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र में चलाता है या कोई नियन्त्रण उपस्कर या कोई औद्योगिक संयन्त्र प्रचालित करता है, ऐसे व्यक्ति को सभी सहायता देने के लिए बाध्य होगा जिसे उपधारा (1) के अधीन राज्य बोर्ड ने उस उपधारा में विनिर्दिष्ट कृत्य करने के लिए सशक्त किया है और यदि वह किसी युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना ऐसा करने में असफल रहेगा तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा सशक्त किए गए किसी व्यक्ति को, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर विलम्बित या बाधित करेगा तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, या, जम्मू-कश्मीर राज्य अथवा किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें वह संहिता प्रवृत्त नहीं है, उस राज्य या क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन या उक्त विधि के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किए गए वारण्ट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं। 1974 का 2

जानकारी प्राप्त करने की शक्ति।

25. राज्य बोर्ड को सौंपे गए कृत्यों के किए जाने के प्रयोजन के लिए राज्य बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी ऐसे अधिष्ठाता या किसी अन्य व्यक्ति से, जो कोई उद्योग चला रहा है या कोई नियन्त्रण उपस्कर या औद्योगिक संयन्त्र प्रचालित कर रहा है, कोई जानकारी (जिसके अन्तर्गत वायुमण्डल में निकाले गए वायु प्रदूषण की किस्म के बारे में जानकारी भी सम्मिलित है) मांग सकेगा और ऐसी जानकारी के सही होने की जांच करने के प्रयोजन के लिए राज्य बोर्ड या ऐसे अधिकारी को उस परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जहां ऐसा उद्योग, नियन्त्रण उपस्कर या औद्योगिक सन्यन्त्र चलाया या प्रचालित किया जा रहा है।

वायु या उत्सर्जन के नमूने लेने की शक्ति और उसके सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

26. (1) राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह विश्लेषण के प्रयोजन के लिए वायु के या किसी चिमनी, वाहिनी या धूमनाल या किसी अन्य निकास से उत्सर्जन के नमूने ऐसी रीति में ले, जैसी विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन उत्सर्जन के लिए गए किसी नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि उपधारा (3), और (4) के उपबन्धों का पालन नहीं कर दिया जाता।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब उत्सर्जन का नमूना उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए दिया गया है, तब नमूना लेने वाला व्यक्ति—

(क) ऐसे विश्लेषण कराने के अपने आशय की सूचना ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता पर तुरन्त तामील करेगा;

(ख) अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता की उपस्थिति में, विश्लेषण के लिए, उत्सर्जन का नमूना लेगा * * * * * ;

(ग) नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा जिसे चिह्नित और सीलबन्द किया जाएगा और उस पर नमूना लेने वाला व्यक्ति और अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता हस्ताक्षर करेंगे;

(घ) आधान या आधानों को, धारा 17 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को अथवा, यदि अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता द्वारा, जब उस पर खण्ड (क) के अधीन सूचना की तामील की जाती है, उस निमित्त अनुरोध किया जाए तो धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को बिना विलम्ब के, भेजेगा।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए उत्सर्जन का नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता पर उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की तामील करता है, तो—

(क) ऐसे मामले में जहां अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण के लिए उत्सर्जन का नमूना लेगा और नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा, जिसे चिह्नित और सीलबन्द किया जाएगा और नमूना लेने वाला व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा, और

(ख) ऐसे मामले में जहां नमूना लिए जाने के समय अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता उपस्थित तो है किन्तु उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन अपेक्षित रूप में उत्सर्जन के नमूने के चिह्नित और सीलबन्द आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है तो चिह्नित और सीलबन्द आधान या आधानों पर नमूना लेने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा,

और आधान या आधानों को धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए बिना विलम्ब के भेजेगा और ऐसा व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सरकारी विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के यथास्थिति जानबूझकर अनुपस्थित रहने या आधान अथवा आधानों पर हस्ताक्षर करने से उसके इन्कार करने के बारे में लिखित जानकारी देगा।

* * * *

धारा 26 के अधीन लिए गए नमूनों के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट।

27. (1) जहां उत्सर्जन का नमूना राज्य बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजा जाता है वहां धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त सम्बद्ध बोर्ड विश्लेषक नमूने का विश्लेषण करेगा और विहित प्ररूप में ऐसे विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट तीन प्रतियों में, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड को देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर रिपोर्ट की एक प्रति राज्य बोर्ड धारा 26 में निर्दिष्ट अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता को भेजेगा, दूसरी प्रति उस न्यायालय में, जिसमें उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही की जा सकती है, पेश किए जाने के लिए रखी जाएगी और तीसरी प्रति राज्य बोर्ड रखेगा।

(3) जहां कोई नमूना धारा 26 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विश्लेषण के लिए उसमें उल्लिखित किसी प्रयोगशाला को भेजा गया है वहां उक्त उपधारा (4) में निर्दिष्ट सरकारी विश्लेषक नमूने का विश्लेषण करेगा और विश्लेषण के परिणाम की विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट तीन प्रतियों में, राज्य बोर्ड को भेजेगा जो उपधारा (2) के उपबन्धों का अनुपालन करेगा :

* * * * *

(4) धारा 26 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) में उपबन्धित रूप में, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के अनुरोध पर किसी नमूने का विश्लेषण कराने में उपगत खर्च या उस धारा की उपधारा (4) के अधीन उसके जानबूझकर अनुपस्थित रहने या उत्सर्जन के नमूने के चिह्नित और सीलबन्द आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने की दशा में, ऐसे अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता द्वारा संदेय होगा और व्यतिक्रम की दशा में वह उससे भू-राजस्व या लोक मांग की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

राज्य वायु प्रयोगशाला ।

28. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) एक या अधिक राज्य वायु प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन राज्य वायु प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्य करने के लिए एक या अधिक प्रयोगशालाएं या संस्थानों को राज्य वायु प्रयोगशालाओं के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित को करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) राज्य वायु प्रयोगशाला के कृत्य;

(ख) उत्सर्जन के नमूने, विश्लेषण या परीक्षण के लिए उक्त प्रयोगशाला को भेजने के लिए प्रक्रिया, उस पर प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्ररूप और ऐसी रिपोर्ट की बाबत संदेय फीस;

(ग) ऐसे अन्य विषय जो उस प्रयोगशाला को अपने कृत्य करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक या समीचीन हैं ।

विश्लेषक ।

29. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, और जो विहित अर्हताएं रखते हैं, धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट किसी प्रयोगशाला का विश्लेषण के लिए भेजे गए उत्सर्जन के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी ।

(2) धारा 14 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे और जो विहित अर्हताएं रखते हैं, धारा 17 के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे गए उत्सर्जन के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए बोर्ड विश्लेषक नियुक्त कर सकेगा ;

विश्लेषकों की रिपोर्ट ।

30. किसी दस्तावेज का जिसका, यथास्थिति, किसी सरकारी विश्लेषक या किसी राज्य बोर्ड विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना तात्पर्यित है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है ।

अपीलें ।

31. (1) इस अधिनियम के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उसे वह आदेश संसूचित किया गया है, तीस दिन के भीतर ऐसे प्राधिकरण को (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकरण कहा गया है), अपील कर सकेगा जिसे राज्य सरकार गठित करना ठीक समझे :

परन्तु अपील प्राधिकरण तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जब ऐसे प्राधिकरण का यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था ।

(2) अपील प्राधिकरण एक या तीन व्यक्तियों से, जैसा भी राज्य सरकार ठीक समझे, मिल कर बनेगा । ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी ।

(3) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे उपधारा (1) के अधीन अपील की जा सकेगी तथा ऐसी अपील के लिए संदेय फीस और अपील प्राधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन की गई अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकरण, अपीलार्थी और राज्य बोर्ड को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा यथासम्भव शीघ्र करेगा।

अध्याय 5

निधि, लेखा और लेखापरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिदाय।

32. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् हर एक वित्तीय वर्ष में राज्य बोर्डों को ऐसे अभिदाय कर सकेगा जो वह राज्य बोर्डों को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के पालन के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझे :

1974 का 6

परन्तु इस धारा की कोई बात जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अधीन जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए गठित किसी राज्य बोर्ड को जिसे उस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अपनी निधि में से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी धन व्यय करने के लिए सशक्त कर दिया गया है, लागू नहीं होगी।

बोर्ड की निधि।

33. (1) इस अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक राज्य बोर्ड की इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपनी एक निधि होगी और वे सभी राशियां, जो समय-समय पर, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त की जाएं तथा उस बोर्ड की (राज्य सरकार से अभिदाय, यदि कोई हैं, फीस, दान, अनुदान, संदान, उपकृति के रूप में या अन्यथा) सभी अन्य प्राप्तियां उस बोर्ड की निधि में जमा की जाएंगी और बोर्ड द्वारा सभी संदाय उसी में से किए जाएंगे।

(2) प्रत्येक ऐसा राज्य बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां व्यय कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उस बोर्ड की निधि में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।

1974 का 6

(3) इस धारा की कोई बात जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अधीन जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए गठित किसी राज्य बोर्ड को, जिसे उस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अपनी निधि में से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी धन व्यय करने के लिए सशक्त कर दिया गया है, लागू नहीं होगी।

बजट।

34. यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड हर एक वित्तीय वर्ष के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, बजट तैयार करेगा ; इसमें अधिनियम के अधीन प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित होंगे तथा उसकी प्रतियां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

35. (1) केन्द्रीय बोर्ड हर एक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन उसके क्रियाकलाप का सही और पूर्ण विवरण होगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी तथा वह सरकार ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को, उस सरकार को उसके प्राप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(2) प्रत्येक राज्य बोर्ड हर एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन उसके क्रियाकलाप का सही और पूर्ण विवरण होगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएंगी तथा वह सरकार ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट, उस सरकार को उसके प्राप्त होने की तारीख से नौ मास के भीतर, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी ।

लेखा और लेखा-परीक्षा ।

36. (1) प्रत्येक बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्बन्ध में समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विहित करे ।

(2) बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अधीन कम्पनियों के लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप में अर्हित हैं । 1956 का 1

(3) उक्त लेखापरीक्षक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त प्रत्येक लेखापरीक्षक को बहियों, लेखा, सम्बद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों के पेश किए जाने की मांग करने का और बोर्ड के कार्यालयों में से किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(5) प्रत्येक ऐसा लेखापरीक्षक, लेखाओं की लेखा परीक्षित प्रति सहित, अपनी रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को भेजेगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार उपधारा (5) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

(7) राज्य सरकार उपधारा (5) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, उसे राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 6
शास्तियां और प्रक्रिया

धारा 21(5) या धारा 22 के उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए आदेशों या निदेशों का पालन करने में असफल रहना ।

37. (1) जो कोई धारा 21 की उपधारा (5) या धारा 22 के उपबंधों का या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या अनुदेश का पालन करने में असफल रहेगा, वह हर एक ऐसी असफलता की बाबत कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और यदि असफलता जारी रहती है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसी प्रथम असफलता के लिए दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता, दोषसिद्ध किए जाने की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की अवधि से आगे भी जारी रहती है तो अपराधी कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

38. जो कोई—

(क) बोर्ड के प्राधिकार से या उसके अधीन भूमि पर लगे किसी स्तम्भ, थम्ब या खूंटे को या लगाए गए, अन्तर्लिखित या रखी गई किसी सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा या क्षति पहुंचाएगा या उसे विरूपित करेगा; अथवा

कतिपय कार्यों के लिए शास्ति ।

(ख) बोर्ड के आदेशों या निदेशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में बाधा डालेगा ; अथवा

(ग) बोर्ड के किसी संकर्म या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाएगा; अथवा

(घ) बोर्ड को या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा जिसकी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बोर्ड या ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपेक्षा करे; अथवा

(ङ) राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक परिमाण में वायु प्रदूषकों के वायुमण्डल में उत्सर्जन की घटना या ऐसी घटना होने की आशंका की सूचना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप में राज्य बोर्ड और अन्य विहित प्राधिकरणों या अभिकरणों को देने में सफल रहेगा; अथवा

(च) कोई ऐसी जानकारी देने में, जिसका दिया जाना उससे इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, जानते हुए या जानबूझकर ऐसा कथन करता है जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्टि मिथ्या है ; अथवा

(छ) धारा 21 के अधीन कोई सहमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए जानते हुए या जानबूझकर ऐसा कथन करता है जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्टि मिथ्या है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

39. जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई भी शास्ति उपबंधित नहीं की गई है, वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

40. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का सीधे भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

कम्पनियों द्वारा अपराध ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

सरकारी विभागों द्वारा अपराध।

41. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां, विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी विभागाध्यक्ष को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

42. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।

अपराधों का संज्ञान।

43. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य बोर्ड द्वारा या उसकी लिखित पूर्व मंजूरी से किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों, और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

44. बोर्ड के सभी सदस्य, सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों, या जब उनका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। 1860 का 45

रिपोर्ट और विवरणियां।

45. केन्द्रीय बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को और राज्य बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के

संबंध में राज्य सरकार को और केन्द्रीय बोर्ड को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां, आंकड़े, लेखा और अन्य जानकारी देगा जिनकी, यथास्थिति, वह सरकार या केन्द्रीय बोर्ड, समय-समय पर अपेक्षा करे ।

46. किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसी बात के बारे में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका अवधारण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त किया गया है और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी कोई व्यादेश नहीं देगा। अधिकारिता का वर्जन ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

47. (1) यदि किसी समय राज्य सरकार की यह राय हो कि,— राज्य सरकार की राज्य बोर्ड को अतिष्ठित करने की शक्ति ।

(क) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों के पालन में बार-बार व्यतिक्रम किया है, या

(ख) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है ,

तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य बोर्ड को अधिक से अधिक छह मास की ऐसी अवधि के लिए अतिष्ठित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु खण्ड (क) में उल्लिखित कारणों के आधार पर इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व राज्य सरकार, राज्य बोर्ड को यह हेतुक दर्शित करने लिए उचित अवसर देगी कि क्यों न उसे अतिष्ठित किया जाए और राज्य बोर्ड के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हैं, विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य बोर्ड को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) अतिष्ठित किए जाने की तारीख से सभी सदस्य उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, जिनका इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन राज्य बोर्ड द्वारा प्रयोग, पालन या निर्वहन किया जा सकता है, जब तक कि राज्य बोर्ड उपधारा (3) के अधीन पुनर्गठित नहीं किया जाता है तब तक ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग, पालन या निर्वहन किए जाएंगे जिन्हें राज्य सरकार निदेश दे ;

(ग) राज्य बोर्ड के स्वामित्व या उसके नियंत्रण के अधीन सभी सम्पत्ति उस समय तक राज्य सरकार में निहित रहेगी जब तक उपधारा (3) के अधीन बोर्ड पुनर्गठित नहीं हो जाता ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित किए जाने की अवधि की समाप्ति पर राज्य सरकार,—

(क) अतिष्ठित किए जाने की अवधि को अधिक से अधिक छह मास की ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो वह आवश्यक समझे ; या

(ख) राज्य बोर्ड को, यथास्थिति, नए नामनिर्देशन या नियुक्ति द्वारा पुनर्गठित कर सकेगी और ऐसी दशा में वह व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया है, नामनिर्देशन या नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा :

परन्तु राज्य सरकार, अतिष्ठित किए जाने की अवधि की, चाहे वह अवधि उपधारा (1) के अधीन आरम्भ में विनिर्दिष्ट की गई अवधि है या चाहे उस उपधारा के अधीन बढ़ाई गई अवधि है, समाप्ति के पूर्व किसी भी समय इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन कार्यवाही कर सकती है ।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्डों के अतिष्ठित किए जाने की दशा में विशेष उपबंध ।

48. जहां जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड या किसी राज्य बोर्ड को उस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अतिष्ठित कर दिया जाता है वहां इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय बोर्ड या ऐसे राज्य बोर्ड की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे अतिष्ठित कर दिए जाने की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग, पालन या निर्वहन किए जाएंगे जो ऐसी अवधि के दौरान जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन केन्द्रीय बोर्ड या ऐसे राज्य बोर्ड की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, पालन या निर्वहन करता है या करते हैं ।

1974

1974

इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्डों का विघटन ।

49. (1) जैसे ही और जब किसी राज्य में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 प्रवृत्त होता है और राज्य सरकार उस अधिनियम के अधीन राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन करती है वैसे ही इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड का विघटन हो जाएगा और प्रथम वर्णित बोर्ड राज्य में द्वितीय वर्णित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा ।

1974 का

(2) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड के विघटन पर,—

(क) सभी सदस्य उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसे विघटन के तुरन्त पूर्व राज्य बोर्ड के स्वामित्व के अधीन या उसमें निहित सभी धन और हर प्रकार की अन्य सम्पत्ति (जिसके अन्तर्गत राज्य बोर्ड की निधि भी है), राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड को अन्तरित हो जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी ;

(ग) ऐसे विघटन से तुरन्त पूर्व राज्य बोर्ड के अधीन सेवारत प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड को अन्तरित होकर उसका अधिकारी या अन्य कर्मचारी बन जाएगा और वह उसी पदावधि तक और उसी पारिश्रमिक पर और सेवा के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर पद धारण करेगा जिन पर वह उस पद को उस दशा में धारण करता जब इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड का विघटन न हुआ होता और वह ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबन्धनों और शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिए जाते :

परन्तु ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की पदावधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबन्धनों और शर्तों में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे परिवर्तन नहीं किए जाएंगे जो उसके लिए अलाभकर हैं ;

(घ) ऐसे विघटन से ठीक पहले राज्य बोर्ड के हर प्रकार के सभी दायित्व और बाध्यताएं, यथास्थिति, राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड के दायित्व या बाध्यताएं समझी जाएंगी और ऐसे किसी दायित्व और बाध्यता के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसे विघटन से ठीक पूर्व लम्बित या विद्यमान कोई भी कार्यवाही या वादहेतुक राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड द्वारा उसके विरुद्ध जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा ।

अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति ।

50. (1) केन्द्रीय सरकार स्वप्रेरणा से या बोर्ड की सिफारिश पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में कोई नया उद्योग जोड़ सकेगी या किसी उद्योग को उसमें से निकाल सकेगी अथवा किसी उद्योग के वर्णन में परिवर्तन कर सकेगी और तब अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

रजिस्टर का रखा जाना ।

51. (1) प्रत्येक राज्य बोर्ड एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जिन्हें धारा 21 के अधीन सहमति अनुदत्त की गई है, ऐसी प्रत्येक सहमति के संबंध में उसके द्वारा उत्सर्जन के लिए अधिकथित मानक तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां अन्तर्विष्ट की जाएंगी जो विहित की जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रखा गया रजिस्टर ऐसे किसी व्यक्ति के, जो उत्सर्जन के लिए ऐसे मानकों से हितबद्ध है या प्रभावित हुआ है, अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उचित समयों पर खुला रहेगा ।

अन्य विधियों का प्रभाव ।

1962 का 23

52. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय रेडियोधर्मी वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

53. (1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित विषयों के बारे में नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) वे अन्तराल तथा वह समय और स्थान जिन या जिस पर केन्द्रीय बोर्ड के या इस अधिनियम के अधीन गठित उसकी किसी समिति के अधिवेशन किए जाएंगे, तथा ऐसे अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत धारा 10 की उपधारा (1) और धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन कामकाज करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी है ;

(ख) केन्द्रीय बोर्ड की किसी समिति के सदस्यों को, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं, धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन संदेय फीसें और भत्ते ;

(ग) वह रीति जिसमें और वे प्रयोजन जिनके लिए धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन बोर्डों के साथ व्यक्ति सहयुक्त किए जा सकेंगे ;

(घ) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय बोर्ड से सहयुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन संदेय फीसें और भत्ते ;

(ङ) धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (ञ) के अधीन केन्द्रीय बोर्ड द्वारा पालन किए जाने वाले कृत्य ;

(च) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर केन्द्रीय बोर्ड का बजट और वार्षिक रिपोर्ट धारा 34 और 35 के अधीन तैयार की जा सकेंगी और केन्द्रीय सरकार को भेजी जा सकेंगी ;

(छ) वह प्ररूप जिसमें केन्द्रीय बोर्ड के लेखे धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन रखे जा सकेंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

54. उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 53 की परिधि के अन्तर्गत न आने वाले विषयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड के (* * * सदस्य-सचिव से भिन्न) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की, धारा 7 की उपधारा (7) के अधीन, सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

* * * * *

(ख) धारा 10 की उपधारा (1) और धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन राज्य बोर्ड और उसकी किसी समिति के अधिवेशनों का अन्तराल और समय तथा स्थान और ऐसे अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत उनमें कामकाज करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी है ;

(ग) राज्य बोर्ड की किसी समिति के ऐसे सदस्यों को जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं, धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन संदेय फीसें और भत्ते ;

(घ) वह रीति जिसमें और वे प्रयोजन जिनके लिए धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य बोर्ड के साथ व्यक्ति सहयुक्त किए जा सकेंगे ;

(ङ) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय बोर्ड से सहयुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन संदेय फीसें और भत्ते ;

(च) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड के सदस्य-सचिव की, धारा 14 की उपधारा (1) के सेवा के अधीन निबन्धन और शर्तें ;

(छ) किसी राज्य बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन प्रयोग की जाने वाले शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्य ;

(ज) वे शर्तें जिन पर कोई राज्य बोर्ड धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह राज्य बोर्ड के कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक समझता है ;

(झ) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए कोई राज्य बोर्ड धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन किसी परामर्शी को नियुक्त कर सकेगा ;

(ञ) धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा पालन किए जाने वाले कृत्य ;

(ट) वह रीति जिससे धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा ;

(ठ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन राज्य बोर्ड की सहमति के लिए आवेदन का प्ररूप, उसके लिए संदेय फीस, वह अवधि जिसके भीतर ऐसा आवेदन किया जाएगा और वे विशिष्टियां जो उसमें दी जा सकेंगी ;

(ड) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन जांच के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ढ) वे प्राधिकरण और अभिकरण जिनको धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन जानकारी दी जाएगी ;

(ण) वह रीति जिसमें धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन वायु या उत्सर्जन के नमूने लिए जा सकेंगे ;

(त) धारा 26 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना का प्ररूप ;

(थ) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन राज्य बोर्ड विश्लेषक की रिपोर्ट का प्ररूप ;

(द) धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट का प्ररूप ;

(ध) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन राज्य वायु प्रयोगशाला के कृत्य, विश्लेषण या परीक्षण के लिए उक्त प्रयोगशाला को वायु या उत्सर्जन के नमूने देने के लिए प्रक्रिया, उस पर प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्ररूप, ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में देय फीसें और ऐसे अन्य विषय जो प्रयोगशाला के कृत्यों को करने के लिए, उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं ;

(न) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी विश्लेषकों के लिए अपेक्षित अर्हताएं ;

(प) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन राज्य बोर्ड विश्लेषकों के लिए अपेक्षित अर्हताएं ;

(फ) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन वह प्ररूप और वह रीति जिसमें अपीलें की जा सकती हैं, ऐसी अपीलों के लिए देय फीसें और अपीलों के निपटारे के लिए अपील प्राधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ब) धारा 34 और 35 के अधीन वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर राज्य बोर्ड का बजट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और राज्य सरकार को भेजी जाएगी ;

(भ) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें राज्य बोर्ड के लेखे रखे जा सकेंगे ;

(म) वे विशिष्टियां जो धारा 51 के अधीन रखे गए रजिस्टर में अन्तर्विष्ट की जा सकेंगी ;

(य) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) राज्य बोर्ड के प्रथम गठन के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी विषय के [उसके खण्ड (क) में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न] सम्बन्ध में कोई नियम उस बोर्ड से परामर्श किए बिना न तो बनाया जाएगा न परिवर्तित किया जाएगा न संशोधित किया जाएगा और न निरसित ही किया जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 21, 22, 24 और 50 देखिए)

1. लोह और इस्पात संयंत्र ।
2. अलोह धातु उद्योग ।
3. फाउन्ड्रियां ।
4. खनन और अयस्क प्रसंस्करण उद्योग ।
5. कोक भट्टी और कोयला प्रसंस्करण संयंत्र ।
6. पैट्रोलियम और पैट्रो रासायनिक उद्योग ।
7. शक्ति संयंत्र और बायलर संयंत्र ।
8. रसायन और सम्बद्ध उद्योग ।
9. मृत्तिका और सीमेंट (जिसके अन्तर्गत एस्बेस्टास भी है) उद्योग ।
10. वस्त्र (जिसके अन्तर्गत ओटाई भी है) उद्योग ।
11. पशु और कृषि उत्पादों के लिए प्रसंस्करण संयंत्र ।
12. अपशिष्टों, जिनके अन्तर्गत भस्मित्र भी है, से पुनः प्राप्ति और उसके व्ययन के लिए संयंत्र ।
13. लुगदी और कागज उद्योग ।

परिशिष्ट एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

"कि वायु-प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण और उपशमन के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से वायु-प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिए बोर्डों की स्थापना के लिए, ऐसे बोर्डों को, उनसे सम्बन्धित शक्तियों और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 30 सदस्य हों, इस सभा से 20 अर्थात् :—

1. श्री पी० अन्बालगन
2. श्री मनोरंजन भक्त
3. श्री गणनाथ प्रधान
4. श्री दिनेश जोरदर
5. श्री बी० पी० कदम
6. डा० कर्ण सिंह
7. श्रीमती पार्वती कृष्णन्
8. श्री एम० बी० कृष्णप्पा
9. श्री बी० पी० मण्डल
10. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
11. श्री आर० के० महालगी
12. श्री गोविन्द राम मिरी
13. श्री नथुनी राम
14. श्री आर० एन० राकेश
15. श्री राम किंकर
16. श्री राम मूर्ति
17. श्री वसन्त साठे
18. श्री चिमन भाई एच० शुक्ल
19. श्री ए० मुन्ना साहिब
20. श्री सिकन्दर बख्त

और राज्य सभा के 10 सदस्य,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्त तक अपना प्रतिवेदन सभा को पेश करेगी;

कि अन्य मामलों में, इस सभा के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

परिशिष्ट दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य सभा में स्वीकृत प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा वायु-प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण और उपशमन के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से वायु-प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिए बोर्डों की स्थापना के लिए, ऐसे बोर्डों को, उनसे संबन्धित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक से सम्बन्धित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, तथा यह संकल्प करती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित 10 सदस्य उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किये जायें :—

1. श्री ए० आर० अन्तुले
2. प्रो० सौरेन्द्र भट्टाचार्य
3. श्री धर्मचन्द जैन
4. श्री गयूर अली खां
5. श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब
6. श्री लक्ष्मण महापात्र
7. श्री प्रेम मनोहर
8. श्री अजीत कुमार शर्मा
9. श्री त्रिलोकी सिंह
10. डा० रफीक ज़कारिया"

परिशिष्ट—तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 7)

उन ऐसोसियेशनों/संगठनों इत्यादि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, नयी दिल्ली।
2. नेशनल कमेटी ओन इन्वयरेनमेंटल प्लानिंग कोआर्डिनेशन के चेयरमैन और (2) नेशनल कमेटी आन साइन्स एण्ड टैक्नालोजी, नयी दिल्ली के चेयरमैन की संयुक्त टिप्पणियां।
3. निदेशक, दि आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन औफ इण्डिया, पूना।
4. चेयरमैन, पंजाब राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड, पटियाला।
5. सदस्य सचिव, कर्नाटक राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड, बंगलौर।
6. चेयरमैन, पश्चिम बंगाल जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड, कलकत्ता।
7. निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओसियनोग्राफी, गोवा।
8. मुख्य इंजीनियर, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम।
9. निदेशक, विज्ञान संस्थान, बम्बई।
10. चेयरमैन, गुजरात जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधी नगर. गुजरात जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधी नगर [अनुपूरक 10(1)] पटनागर योजना भवन, गांधी नगर [अनुपूरक 12(1)]।
11. डाइरेक्टर जनरल आफ ओबजरवेटरीज, नयी दिल्ली।
12. प्रो०टी०शिवाजी राव, प्रो०इन एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग, आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टियर। श्री टी० शिवाजी राव, आन्ध्र यूनिवर्सिटी कालेज आफ इंजनियरिंग, विशाखापत्तनम, [अनुपूरक 12(1)]।
13. निदेशक, भाभा आटोमिक रिसर्च सेंटर, बम्बई।
14. डाइरेक्टर, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता।
15. श्री एस० के० बासु, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान, नई दिल्ली।
16. महाराष्ट्र स्टेट वोमेन्स काऊंसिल टाउन हाल (सेंट्रल लाइब्रेरी), सरदार भगत सिंह मार्ग, बम्बई।
17. प्रो० सी० एच० पाठक, हैड, बौटनी विभाग, दि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, बड़ौदा–2।
18. सचिव, कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
19. दि फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड, उद्योग मण्डल (केरल राज्य)।
20. इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैकनोलाजी, मद्रास।
21. श्री एस० आर० डी० गुहा, डाइरेक्टर, फोरेस्ट प्रोडक्ट्स रिसर्च, फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एण्ड कालेज, देहरादून।
22. इण्डियन नेशनल कमेटी फार इंटरनेशनल हाइड्रोलोजिकल प्रोग्राम, टेक्नोलाजी भवन, नई दिल्ली।
23. श्री टी० एन० खुशबू, डाइरेक्टर, नेशनल बोटनिक गार्डन्स, लखनऊ।
24. कोल इण्डिया लिमिटेड, 10 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता।

25. जूरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, जय किशन भवन, जुरारी नगर, गोवा।

26. रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर, महात्मा गांधी एवेन्यू, दुर्गापुर।

27. स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।

28. इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपीकल मेट्रोलोजी, रामदुर्ग हाउस, पूना।

29. डा० एस० के० जैन, डाइरेक्टर, बोटनियल सर्वे आफ इण्डिया, पो० ओ० बोटनिक गार्डन, हावड़ा।

30. गवरमेंट आफ मध्य-प्रदेश, हाउसिंग एण्ड एन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, भोपाल।

31. डी० सी० एम० केमिकल वर्क्स, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली।

32. नेशनल एन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेहरू मार्ग, नागपुर।

33. हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड फौर प्रीवेन्टीव एण्ड कण्ट्रोल आफ वाटर पोलूशन, यू० एस० क्लब, शिमला।

34. बम्बई मैट्रोपालिटन रिजन डेवलपमेंट अथोरिटी, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, मादमेकामे रोड, बम्बई।

35. महाराष्ट्र प्रीवेंशन आफ वाटर पौलूशन बोर्ड, आर्मी एण्ड नेवी बिल्डिंग, ग्राउन्ड फ्लौर, एम० जी० रोड, फोर्ट बम्बई।

36. श्री सी० आर० महादेवन, जनरल मैनेजर (केमिकल), नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली।

37. प्रो० वी० रामालिंगास्वामी, डाइरेक्टर, आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईन्स, अन्सारी नगर, नई दिल्ली।

38. श्री सरन प्रसाद, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

39. श्रीमती नीना रानजान, एडीशनल डारेक्टर, डारेक्ट्रेट आफ इण्डस्ट्रीज, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

40. चीफ प्लानर, टाउन एण्ड कांट्री प्लानिंग आरगनाइजेशन, गवर्नमेंट आफ इण्डिया, मिनिस्ट्री आफ वर्क्स एण्ड हाउसिंग, दिल्ली विकास भवन, इन्द्र प्रस्थ ऐस्टेट, ई ब्लाक, नई दिल्ली।

41. श्री अशोक नारायण, उपसचिव, भारत सरकार, श्रम मन्त्रालय, नई दिल्ली।

42. एशोसिएटिड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इण्डिया, नई दिल्ली।

43. स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।

44. प्रो० हर्षवर्द्धन, डाइरेक्टर, सेंट्रल साइन्टिफिक इंस्ट्रूमेंट ओरग्नाइजेशन, सेक्टर 30, चण्डीगढ़।

45. श्री पी० एच० वोगटलेंडर, वर्क्स मैनेजर, नेशनल आरनिक केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, थाना बेलापुर रोड, पोस्ट बाक्स—73, थाना, महाराष्ट्र स्टेट।

46. दि चीफ इन्सपेक्टर एण्ड सेक्रेटरी, स्मोकन्यूसेंसिस डारेक्ट्रेट, 60बी, चौरंगी रोड, कलकत्ता।

47. चेयरमैन, बोर्ड फार प्रीवेंशन एण्ड कण्ट्रोल आफ वाटर फौलूशन, असम, साउथ सारानिया, उलूबारी, गौहाटी।

48. इण्डियन केमिकल मैन्यूफैक्चरस एसोसियेशन, इण्डिया एक्सचेंज, इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता।

इण्डियन केमिकल मैन्यूफेक्चरर्स एसोसियेशन, बम्बई।

[अनुपूरक 48(1)]

49. केरल स्टेट बोर्ड फार प्रीवेन्शन एण्ड कण्ट्रोल आफ वाटर पौलूशन, कावदीयर, त्रिवेन्द्रम।

50. राजस्थान स्टेट बोर्ड फार प्रीवेन्शन एण्ड कण्ट्रोल आफ वाटर पौलूशन, जयपुर।

51. म्यूनिसिपल कार्पोरेशन आफ ग्रेटर बम्बई ।
52. दि फर्टिलाइजर एसोसियेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली ।
53. इण्डस्ट्रियल टैक्सीरोलोजी रिसर्च सेण्टर, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ ।
54. स्कूल आफ एन्वायरमेंटल साईसिस, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली ।
55. नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पूना ।
56. हिन्दुस्तान आरगानिक कैमिकल्स लिमिटेड, हरचन्द्राई हाऊस, 81, महाऋषि कार्वे रोड, बम्बई ।
57. इण्डियन काऊंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, अंसारी नगर, नई दिल्ली ।
58. गुजरात वाटर पौलूशन कण्ट्रोल बोर्ड, पन्तनगर योजना भवन, ए ब्लाक, सेक्टर, गांधी नगर ।
59. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेम्बर, बम्बई ।
60. स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट, बिहार ।
61. इजरो हैडक्वाटरस, कौवेरी भवन, बंगलौर ।
62. इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन, बम्बई ।
63. डा० एच० जी० अभयंकर, 3 आनन्द आश्रम, 422/बी, गोखले रोड, पूना ।
64. उद्योग आयुक्त का कार्यालय, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सी-ब्लाक, तीसरी मंजिल, लाल दरवाजा अहमदाबाद ।
65. फैडरेशन आफ इण्डिया चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री फैडरेशन हाउस, नई दिल्ली ।
66. कोल इण्डिया लिमिटेड, 10, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।
67. दि चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, हरियाणा ।
68. जन स्वास्थ्य विभाग सचिवालय, पणजी, गोवा ।
69. केन्द्रीय खनन अनुसन्धान स्टेशन, धनबाद (बिहार) ।
70. भारती कल्चरल एण्ड वैल्फेयर एसोसियेशन, कोराट्टूर, मद्रास ।
71. सेण्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स, नई दिल्ली ।
72. हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेडइनसरूप यूनिट, डिबरुगढ़ ।
73. बम्बई चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बम्बई ।
74. श्री वी० ए० देशमुख, विष्णु नगर, डोम्बीवाली (पश्चिम) महाराष्ट्र ।
75. गुजरात नर्मदेव वैली फर्टीलाइजरस कम्पनी लिमिटेड, बड़ौदा ।
76. अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, नई दिल्ली ।
77. इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता ।
78. दि बम्बई गैस कम्पनी लिमिटेड, डा० दादाभाई नारोजी रोड, बम्बई ।
79. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, जमशेदजी टाटा रोड, बम्बई ।
80. बिहार स्टेट वाटर पौलूशन कण्ट्रोल एण्ड प्रीवेन्शन बोर्ड, पटना ।
81. उद्योग विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर ।
82. दि एम्पलाईज एसोसियेशन आफ इण्डिया, कानपुर ।
83. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।
84. डा० पी० जे० देवरस, मेडीकल वायलोजिस्ट, कंसलटेंट, पोस्ट ग्रेजुएट गाईड, बम्बई यूनिवर्सिटी, बम्बई ।
85. श्री एस० के० राव, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली ।
86. भारत चेम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता ।

परिशिष्ट—चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 10)

विशेषज्ञ वैज्ञानिक और पर्यावरणविदों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के सामने साक्ष्य दिया

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की तारीख
1.	प्रो० जे० एम० दवे, स्कूल आफ इंवायरनमेंटल साईंसिस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के विभागाध्यक्ष	1–2–1979
2.	श्री बी० के० थापर, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली . .	1–2–1979
	सहायक : श्री बी० एन० टण्डन, निदेशक (विज्ञान) भारतीय पुरातत्व विभाग।	
3.	श्री एम० के० नायक, महाप्रबन्धक, मथुरा तेल शोधन परियोजना, भारतीय तेल निगम, मथुरा	1–2–1979
	सहायक : श्री बी० एम० मोरे, प्रबन्धक, (प्रदूषण नियन्त्रण) भारतीय तेल निगम।	
4.	प्रो० टी० शिवाजी राव, प्रो० पर्यावरण स्वास्थ्य इंजीनियरी आन्ध्र विश्वविद्यालय वाल्टेयर, .	1–2–1979
5.	प्रो० बी० सुन्दरेशन, निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था, कानपुर .	2–2–1979
6.	डा० निलय चौधरी, चेयरमैन, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली .	2–2–1979
7.	डा० बी० बी० चटर्जी, प्रो० साइकलोजिकल एण्ड एण्डस्ट्रियल हाईजीन, आल इंडिया इन्स्टीच्यूट आफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता . .	2–2–1979
8.	डा० पी० के० देवरस, मैडिकल बायोलोजिस्ट, कनसलटेंट पोस्ट ग्रेजुएट गाइड, बाम्बे यूनीवर्सिटी कन्सलटेंट, बम्बई	3–2–1979
9.	श्री बी० वी० बोहरा, सेक्रेटरी, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय नई दिल्ली . .	3–2–1979
	सहायक : श्री टी० एस० नायर, सलाहकार (रिफाइनरी) श्री के० एस० चन्द्रचूड़न, निदेशक (रिफाइनरी)।	

परिशिष्ट पांच

वायु (प्रदूषण निवरण और नियंत्रण) विधेयक, 1978 सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

पहली बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 30 अगस्त 1978 को 09.30 बजे से 10.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

डा० करन सिंह—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मनोरंजन भक्त
3. श्री दिनेश जोरदार
4. श्रीमती पार्वती कृष्णन
5. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
6. श्री आर० के० महालगी
7. श्री गोविन्दराम मिरी
8. श्री नथुनी राम
9. श्री गणनाथ प्रधान
10. श्री राममूर्ति
11. श्री चिमनभाई एच० शुक्ल
12. श्री ए० सुन्ना साहिब
13. श्री सिकन्दर बख्त

राज्य सभा

14. प्रो० सुरेन्द्र भट्टाचारजी
15. श्री धर्मचन्द जैन
16. श्री गयूर अली खान
17. श्री प्यारेलाल कुरील उर्फ प्यारेलाल तालिब
18. श्री लक्ष्मण महापात्र
19. श्री प्रेम मनोहर
20. श्री अजीत कुमार शर्मा
21. श्री त्रिलोकी सिंह
22. डा० रफीक जकारिया

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय—**मुख्य विधायी समिति अधिकारी।**

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती रमा देवी—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री पी० जेठमलानी—सहायक विधायी परामर्शदाता ।

निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरुल्लाह—संयुक्त सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।
2. डा० निलय चौधरी—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड ।
3. श्री बी० वी० रोतकर—सदस्य सचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड ।
4. श्री एस० टी० खरे— सलाहकार (पी० एच० ई० ई०), सी० पी० एच० ई० ई० ओ०, निर्माण और आवास मंत्रालय ।
5. श्री पी० एस० ए० सुन्दरम—उपसचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री बी० सी० नायर—संयुक्त सचिव ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि

श्री डी० के० विश्वास—प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी ।

2. आरम्भ में सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और प्रस्तावित विधेयक और समिति के समक्ष प्रस्तुत कार्य की महत्ता और अविलम्बनीयता के बारे में बताया ।

3. निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री ने भी प्रस्तावित विधेयक की पृष्ठभूमि उसके प्रभाव और उसकी अविलम्बनीयता के बारे में समिति को बताया ।

4. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया ।

समिति ने निश्चय किया कि विधेयक पर राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों, श्रम संगठनों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों और पर्यावरण तथा प्रदूषण सम्बन्धी अनुसंधान से संबंधित वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, जल प्रदूषण तथा निवारण राज्य बोर्डों और अन्य संगठनों तथा विधेयक के विषय-वस्तु में रुचि रखने वाले विशेषज्ञ व्यक्तियों से 23 सितम्बर, 1978 तक ज्ञापन मंगाये जायें ताकि समिति उन पर विचार कर सके । समिति ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने तथा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, प्रतिनिधि उद्योगों, श्रम संगठनों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों आदि को पत्र लिखकर विधेयक के उपबंधों पर उनके विचार और सुझाव आमंत्रित करने का निश्चय किया । इनकी सूची निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा दी जायेगी ।

5. समिति ने यह भी निश्चय किया कि उपर्युक्त ज्ञापन प्राप्त होने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि मौखिक साक्ष्य लिया जाये या नहीं ।

6. देश में वायु-प्रदूषण की समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से समिति ने निश्चय किया कि माननीय अध्यक्ष की स्वीकृति से कुछ चुने हुए स्थानों का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा किया जाये, जैसाकि नीचे बताया गया है :—

(एक) सम्पूर्ण समिति एक दल के रूप में 30 सितम्बर, 1978 को अपराह्न में दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा करे ;

(दो) सम्पूर्ण समिति एक दल के रूप में 1 अक्तूबर, 1978 को मथुरा और आगरा का दौरा करे ; और

(तीन) समिति को तीन दलों में विभाजित करके (प्रत्येक दल में 10 सदस्य हों) 13 से 17 अक्तूबर, 1978 तक निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया जाये :—

अध्ययन दल 'क'—बम्बई, गोआ, बड़ौदा और अहमदाबाद ।

अध्ययन दल 'ख'—कानपुर, धनबाद, बोकारो, कलकत्ता और गौहाटी ।

अध्ययन दल 'ग'—कोचीन, कोयम्बटूर, मद्रास और बंगलौर ।

अध्ययन दलों के सदस्यों को शहरी क्षेत्रों के अलावा उपर्युक्त शहरों से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योग भी दिखाये जा सकते हैं तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वहां पर प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा सकेगी । सदस्य अहमदाबाद स्थित इंस्टिट्यूट आफ आकुपेशनल हेल्थ, बम्बई स्थित राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा कलकत्ता स्थित आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ हेल्थ एण्ड पब्लिक हाइजीन का दौरा भी करेंगे ।

सभापति को स्थानों के बारे में आवश्यक परिवर्तन करने तथा अध्ययन दलों की रचना को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया गया । सभापति ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अध्ययन दलों के संबंध में अपनी पसंद लोक सभा सचिवालय को बता दें । सचिवालय भी इस संबंध में सदस्यों को पत्र लिखेगा ।

7. समिति का विचार था कि अधिक कार्य और कम समय को देखते हुए सम्पूर्ण कार्य पूरा करना तथा निर्धारित समय अर्थात् अगले सत्र के पहले सप्ताह की समाप्ति तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा । समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बजट पत्र (1979) के आरंभ तक समय बढ़ाने के लिए अनुरोध करना पड़ सकता है । तथापि, इस संबंध में अंतिम निर्णय उपयुक्त समय पर लिया जायेगा ।

8. समिति ने विधेयक के उपबंधों पर सामान्य चर्चा करने तथा प्राप्त होने वाले ज्ञापनों पर विचार करने के लिए 30 सितम्बर, 1978 को पूर्वाह्न में अपनी अगली बैठक करने का निश्चय किया ।

9. समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि निर्माण और आवास मंत्रालय समिति द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञापनों को सारणीबद्ध करे और उनमें उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे जिन पर समिति विचार कर सके ।

10. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक शनिवार दिनांक 30 सितम्बर, 1978 को 11.00 बजे से 12.15 बजे तक हुई ।

उपस्थित

डा० कर्ण सिंह—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मनोरंजन भक्त
3. श्री बी० पी० कदम
4. श्रीमती पार्वती कृष्णन्
5. श्री एम० वी० कृष्णप्पा
6. श्री जगदीश प्रसाद माथुर

7. श्री गोविंद राम मिरी
8. श्री गणनाथ प्रधान
9. श्री राम किंकर
10. श्री राम मूर्ति
11. श्री ए० सुब्बा साहिब
12. श्री सिकन्दर बख्त

राज्य सभा

13. श्री ए० आर० अन्तुले
14. श्री धर्मचन्द जैन
15. श्री गयूर अली खान
16. श्री प्यारेलाल कुरील उर्फ प्यारेलाल तालिब
17. श्री लक्ष्मण महापात्र
18. श्री प्रेम मनोहर
19. श्री अजीत कुमार शर्मा
20. श्री त्रिलोकी सिंह
21. डा० रफीक ज़कारिया

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय—मुख्य विधायी समिति अधिकारी ।

विधायी परामर्शदाता

श्रीमती रमा देवी—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।

निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरुल्ला—संयुक्त सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।
2. डा० निलाय चौधरी—चेयरमैन, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ।
3. श्री बी० वी० पोटकर—सदस्य सचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ।
4. श्री वी० ए० आनन्द दास—उप सलाहकार (पी०एच०ई०), सी पी एच ई ई ओ, निर्माण और आवास मंत्रालय ।
5. श्री पी० एस० ए० सुन्दरम—उप-सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।

विज्ञान और तकनालाजी विभाग के प्रतिनिधि

1. डा० एन० एल० रामनाथन—निदेशक ।
2. श्री ए० रमन—प्रभारी वैज्ञानिक एन ई ई आर आई द्वारा वजीराबाद वाटर वर्क्स दिल्ली ।

उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डा० डी० पी० भट्टाचार्य,—औद्योगिक सलाहकार, डी जी टी डी, नई दिल्ली ।
2. श्री पी० के० एस० अय्यर—उपसचिव, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ।

2. आरम्भ में सभापति ने समिति को सूचित किया कि लोक सभा सचिवालय ने राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों तथा उद्योग, श्रम संगठनों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों आदि के प्रतिनिधियों को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके तथा पत्र लिखकर विधेयक के उपबंधों के बारे में उनकी जो टिप्पणियां तथा सुझाव मांगे थे, उसके प्रत्युत्तर में सचिवालय में 32 ज्ञापन प्राप्त हो चुके हैं । ये ज्ञापन सदस्यों को भेजे जा चुके हैं । आगे जो ज्ञापन प्राप्त होंगे उनको भी जैसे-जैसे वे प्राप्त होते जायेंगे, सदस्यों को भेजा जायेगा । सभापति ने कहा कि ऊपर उल्लिखित ज्ञापनों के

अतिरिक्त लोक सभा सचिवालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय आदि ने विधेयक के संबंध में जो अनेक नोट तथा कागज़ात तैयार किये हैं उनको भी सदस्यों को भेजा गया है।

3. समिति को यह सूचित किया गया कि यद्यपि ज्ञापन प्राप्त करने के लिए 23 सितम्बर, 1978 अंतिम तारीख निश्चित की गई थी किन्तु इस तारीख को आगे बढ़ाने के संबंध में कई अनुरोध प्राप्त होने के कारण समिति ज्ञापन प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि को 20 अक्तूबर, 1978 तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है।

4. उसके बाद सभापति ने समिति द्वारा मौके पर जाकर किये जाने वाले दौरों के बारे में समिति को सूचित किया जिनका कि समिति की पहली बैठक में निर्णय किया गया था। ये इस प्रकार होंगे :—

(एक) शनिवार, 30 सितम्बर, 1978 को सम्पूर्ण समिति सदस्यों को भेजे गए कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली तथा उसके आसपास का दौरा करेगी।

(दो) रविवार, 1 अक्तूबर, 1978 को सम्पूर्ण समिति सदस्यों को भेजे गये कार्यक्रम के अनुसार मथुरा-आगरा का दौरा करेगी।

(तीन) 13 अक्तूबर, से 17 अक्तूबर, 1978 के बीच समिति अपने आपको तीन अध्ययन दलों में विभाजित कर समिति की बैठक में सदस्यों को परिचालित किये गये कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित स्थानों का दौरा करेगी :

अध्ययन दल 'क'—गोवा, बम्बई, बड़ौदा तथा अहमदाबाद।
अध्ययन दल 'ख'—गोहाटी, कलकत्ता, धनबाद, बोकारो तथा कानपुर।
अध्ययन दल 'ग'—कोचीन, कोयम्बटूर, मद्रास तथा बंगलौर।

5. सभापति ने अंतिम रूप से तय किया कि इन तीन अध्ययन दलों में कौन-कौन सदस्य सम्मिलित होंगे। बैठक में उन्होंने अलग-अलग अध्ययन दल में सम्मिलित किये गये सदस्यों के नाम पढ़कर सुनाये। समिति के निम्नलिखित सदस्य अध्ययन दलों के संयोजकों के रूप में कार्य करेंगे।

6. समिति ने यह समसूस किया कि चूंकि समिति को अभी विधेयक की विभिन्न अवस्थाओं पर विचार करना है, इसलिए समिति के लिए अपना सारा कार्य पूरा करके निर्धारित समय अर्थात् नवम्बर, 1978 में होने वाले अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंत तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। अतः समिति ने यह फैसला किया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र (1979) के पहले सप्ताह के अंत तक समय बढ़वा लिया जाये।

7. समिति ने 8 तथा 9 नवम्बर, को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में पुनः समवत होने का फैसला किया :—

(एक) बुधवार, 8 नवम्बर, 1978 (11.00 बजे से 13.00 बजे तक)	**दिल्ली में बैठक** (एक) ज्ञापनों तथा इन तीन अध्ययन दलों की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए **और** (दो) विधेयक के उपबंधों पर सामान्य चर्चा।
(दो) गुरुवार, 9 नवम्बर, 1978	दिल्ली विश्वविद्यालय तथा वल्लभ भाई पटेल चैस्ट इंस्टीच्यूट, दिल्ली का मौके पर जाकर दौरा तथा वहां पर अनौपचारिक चर्चा। **अथवा** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का मौके पर जाकर दौरा तथा वहां पर अनौपचारिक चर्चा, जैसा कि सभापति तय करें तथा फेर-बदल करें।

8. समिति ने यह भी फैसला किया कि जो भी ज्ञापन प्राप्त होंगे, उन पर विचार करने के बाद वह इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या विधेयक के उपबंधों के बारे में इस विषय में पट् व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लेना आवश्यक है और अपनी अगली बैठक में इस बारे में कोई निर्णय लेगी।

9. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 4 नवम्बर, 1978 को 11.00 बजे से 12.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

डा० कर्ण सिंह—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दिनेश जोरदर
3. श्री बी०पी० कदम
4. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
5. श्री आर० के० महालगी
6. श्री गणनाथ प्रधान
7. श्री राम किंकर
8. श्री राममूर्ति
9. श्री चिमनभाई एच० शुक्ला
10. श्री ए० सुन्ना साहिब
11. श्री सिकंदर बख्त

राज्य सभा

12. श्री ए० आर० अन्तुले
13. प्रो० सौरेन्द्र भट्टाचार्यजी
14. श्री धर्मचन्द जैन
15. श्री गयूर अली खान
16. श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब
17. श्री लक्ष्मणं महापात्र
18. श्री प्रेम मनोहर
19. श्री अजीत कुमार शर्मा
20. श्री त्रिलोकी सिंह

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय—मुख्य विधायी समिति अधिकारी।

विधायी सलाहकार

1. श्रीमती रमा देवी—संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार।
2. श्री पी० जेठवानी—सहायक विधायी सलाहकार।

निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरूल्ला—संयुक्त सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय।
2. डा० निलय चौधरी—अध्यक्ष केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री बी० वी० रोतकर—सदस्य-सचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री एस० टी० खरे—परामर्शदाता (पी० एच० ई० ई०), सी० पी० एच० ई० ई० ओ०, निर्माण और आवास मंत्रालय।
5. श्री पी० एस० ए० सुन्दरम,—उप-सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री डी० के० विश्वास—मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी।
2. श्री पी० सी० नायक—संयुक्त सचिव।

2. आरम्भ में ही सभापति ने समिति को सूचित किया कि 30 सितम्बर, 1978 को हुई समिति की पिछली बैठक के बाद लोक सभा सचिवालय को विधेयक के उपबंधों के बारे में 31 और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार ज्ञापनों की कुल संख्या 66 हो गई है। ज्ञापन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख 20 अक्तूबर, 1978 निर्धारित की गई थी। यदि और कोई ज्ञापन प्राप्त हुए तो उन्हें तुरन्त ही सदस्यों को परिचालित कर दिया जायेगा। विधेयक के संबंध में निर्माण और आवास मंत्रालय से प्राप्त हुए कुछ अन्य दस्तावेज अर्थात् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हुए "मथुरा तेलशोधक कारखाने के आगरा के स्मारकों पर संभावित प्रभाव के बारे में टिप्पण और (2) 1977 में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 63वें सत्र की शुद्ध पर्यावरण वायुमंडलीय प्रदूषण (शोर और कम्पन) के बारे में रिपोर्ट" के उद्धरण भी सदस्यों को परिचालित कर दिये गये हैं।

3. तत्पश्चात् सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि समिति के अध्ययन दलों ने देश में वायु प्रदूषण की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 13 से 17 अक्तूबर, 1978 तक निम्नलिखित स्थानों के अध्ययन दौरे किये हैं :—

अध्ययन दल "क"—गोआ, बम्बई, बड़ौदा और अहमदाबाद।

अध्ययन दल "ख"—गौहाटी, धनबाद, बोकारो और कानपुर।

अध्ययन दल "ग"—कोचीन, कोयम्बतूर, मद्रास और बंगलौर।

समिति को यह भी सूचित किया गया कि 30 सितम्बर को दिल्ली में और इर्द गिर्द तथा 1 अक्तूबर, 1978 को मथुरा और आगरा के समिति द्वारा किये गये दौरों और उपर्युक्त तीन अध्ययन दलों के दौरों के अध्ययन टिप्पण शीघ्र ही सदस्यों को भेज दिये जायेंगे।

4. सभापति ने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि अध्ययन दल "ख" जिसने कलकत्ता का भी दौरा करना था, पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण उपरोक्त अवधि के दौरान कलकत्ता का दौरा नहीं कर सका। उस अध्ययन दल के संयोजक और सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था कि कलकत्ता में वायु प्रदूषण की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सदस्य स्वयं कलकत्ता जाकर अपनी आंखों से स्थिति को देखें तो यह समिति के लिये लाभप्रद होगा।

समिति के अन्य सदस्यों द्वारा भी बैठक में यही मत व्यक्त किया गया। कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने निश्चय किया कि अध्ययन दल "ख" के सदस्य बुधवार, 15 नवम्बर, और गुरुवार, 16 नवम्बर, 1978 को कलकत्ता का दौरा करें। तथापि, सभापति इस बात

स सहमत थे कि श्री दिनेश जोरदर, श्री प्यारेलाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब और श्री लक्ष्मण महापातरो को भी, जो उस अध्ययन दल के सदस्य नहीं थे, कलकत्ता के दौरे में सम्मिलित कर लिया जाय ।

5. तत्पश्चात् सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि समिति ने 30 सितम्बर, 1978 को हुई अपनी बैठक में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र (1979) के पहले सप्ताह के अन्त तक समय बढ़ाये जाने की मांग करने का निश्चय किया था ।

समिति ने सभापति को तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री राम किंकर को लोक सभा में इस समय में 22 नवम्बर, 1978 को अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया ।

6. तत्पश्चात् समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और निश्चय किया कि विधेयक के उपबंधों पर सामान्य चर्चा के लिए समिति की अगामी बैठकें गुरुवार, 14 दिसम्बर, और शुक्रवार, 15 दिसबर, 1978 को 9.00 बजे से 11.00 बजे तक की जायें । विधेयक के बारे में प्राप्त सभी ज्ञापन तथा समिति के अध्ययन दलों के अध्ययन टिप्पण की प्रतियां तब तक सदस्यों को दे दी जायेंगी और वे विधेयक के उपबंधों के बारे में अपनी राय बना सकेंगे ।

विधेयक के अन्य प्रक्रमों को पूरा करने और यदि आवश्यक समझा जाये तो मौखिक साक्ष्य लेने के लिए समिति की अगली बैठकें जनवरी, 1979 में बुलाई जायें ।

7. समिति ने यह भी निश्चय किया कि विधेयक के उपबंधों के बारे में विशेषज्ञों अथवा रुचि रखने वाले लोगों का मौखिक साक्ष्य लेना आवश्यक है या नहीं, इसके बारे में दिसम्बर 1978 में होने वाली समिति की अगामी बैठकों में निश्चय किया जाये।

8. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि विधायी सलाहकार सदस्यों को इस महीने के अन्त तक एक सारणी के रूप में उन संशोधनों के कानूनी परिणाम बतायें जिन का सुझाव विधेयक के संबंध में विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, सरकारी उपक्रमों, निगमों, उद्योगों, आदि के प्रतिनिधियों से लोक सभा सचिवालय में प्राप्त ज्ञापनों में दिया गया है। विधायी सलाहकार को वे ज्ञापन/संशोधन सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे । विधायी सलाहकार को अपनी राय देते समय अन्य बातों के साथ साथ यह भी बताना चाहिये कि क्या ऐसे संशोधन वर्तमान वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत ग्राहय होंगे ।

9. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर सामान्य चर्चा की ।

10. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार 2 जनवरी, 1979 को 15.30 बजे से 16.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

डा० कर्ण सिंह—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दिनेश जोरदर
3. श्री बी० पी० कदम

4. श्री एम० वी० कृष्णप्पा
5. श्री बी० पी० मंडल
6. श्री आर० के० महालगी
7. श्री गोविन्द राम मिरी
8. श्री गणनाथ प्रधान
9. श्री आर० एन० राकेश
10. श्री राममूर्ति
11. श्री वसंत साठे
12. श्री चिमन भाई एच० शुक्ला
13. श्री ए० सुब्रा साहिब
14. श्री सिकन्दर बख्त

राज्य सभा

15. श्री ए० आर० अन्तुले
16. प्रो० सौरेन्द्र भट्टाचार्य
17. श्री धर्मचन्द जैन
18. श्री गयूर अली खान
19. श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब
20. श्री लक्ष्मण महापात्र
21. श्री प्रेम मनोहर
22. श्री त्रिलोकी सिंह
23. डा० रफीक जकरिया

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय—**मुख्य विधायी समिति अधिकारी ।**

विधायी परामर्शदाता

श्रीमती रमा देवी—**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।**

निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरूल्ला—**संयुक्त सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।**
2. डा० निलय चौधरी—**अध्यक्ष, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड ।**
3. श्री बी० वी० रोतकर,—**सदस्य सचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड ।**
4. श्री एस० टी० खरे—**सलाहकार (पी० एच० ई० ई०), सी० पी० एच० ई० ई० ओ०, निर्माण और आवास मंत्रालय ।**
5. श्री पी० एस० ए० सुन्दरम—**अवर सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।**

औद्योगिक विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि

श्री पी० सी० नायक—**संयुक्त सचिव ।**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि

श्री डी० के० विश्वास—**मुख्य विज्ञान अधिकारी ।**

2. प्रारम्भ में सभापति ने सदस्यों को बताया कि विधेयक के संबंध में अभी तक प्राप्त सभी ज्ञापन, देश के विभिन्न भागों में समिति के अध्ययन दलों के अध्ययन दौरों से संबंधित अध्ययन टिप्पण तथा निर्माण और आवास मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय से प्राप्त इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अन्य कागजात सदस्यों को भेजे जा चुके हैं ।

3. तत्पश्चात् समिति ने भावी कार्यक्रम पर विचार किया तथा नीचे दिये गये कार्यक्रमानुसार अपनी बैठकें करने का निर्णय किया :

(क) निम्नलिखित व्यक्तियों का साक्ष्य लेने के लिये 1, 2 और 3 फरवरी, 1979 को 10.30 बजे से 13.00 बजे तक और फिर 15.00 बजे से 17.30 बजे तक :

1-2-1979 (1) प्रो० जे० एम० दवे,
विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।

(2) महानिदेशक, **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ।**

(3) प्रबंध निदेशक, **मथुरा तेल शोधक कारखाना, मथुरा ।**

(4) प्रो० टी० शिवराज राव, **प्रोफेसर (पर्यावरण इंजीनियरी), आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर ।**

2-2-1979 (1) निदेशक, **राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ।**

(2) डा० बी० बी० चटर्जी, **प्रोफेसर (कायिकी तथा औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान) अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता ।**

(3) निदेशक, **राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ ।**

3-2-1979 (4) डा० निलय चौधरी, **अध्यक्ष,
केन्द्रीय प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली ।**

(5) डा० पी० जे० देवरस,
(पता श्री आर० के० महालगी, संसद सदस्य द्वारा एक सप्ताह बाद दिया जायेगा ।)

(ख) विधेयक पर खंडवार विचार करने के लिए 13 और 14 फरवरी को 10.30 बजे से 13.00 बजे तथा पुनः 15.00 बजे से 17.30 बजे तक ।

4. समिति ने यह भी निर्णय किया कि जो सदस्य विधेयक के खंडों में संशोधन की सूचना देना चाहें वे 10 फरवरी, 1979 तक ऐसा कर सकते हैं ।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, पहली फरवरी, 1979 को 10.30 से 13.00 बजे तक तथा पुनः 15.15 बजे से 17.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

डा० कर्ण सिंह—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दिनेश जोरदर
3. श्री बी० पी० कदम
4. श्रीमती पार्वती कृष्णन
5. श्री बी० पी० मण्डल
6. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
7. श्री आर० के० महालगी
8. श्री गोविन्द राम मिरी
9. श्री आर० एन० राकेश
10. श्री वसन्त साठे
11. श्री चिमन भाई एच० शुक्ल
12. श्री ए० सुन्ना साहिब

राज्य सभा

13. श्री ए० आर० अंतुले
14. प्रोफेसर सौरेन्द्र भट्टाचार्य
15. श्री गयूर अली खान
16. श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब
17. श्री अजित कुमार शर्मा
18. श्री त्रिलोकी सिंह
19. डाक्टर रफीक जकारिया

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय—मुख्य विधायी समिति अधिकारी ।

विधाई परामर्शदाता

1. श्रीमती रामा देवी—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री जगदीश्वर नारायण—सहायक विधायी परामर्शदाता ।
3. श्री पादीकर्णी—अटैची ।

निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरुल्लाह—संयुक्त सचिव निर्माण और आवास मंत्रालय।
2. डाक्टर निलय चौधरी—केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष।

3. श्री बी० वी० रोतकर—केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ।

4. श्री एस० टी० खैर—(पी० एच० ई० ई०) सी० पी० एच० ई० ई० ओ०, निर्माण और आवास मंत्रालय ।

5. श्री जे० एन० कालिया —अवर सचिव निर्माण और आवास मंत्रालय ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि

श्री डी० के० विस्वास—मुख्य विज्ञान अधिकारी

2. आरम्भ में सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि समिति के अनेक सदस्यों ने बताया है कि संसद का आगामी सत्र 19 फरवरी, 1979 से आरम्भ होने के कारण खण्डवार विचार करने के लिये बैठकों की निर्धारित तारीखें अर्थात् 13 तथा 14 फरवरी उनके लिए उपयुक्त नहीं होगी । इसलिए उन्होने 13 और 14 फरवरी के लिये निधारित बैठकें रद्द कर दी हैं ।

3. तत्पश्चात् सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि क्योंकि उन्होंने खण्डवार विचार करना अभी आरम्भ नहीं किया है और उनके पास बहुत थोड़ा समय बचा है उनके लिए अपना कार्य समाप्त करना तथा बजट सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन अर्थात् 23 फरवरी, 1979 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा । इसलिये समिति ने निर्णय किया कि अपने प्रतिवेदन को बजट सत्र (1979) के अन्तिम दिन तक प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की जाये ।

समिति ने सभापति को और उसकी अनुपस्थिति में समिति की सदस्या श्रीमती पार्वती कृष्णन को इस सम्बन्ध में बुधवार, 21 फरवरी, 1979 को लोक सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया ।

4. परिणामतः समिति ने निर्णय किया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये लोक सभा द्वारा समय बढ़ाने की अनुमति दिये जाने पर जैसा कि पहले निर्धारित किया जा चुका हैं संशोधनों की सूचनायें 28 फरवरी, 1979 तक लोक सभा सचिवालय को भेज दी जायें।

5. तत्पश्चात् समिति ने साक्ष्य लेने का कार्य आरम्भ किया ।

समिति द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों का साक्ष्य लिये जाने के पूर्व सभापति ने अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर उनका ध्यान दिलाया :—

प्रो० जे० एम० दवे, स्कूल आफ एनवायरमेंटल साइंसेज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के विभागाध्यक्ष ।

(10.40 से 12.00 बजे तक)

2. श्री बी० के० थापर,
डायरेक्टर जनरल आफ आर्कियालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया ।

(12.00 बजे से 13.00 बजे तक)

6. समिति की बैठक 13.00 बजे समाप्त हुई और 15.15 बजे पुनः समवेत हुई ।

7. समिति द्वारा मथुरा तेल शोधन परियोजना (भारतीय तेल निगम) के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिये जाने के पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर उनका ध्यान दिलाया :—

श्री एस० के० नायक ।
महा प्रबन्धक ।

श्री वी० एस० मोरे, प्रबन्धक

(प्रदूषण नियन्त्रण) द्वारा सहायता प्रदान की गई

(15.15 बजे से 16.00 बजे तक)

8. समिति द्वारा एनवायरमेंटल हैल्थ इंजीनियरिंग, आंध्र यूनिवर्सिटी वाल्टैयर के प्रोफेसर टी० शिवाजी राव का साक्ष्य लिये जाने के पूर्व सभापति ने अध्ययन द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर उनका ध्यान दिलाया ।

साक्ष्य लिये जाने का क्रम 17.00 बजे तक चला ।

9. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया ।

10. तत्पश्चात् समिति की बैठक शुक्रवार, 2 फरवरी, 1979 को 10.30 बजे समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 2 फरवरी, 1979 को 10.45 बजे से 13.00 बजे तक और फिर 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

डा० कर्ण सिंह —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दिनेश जोरदर
3. श्री बी० पी० कदम
4. श्रीमती पार्वती कृष्णन
5. श्री एम० वी० कृष्णप्पा
6. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
7. श्री आर० के० महालगी
8. श्री गोविन्द राम मिरी
9. श्री नथुनी राम
10. श्री गणनाथ प्रधान
11. श्री आर० एन० राकेश
12. श्री वसन्त साठे
13. श्री चिमन भाई एच० शुक्ल
14. श्री ए० सुब्रा साहिब

राज्य सभा

15. श्री ए० आर० अन्तुले
16. प्रो० सौरेन्द्र भट्टाचार्य
17. श्री गयूर अली खां
18. श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब
19. श्री लक्ष्मण महापात्र
20. श्री अजित कुमार शर्मा

21. श्री त्रिलोकी सिंह

22. डा० रफीक जकारिया

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय——मुख्य विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती रमा देवी——संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।

2. श्री जगदीश्वर नारायण——सहायक विधायी परामर्शदाता ।

3. श्री पादोकणी——अटैची

निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डा० निलय चौधरी——चेयरमैन केन्द्रीय, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड ।

2. श्री बी० वी० रोत्कर——सदस्य, सचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड ।

3. श्री एस० टी० खरे——सलाहकार (पी० एच० ई० ई०) सी० पी० एच० ई० ओ० निर्माण और आवास मंत्रालय ।

4. श्री जे० एन० कालिया——प्रवर सचिव निर्माण और आवास मंत्रालय ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि

श्री डी० के० विश्वास——प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी ।

2. निम्नलिखित व्यक्तियों का समिति द्वारा साक्ष्य लिए जाने से पहले सभापति से उसका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 की तरफ दिलाया ।

1. प्रो० बी० सुन्द्रेसन
   निदेशक,
   राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ।
   (10.45 बजे से 11.45 बजे तक)

2. डा० निलय चौधरी
   चेयर मैन,
   केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली ।
   (11.45 बजे से 13.00 बजे तक)

3. तत्पश्चात् 13.00 बजे समिति की बैठक स्थगित हुई और 15.00 बजे पुनः समवेत हुई ।

4. समिति द्वारा डा० वी० बी० चटर्जी, प्रोफेसर शारीरिक और औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता का साक्ष्य लिए जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया ।

उनका साक्ष्य 16.00 बजे तक चलता रहा ।

5. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

6. तत्पश्चात् शनिवार, 3 फरवरी 1979 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए समिति की बैठक स्थगित हुई ।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 3 फरवरी, 1979 को 10.45 बजे से 13.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

डा० कर्ण सिंह—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री बी० पी० कदम
3. श्रीमती पार्वती कृष्णन
4. श्री एम० वी० कृष्णप्पा
5. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
6. श्री आर० के० महालगी
7. श्री गोविन्द राम मिरी
8. श्री नथुनी राम
9. श्री गणनाथ प्रधान
10. श्री आर० एन० राकेश
11. श्री चिमन भाई एच० शुक्ल
12. श्री ए० सुन्ना साहिब

राज्य सभा

13. प्रो० सौरेन्द्र भट्टाचार्य
14. श्री गयूर अली खां
15. श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब
16. श्री लक्ष्मण महापात्र
17. श्री अजित कुमार शर्मा
18. श्री त्रिलोकी सिंह

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय—**मुख्य विधायी समिति अधिकारी ।**

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती रमा देवी—**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।**
2. श्री जगदीश्वर नारायण—**सहायक विधायी परामर्शदाता ।**
3. श्री पादी कणी—**अटैची ।**

निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरुल्ला—**संयुक्त सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।**
2. डा० निलय चौधरी—**चेयरमैन, केन्द्रीय जल प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड ।**
3. श्री बी० बी० रोत्कर—**सदस्य सचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड ।**

4. श्री एस० टी० खरे—**सलाहकार (पी० एच० ई० ई०) सी० पी० एच० ई० ई० ओ०, निर्माण और आवास मंत्रालय ।**

5. श्री जे० एन० कालिया—**अवर सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि

श्री डी० के० विश्वास—**प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी**

2. निम्नलिखित व्यक्तियों का समिति द्वारा साक्ष्य लिये जाने से पहले सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया ।

1. डा० पी० जे० देवरस
मेडीकल बायोलोजिस्ट,
कन्सलटेंट पोस्ट ग्रेजुएट,
गाइड बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई ।
(10.45 बजे से 11.45 बजे तक)

2. श्री बी० वी० बोहरा,
सचिव,
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

सहायक :

1. श्री टी० एस० नैयर,
सलाहकार (रिफाइनरीज)

2. श्री के० चन्द्रचूड़न,
निदेशक (रिफाइनरीज)
(12.00 बजे से 13.00 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात् समिति ने निश्चय किया कि निर्माण और आवास मंत्रालय एक सारणीबद्ध विवरण तैयार करे जिसमें निम्नलिखित बातें दर्शायी गयी हों :—

(1) ज्ञापनों, अध्ययन टिप्पणों और साक्ष्य के दौरान दिये गये सुझाव, और

(2) उन पर मंत्रालय की टिप्पणी ।

इनकी प्रतियां लोक सभा सचिवालय को भेजी जायें ताकि विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने से पहले उन्हें सदस्यों को भेजा जा सके ।

5. तत्पश्चात् समिति ने आगामी सत्र के दौरान समिति की अगली बैठकों की तारीखें निश्चित करने के लिये सभापति को प्राधिकृत किया ।

6. तदुपरान्त समिति की बैठक स्थगित हुई ।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 2 अप्रैल, 1979 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

डा० कर्ण सिंह—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वी० पी० कदम
3. श्रीमती पार्वती कृष्णन
4. श्री आर० के० महालगी
5. श्री गोविन्द राम मिरी
6. श्री राम किंकर
7. श्री ए० सुन्ना साहेब
8. श्री सिकन्दर बख्त

राज्य सभा

9. श्री ए० आर० अन्तुले
10. श्री गयूर अली खां
11. श्री प्यारेलाल कुरील उर्फ प्यारेलाल तालिब
12. श्री लक्ष्मण महापात्र
13. श्री अजीत कुमार शर्मा
14. श्री त्रिलोकी सिंह

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय--मुख्य विधायी समिति अधिकारी ।

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती रमा देवी----संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री जगदीश्वर नारायण--सहायक विधायी परामर्शदाता ।
3. श्री पादी काणी--अटैची

निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरूल्ला--संयुक्त सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।
2. डा० निलय चौधरी----चेयरमैन, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ।
3. श्री बी० वी० रोतकर--सदस्य सचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ।
4. श्री एस० टी० खरे--परामर्शदाता (पी० एच० ई० ई०) सी० पी० एच० ई० ई० ओ० निर्माण तथा आवास मंत्रालय ।
5. श्री पी०एस०ए० सुन्दरम--उप-सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।
6. श्री जी० एन० कालिया--अवर सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि

श्री डी० के० विश्वास----मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी ।

2. आरम्भ में सभापति ने समिति को सूचित किया कि संयुक्त समिति के प्रतिवदन में शामिल किए जाने के लिए प्रारूप सामान्य सिफारिशों का एक सेट तयार किया गया है तथा इसे एक या दो दिन में सदस्यों में परिचालित किया जायेगा ।

3. तत्पश्चात् समिति ने निर्णय किया कि

(एक) समिति के सामने दिए गये साक्ष्य को संसद् की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये,

(दो) विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों आदि से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों संबंधी प्रत्येक ज्ञापन की दो प्रतियां प्रतिवदन प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद् सदस्यों के हवाले के लिए संसद् के ग्रन्थालय में रखी जायें ।

4. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक 9क पर खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

5. खण्ड 2 : निम्नलिखत संशोधन स्वीकार किए गए :--

पृष्ठ 2 पंक्ति 16,

"ज्वलनशील सामग्री को जलाने" शब्दों के बाद "या किसी धुएं, गैस अथवा कणाकार पदार्थ को उत्पन्न करने उसका उपयोग करने" शब्द अन्त:स्थापित करें।

खण्ड पर अग्रेतर विचार रोक दिया गया ।

6. खण्ड 3 और 4 : ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

7. खण्ड 5--खण्ड पर विचार रोक दिया गया ।

8. खण्ड 6--खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

9. खण्ड 7, 8, 9 और 10-- इन खण्डों पर विचार रोक दिया गया ।

10. तत्पश्चात् समिति की बैठक मंगलवार, 3 अप्रैल, 1979 को पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई ।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 3 अप्रैल, 1979 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

डा० कर्ण सिंह--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री बी० पी० कदम
3. श्रीमती पार्वती कृष्णन
4. श्री आर० के० म्हालगी
5. श्री गोविन्द राम मिरी
6. श्री राम किंकर
7. श्री ए० सुब्रा साहिब
8. श्री सिकन्दर बख्त

राज्य सभा

9. श्री ए० आर० अन्तुले
10. प्रो० सौरेन्द्र भट्टाचार्य

11. श्री धर्म चन्द जैन
12. श्री गयूर ग्रली खान
13. श्री प्यारेलाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब
14. श्री लक्ष्मण महापात्र
15. श्री प्रेम मनोहर
16. श्री ग्रजीत कुमार शर्मा
17. श्री त्रिलोकी सिंह

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय--**मुख्य विधायी समिति ग्रधिकारी ।**

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती रमा देवी--**संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता ।**
2. श्री जगदीश्वर नारायण--**सहायक विधायी परामर्शदाता ।**

निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरूल्ला--**संयुक्त सचिव ।**
2. डा० निलय चौधरी--**सभापति, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण ग्रौर नियंत्रण बोर्ड ।**
3. श्री बी० वी० रोतकर--**सदस्य सचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण ग्रौर नियंत्रण बोर्ड ।**
4. श्री एस० टी० खरे--**सलाहकार (पी० एच० ई० ई०)**
5. श्री पी० एस० ए० सुन्दरम--**उप सचिव**
6. श्री जे० एन० कालिया--**ग्रवर सचिव**

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार पुन: ग्रारम्भ किया ।

3. **खण्ड 2** : (देखिये दिनांक 2 ग्रप्रैल, 1979 के कार्यवाही सारांश का पैरा 5) निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 10, 11

"मानव, वनस्पति या पशु जीवन" के स्थान पर "मानव, ग्रन्य जीवित प्राणी या वनस्पति" प्रतिस्थापित किया जाये ।

खण्ड, ग्रौर संशोधित रूप में, स्वीकृत हुग्रा ।

4. **खण्ड 5**--(देखिये दिनांक 2 ग्रप्रैल, 1979 के कार्यवाही सारांश का पैरा 7) : निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :--

(एक) पृष्ठ 4, पंक्ति 11,

"व्यापार को या किन्हीं ग्रन्य हितों का" के स्थान पर

"व्यापार या श्रम या किसी ग्रन्य हित का" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(दो) पृष्ठ 4, पंक्ति 20 के बाद निम्नलिखित ग्रन्तः स्थापित किया जाये--

"परन्तु राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम दो सदस्य ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वायु की क्वालिटी के सुधार या वायु प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उपशमन के संबंधित विषयों के बारे में विशेष जानकारी या व्यावहारिक ग्रनुभव है ।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

(तीन) खण्ड को स्वीकार करते समय समिति ने यह नोट किया कि जिन राज्यों में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 लागू नहीं है या यह कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य बोर्ड गठित नहीं किये गये हैं, वहां वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण राज्य बोर्ड में राज्य सरकारों को या तो एक पूर्णकालिक या फिर एक अंश-कालिक चेयरमैन नाम निर्देशित करने का विवेकाधिकार दिया गया है ।

समिति ने यह महसूस किया कि एक पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति पर होने वाले खर्च, जिसकी कि छोटे राज्य व्यवस्था करने में कठिनाई महसूस करेंगे तथा इस क्षेत्र में अर्हताप्राप्त विशेषज्ञ व्यक्तियों के अभाव को देखते हुए एक पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति संबंधी आज्ञापक उपबन्ध करने से कठिनाई पैदा हो सकती है तथापि समिति की राय है कि प्रस्तावित विधेयक के उपबन्धों को समुचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए बोर्ड में एक पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति वांछनीय है । समिति का यह विचार है कि सरकार उन राज्यों को यह जतलाने की वांछनीयता पर विचार करे कि जहां तक संभव हो, एक पूर्णकालिक चेयरमैन नाम निर्देशित किया जाये ।

5. खण्ड 7––(देखिये दिनांक 2 अप्रैल, 1979 के कार्यवाही सारांश का पैरा 9) : इस खण्ड पर विचार पुनः रोक दिया गया ।

6. खण्ड 8––(देखिये दिनांक 2 अप्रैल, 1979 के कार्यवाही सारांश का पैरा 9)––निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :

(एक) पृष्ठ 5, पंक्ति 35,

"या जिसने अपने ऋणों का संदाय निलम्बित कर दिया है या अपने लेनदारों से प्रशमन कर लिया है" का लोप किया जाय ।

(दो) पृष्ठ 6, पंक्ति 5 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"(ङ) जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या किसी भागीदार द्वारा वायु की क्वालिटी के सुधार के लिए अथवा वायु प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये मशीनरी, औद्योगिक संयंत्र नियंत्रण उपस्कर या साधित्र निर्माण के विक्रय या भाड़े पर लेने का कारोबार करने वाली किसी फर्म या कम्पनी में कोई शेयर या हित रखता हो; अथवा

(च) वायु की क्वालिटी के सुधार के लिए अथवा वायु प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए बोर्ड का गठन करने वाली सरकार के साथ अथवा राज्य में किसी स्थानीय प्राधिकरण के साथ या सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रबन्धित किसी कम्पनी या निगम के साथ कोई संविदा करने वाली किसी कम्पनी या फर्म का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी है ।"

(तीन) पृष्ठ 6, पंक्ति 6,

"(ङ)" के स्थान पर "(छ)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

इस खण्ड पर आगे विचार रोक दिया गया ।

7. खण्ड 10––(देखिये दिनांक 2 अप्रैल, 1979 के कार्यवाही सारांश का पैरा 9)–– निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किये गये :

(एक) पृष्ठ 6, पंक्ति 20,

"10" के स्थान पर "10(1)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(दो) पृष्ठ 6, पंक्ति 26 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"(2) उपधारा (1) के अधीन अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की प्रतियां केन्द्रीय बोर्ड और संबंधित राज्य सरकार को भेजी जायेंगी ।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

8. खण्ड 11—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किया गया :

पृष्ठ 6, पंक्ति 27, 28,

"या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से" का लोप किया जाये ।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया ।

9. खण्ड 12 और 13—ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत किये गये ।

10. खण्ड 14—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 25 के बाद यह जोड़ें :—

"(5) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समय समय पर किसी अर्हित व्यक्ति को बोर्ड के परामर्शी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और उसे ऐसे वेतन और भत्तों या फीस संदाय कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।"

खण्ड यथा संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया ।

11. खण्ड 15—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किया गया :—

पृष्ठ 7, पंक्ति 29

"सदस्य सचिव" के पश्चात्

"या बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी" अन्तःस्थापित किया जाए ।

खण्ड यथा संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया ।

12. खण्ड 16—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत किया गया ।

13. खण्ड 17—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किया गया :

पृष्ठ 9, पंक्ति 23

"परिसर" के पश्चात्

"या अवस्थान" अन्तःस्थापित किया जाए ।

इस खण्ड पर आगे विचार रोक दिया गया ।

14. खण्ड 18—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत किया गया ।

15. खण्ड 19—इस खण्ड पर विचार रोक दिया गया ।

16. खण्ड 20—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत किया गया ।

17. तत्पश्चात् बुधवार, 4 अप्रैल, 1979 को 15.00 बजे पुनः समवेत होने तक समिति की बैठक स्थगित हुई ।

———

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 4 अप्रैल, 1979 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

डा० कर्ण सिंह—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मनोरंजन भक्त
3. श्री बी० पी० कदम
4. श्रीमती पार्वती कृष्णन
5. श्री राम किंकर
6. श्री ए० सुब्बा साहिब
7. श्री सिकन्दर बख्त

राज्य सभा

8. श्री ए० आर० अन्तुले
9. प्रो० सौरेन्द्र भट्टाचार्य
10. श्री धर्मचन्द जैन
11. श्री गयूर अली खान
12. श्री प्यारेलाल कुरील उर्फ प्यारेलाल तालिब
13. श्री लक्ष्मण महापात्र
14. श्री प्रेम मनोहर
15. श्री अजित कुमार शर्मा
16. श्री त्रिलोकी सिंह

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय——मुख्य विधायी समिति अधिकारी।

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती रमा देवी—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता।
2. श्री जगदीश्वर नारायण—सहायक विधायी परामर्शदाता।
3. श्री पाडीकनी—अटैची

निर्माण तथा आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. 1. श्री मीर नसरूल्लाह—संयुक्त सचिव, निर्माण तथा आवास मंत्रालय।
2. डा० निलय चौधरी—चेयरमैन, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री बी० वी० रोतकर—सदस्य, सचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री एस० टी० खरे—परामर्शदाता (पी० एच० ई० ई०), सी० पी० एच० ई० ई० ओ०, निर्माण तथा आवास मंत्रालय।
5. श्री पी० एस० सुन्दरम—उप-सचिव, निर्माण तथा आवास मंत्रालय।
6. श्री जे० एन० कालिया—अवर सचिव, निर्माण तथा आवास मंत्रालय।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि

श्री डी० के० विश्वास—मख्य ैज्ञानिक अधिकारी।

2. खण्ड 7—(देखिये दिनांक 3 अप्रैल, 1979 के कार्यवाही सारांश का पैरा 5) :

निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किये गये :—

(एक) पृष्ठ 5, 4 से 6 पंक्तियों का लोप करें।

(दो) पृष्ठ 5, पंक्ति 28 से 30 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(8) इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों (सदस्य-सचिव को छोड़कर) की सेवाओं के अन्य निर्बन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।"

पृष्ठ 5, 31 और 32 पंक्तियों का लोप करें।

खण्ड, आगे यथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

3. खण्ड 8—(देखिये दिनांक 3 अप्रैल, 1979 के कार्यवाही सारांश का पैरा 6) :

निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किया गया :—

पृष्ठ 6, पंक्ति 9 से 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :

"(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकेगी, जो उपधारा (1) में वर्णित किसी निर्हता से ग्रस्त है, या हो जाता है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन हटाए जाने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।"

खण्ड, आगे संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

4. खण्ड 9—(देखिये दिनांक 2 अप्रैल, 1979 की कार्यवाही सारांश का पैरा 9) खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

5. खण्ड 17—(देखिये दिनांक 3 अप्रैल, 1979 की कार्यवाही सारांश का पैरा 13) : निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 9 पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित को अन्तःस्थापित करें :

"(ञ) वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का ऐसे अंतरालों पर जो वह आवश्यक समझे, निरीक्षण करना, वायु की क्वालिटी का निर्धारण करना और ऐसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण का उपशमन के लिए उपाय करना",

खंड, आगे संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

6. खण्ड 19—(देखिये, दिनांक 3 अप्रैल, 1979 का कार्यवाही सारांश का पैरा 15) : निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किए गए :—

(एक) पृष्ठ 9, पंक्ति 45 में

प्रयुक्त शब्दावली—वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकेगी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"उस रीति से वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकेगी जो विहित की जाये।"

(दो) पृष्ठ 10 पर 1 से 4 तक की पंक्तियों का लोप करें।

(तीन) पृष्ठ 10, पंक्ति 12 में प्रयुक्त शब्दावली —

'यदि राज्य सरकार की यह राय है कि किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में', के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :--

"यदि राज्य की, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में"।

(चार) पृष्ठ 10 पंक्ति 18 में प्रयुक्त शब्दावली --

"राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि ऐसी तारीख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :--

"राज्य सरकार, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि ऐसी तारीख।"

(पांच) पृष्ठ 10, पंक्ति 24

"यदि राज्य सरकार की यह राय है कि किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :--

"यदि राज्य सरकार की, राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि किसी वायु प्रदूषण क्षेत्र में।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

7. खण्ड 21--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किए गए :--

(एक) पृष्ठ 10, पंक्ति 19 में "विनिर्दिष्ट" शब्द के स्थान पर "अनुमोदित" शब्द प्रतिस्थापित करें।

(दो) पृष्ठ 11, पंक्ति 27 में "विनिर्दिष्ट", शब्द के स्थान पर "अनुमोदित" शब्द प्रतिस्थापित करें।

(तीन) पृष्ठ 11, पंक्ति 24 में "निर्दिष्ट" शब्द के स्थान पर "अनुमोदित" शब्द प्रतिस्थापित करें।

(चार) पृष्ठ 11, पंक्ति 28 में (दो) के पश्चात् "और" शब्द का लोप करें।

(पांच) पृष्ठ 11 पंक्ति 30, के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए :--

"ऐसी अन्य शर्तें जो राज्य बोर्ड इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और"।

खण्ड पर आगे विचार स्थगित किया गया।

8. खण्ड 22--खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

9. खण्ड 23--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किया गया :--

पृष्ठ 11, पंक्ति 17 के आगे निम्नलिखित जोड़ा जाए :--

"(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपचार के लिए उपाय करने में राज्य बोर्ड प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा उपगत व्यय, यदि कोई है, और उस तारीख से, जब व्ययों के लिए मांग की जाती है और जब तक कि उनका संदाय नहीं कर दिया जाता है ब्याज सहित (ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा नियत करे) उस बोर्ड, प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया या लोक मांग के रूप में वसूल किया जा सकेगा।"

खण्ड, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

10. खण्ड 24--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किया गया :--

पृष्ठ, 13, पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :--

"(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध या, जम्मू-कश्मीर राज्य अथवा किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें वह संहिता प्रवृत्त नहीं है उस राज्य या क्षेत्र में प्रवृत्त

किसी तत्स्थानी विधि के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे यथास्थिति उक्त संहिता को धारा 94 के अधीन या उक्त विधि के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किए गए वारण्ट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं ।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

11. खण्ड 25--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किया गया :--

पृष्ठ 13, पंक्ति 21 में शब्द "किसी व्यक्ति से" के स्थान पर "ऐसे अधिष्ठाता या किसी अन्य व्यक्ति से," प्रतिस्थापित करें ।

खण्ड संशोधिन रूप में, स्वीकृत हुआ ।

12. खण्ड 26-- निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किए गए :--

(एक) पृष्ठ 13 को अंतिम पंक्ति में "(4) और (5)" के स्थान पर "और (4)" प्रतिस्थापित करें ।

(दो) पृष्ठ 14, पंक्ति 1 में "(4) और (5)" के स्थान पर "उपधारा (4)" प्रतिस्थापित करें ।

(तीन) पृष्ठ 14 पंक्ति 7 एवं 8 में निम्नलिखित का लोप करें :--
"और उसे, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, दो भागों में विभाजित करेगा" ;

(चार) पृष्ठ 14, पंक्ति 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :--
"(ग) नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा ।"

(पांच) पृष्ठ 14, पंक्ति 18 से 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :--

"(घ) आधान या आधानों को, धारा 17 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को अथवा यदि अधिष्ठाता या उसके अभिकर्त्ता द्वारा, जब उस पर खण्ड (क) के अधीन सूचना की तामील की जाती है, उस निमित्त अनुरोध किया जाए तो धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट के प्रयोगशाला को बिना विलम्ब के भेजेगा ।"

(छ:) पृष्ठ 14, पंक्ति 18 से 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें : --

"(4) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए उत्सर्जन का नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्त्ता पर उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की तामील करता है, तो --

(क) से मामले में जहां अधिष्ठाता या उसका अभिकर्त्ता जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण के लिए उत्सर्जन का नमूना लेगा और नमूने को आधान या आधानों में रखवायेगा जिसे चिन्हित और सीलबन्द किया जाएगा और लेने वाला व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा और ;

(ख) ऐसे मामले में जहां नमूना लिए जाने के समय अधिष्ठाता या उसका अभिकर्त्ता उपस्थित तो है किन्तु उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन उपेक्षित रूप में उत्सर्जन के नमूने को चिन्हित और सीलबन्द आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से इकार करता है तो सीलबन्द/चिन्हित और सीलबन्द आधान या आधानों पर नमूना लेने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा और आधान या आधानों को धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए बिना विलम्ब के भेजेगा और ऐसा व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सरकारी

विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्त्ता के यथास्थिति जानबूझकर 'अनुपस्थित रहने या आधान अथवा आधानों पर हस्ताक्षर करने से उसके इंकार करने के बारे में लिखित जानकारी देगा ।"

(सात) पृष्ठ 14, पंक्ति 35 से 43 का लोप कर दिया जाए ।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

13. खण्ड 27—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किए गए :—

(एक) पृष्ठ 15, पंक्ति 10 में "खण्ड (ङ)" के स्थान पर "खण्ड (घ)" प्रतिस्थापित करें ।

(दो) पृष्ठ 15 में पंक्ति 15 से 18 का लोप करें ;

(तीन) पृष्ठ 15, पक्ति 19 में
"खण्ड (ङ)" के स्थान पर "(खण्ड घ)" प्र तस्थापित करें ।

(चार) पृष्ठ 15, पक्ति 22 में शब्द "आधान" के स्थान पर "आधान अथवा आधानों" प्रतिस्थापित करें ।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

14. खण्ड 23—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किए गए :—

पृष्ठ 15, पंक्ति 27 से 31 क स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :—

"(क) एक या अधिक राज्य वायु प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी , या

(ख) इस अधिनियम के अधीन राज्य वायु प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्य करने के लिए एक या अधिक प्रयोगशालाओं या संस्थानों को राज्य वायु प्रयोगशालाओं के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

15. खण्ड 29, 30 और 31—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

16. खण्ड 32—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किया गया :—

पृष्ठ 16, पंक्ति 30 से 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"परन्तु इस धारा की कोई बात जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अधीन जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए गठित किसी राज्य बोर्ड को जिसे उस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अपनी निधि में से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी धन व्यय करने के लिए सशक्त कर दिया गया है, लागू नहीं होगी ।"

17. खण्ड 33 —निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 17, पंक्ति 8 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(3) इस धारा की कोई बात जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अधीन जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए गठित किसी राज्य बोर्ड को, जिसे उस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अपनी निधि में से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी धन व्यय करने के लिए सशक्त कर दिया गया है, लागू नहीं होगी ।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

18. खण्ड 34—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

19. खण्ड 35--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किए गए :—

(एक) पृष्ठ 17, पंक्ति 24

"का सही और पूर्ण विवरण होगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :—

"का पूर्ण विवरण होगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित।"

(दो) पृष्ठ, 18, पंक्ति 4

"का सही और पूर्ण विवरण होगा और इसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित" के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति को प्रतिस्थापित करें —

"का पूर्ण विवरण होगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेसित"।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

20. खण्ड 36—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

21. तत्पश्चात् सभापति ने सदस्यों को बताया कि सामान्य सिफारिशों का प्रारूप 3 अप्रैल, 1979 को पहले ही परिचालित कर दिया गया था। तो भी सदस्य उसमें कुछ जोड़े जाने अथवा बदलने का सुझाव देना चाहें वे उसे सभापति अथवा लोक सभा सचिवालय को भेज दें। समिति की आगामी बैठकों में सामान्य सिफारिशों के प्ररूप पर विचार किया जायेगा।

22. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर पुनः खण्डवार विचार करने तथा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु सामान्य सिफारिशों पर विचार करने के लिए अपनी आगामी बैठकें बुधवार, 2 मई, और गुरूवार 3 मई, 1979 को प्रतिदिन 15.00 बजे करने का निर्णय किया।

23. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

ग्यारह

11 वीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 2 मई, 1979 को 15.30 बजे से 17.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

डा० कर्ण सिंह—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती पार्वती कृष्णन
3. श्री बी० पी० मण्डल
4. श्री राम किंकर
5. श्री वसन्त साठे
6. श्री सिकन्दर बख्त

राज्य सभा

7. श्री सौरेन्द्र भट्टाचार्यजी
8. श्री लक्ष्मण महापात्र
9. श्री अजीत कुमार शर्मा
10. श्री त्रिलोकी सिंह

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय—मुख्य विधायी समिति अधिकारी ।

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती रमा देवी—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री जगदीश्वर नारायण—सहायक विधायी परामर्शदाता ।
3. श्री पाद्री कणी—अटैची

निर्माण तथा आवास मंत्रालय का प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरूल्लाह—संयुक्त सचिव,
 निर्माण तथा आवास मंत्रालय ।
2. डा० निलय चौधरी—चेयरमैन केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ।
3. श्री बी० वी० रोतकर—सदस्य-सचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ।
4. श्री एस० टी० खरे —परामर्शदाता (पी० एच० ई० ई०) सी० पी० एच० ई० ई० ओ० निर्माण तथा आवास मंत्रालय ।
5. श्री पी० एस० ए० सुन्दरम—उप-सचिव,
 निर्माण तथा आवास मंत्रालय ।
6. श्री जे० एन० कालिया—अवर सचिव
 निर्माण तथा आवास मंत्रालय ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि

श्री डी० के० बिसवास—प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी ।

2. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ किया ।

3. खण्ड 21 :—(देखिये दिनांक 4 अप्रैल, 1979 के कार्यवाही सारांश का पैरा 7) : निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :

(एक) पृष्ठ, 11 लाइन 5–6

"या उपधारा (4) में निर्दिष्ट चार मास की अवधि, जो भी पूर्वतर है" का लोप किया जाए ।

(दो) पृष्ठ 11, लाइन 11–15 के स्थान पर "उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहमति के लिए आवेदन की प्राप्ति के चार मास की अवधि के भीतर राज्य बोर्ड को, लिखित आदेश में, आवेदित सहमति देने या इन्कार करने के कारणों का उल्लेख करना होगा ।" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(तीन) पृष्ठ 11 लाइन 16–17 के स्थान पर "ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे राज्य बोर्ड द्वारा उपधारा (4) के अधीन सहमति अनुदत्त की गई है" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(चार) पृष्ठ 12, लाइन 9

"या ऐसी उपधारणा की गई है कि ऐसी सहमति अनुदत्त की गई है" का लोप कर दिया जाए ।

(पांच) पृष्ठ 12, लाइन 7–9

"यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा सहमति अनुदत्त की गई है या ऐसी उपधारणा की गई है कि ऐसी सहमति अनुदत्त की गई है,'

के स्थान पर "उपधारा (4) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा सहमति अनुदत्त की गई है" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड, आगे संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

4. **खण्ड** 23—इस खण्ड पर पुनः विचार आरम्भ हुआ और निम्नलिखित और संशोधन स्वीकृत हुए :—

पृष्ठ 12, लाइन 24

"उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर" के स्थान पर "घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त होने या उपधारा (1) में उल्लिखित किसी स्थिति के पैदा होने की आशंका में, उपधारा (1) के अधीन या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड आगे संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

5. **खण्ड** 37—इस खण्ड पर विचार रोक लिया गया।

6. **खण्ड** 38—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

(एक) पृष्ठ 18, लाइन 39

"अभिकरणों" के आगे जोड़ें

"जैसा कि धारा 23 की उपधारा (1) में वांछित है ;

(दो) पृष्ठ 19, लाइन 2 में

"जानते हुए या जानबूझ कर" का लोप किया जाए।

(तीन) पृष्ठ 19, लाइन 5 में

"जानते हुए या जानबूझ कर" का लोप किया जाए।

खण्ड, आगे संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

7. **खण्ड** 39 : खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

8. **खण्ड** 40 **तथा** 41 : इन खण्डों पर विचार रोक लिया गया।

9. **खण्ड** 42· 43· 44 45 **और** 46 : ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किए गए।

10. **खण्ड** 47 : निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :

पृष्ठ 20, लाइन 31 में

"एक वर्ष" के स्थान पर "छः माह" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड आगे संशोधित रूप में, स्वीकार हुआ।

11. **खण्ड** 48 **तथा** 49 : ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार किए गए।

12. **खण्ड** 50 : निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :

(एक) पृष्ठ 22, लाइन 18

"50" के स्थान पर "50(1)" प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) पृष्ठ 22, लाइन 21 के बाद जोड़े "(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को, इसके तैयार होते ही, संसद की दोनों सभाओं में रखा जाए"

खण्ड आगे संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

13. **खण्ड** 51, 52 **और** 53 : ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार हुए।

14. खण्ड 54 : निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

(एक) पृष्ठ 23 लाईन 29 से 32 के **स्थान पर**

"धारा 10 और धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन राज्य बोर्ड और उसकी किसी समिति के अधिवेशनों की अवधि, उनके समय और जहां अधिवेशन होंगे उस स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया' जिसके अन्तर्गत कामकाज करने के लिए गणपूर्ति भी है" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(दो) पृष्ठ 24, लाइन 3 के बाद

जोड़े : "(2) व शर्तें जिनके अधीन राज्य बोर्ड धारा 14 की उपधारा (5) के अन्तर्गत परामर्शदाता नियुक्त कर सकता है"

(तीन) पृष्ठ 24, लाइन 28 के बाद

जोड़े : "(णण) वह तरीका जिसके अधीन धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जा सके।"

(चार) पृष्ठ 24, लाइन 15-16 के **स्थान पर**

"(ण) धारा 26 की उपधारा (3) में उल्लिखित सूचना का प्रारूप" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(पांच) पृष्ठ 24, लाइन 31

"फाइल" के स्थान पर "आधिमानित" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

खण्ड आगे संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

15. **अनुसूची** : निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :

(एक) पृष्ठ 25 लाइन 11

"सीमेंट" के बाद "(एसबेस्ट्स सहित)" **जोड़ें**

(दो) पृष्ठ 25 लाइन 12

"वस्त्र" के बाद "(धुनाई सहित)" जोड़े।

(तीन) पृष्ठ 25, लाइन 15 के बाद जोड़े

"13. लुग्दी और कागज उद्योग"

अनुसूची, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुई।

16. खण्ड 1—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

पृष्ठ 2, लाइन 4

"1978" के स्थान पर "1979" **प्रस्थापित करें।**

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

17. **अधिनियम सूत्र** : निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हूए :—

पृष्ठ 1, लाइन 10

"उन्तीसवें" के स्थान पर "तीसवां" **प्रस्थापित किया जाए।**

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

18. **पूरा नाम** : पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

19. तत्पश्चात् समिति की बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 3 मई, 1979 को पुनःसमवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक बृहस्पतिवार, दिनांक 3 मई, 1979 को 15.30 बजे से 17.00 बजे हुई।

उपस्थिति

डा० कर्ण सिंह—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती पार्वती कृष्णन्
3. श्री नथुनी राम
4. श्री राम किंकर
5. श्री ए० सुब्रा साहिब
6. श्री सिकन्दर बख्त

राज्य सभा

7. श्री लक्ष्मण महापात्र
8. श्री अजीत कुमार शर्मा
9. श्री त्रिलोकी सिंह
10. डा० रफीक जकारिया

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय—मुख्य विधायी समिति अधिकारी

विधायी परामर्शदाता

1. श्रीमती रमा देवी—संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
2. श्री जगदीश्वर नारायण—सहायक विधायी परामर्शदाता
3. श्री पाडि काणी—एटेची

आवास और निर्माण मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरुल्ला—संयुक्त सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय
2. डा० निलय चौधरी—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल प्रदूष निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड
3. श्री बी० वी० रोतकर, सदस्य सेचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री एस० टी० खरे,—सलाहकाह (पी० एच० ई०) सी० पी० एच० ई० ओ० परिषद आवास और निर्माण मंत्रालय।
5. श्री पी० एस० ए० सुन्दरन—उप सचिव निर्माण और आवास मंत्रालय
6. श्री जे० एन० कालिया—अवर सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि

श्री डी० के० विश्वास—प्रमुख वज्ञानिक अधिकारी

2. समिति ने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

3. खंड 37 (देखिये दिनांक 2 मई 1979 के कार्यवाही सारांश का पैरा 5) निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 18 की 14—20 पंक्तियों के स्थान पर प्रतिस्थापित कीजिए

धारा 21(5) या धारा 22 के उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये आदेशों या निर्देशों का पालन करने में असफल रहना	37(1) जो कोई धारा 21 की उपधारा (5) या धारा 22 के उपबन्धों का या इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी आदेश या अनुदेश का पालन करने में असफल रहेगा वह हर एक ऐसी असफलता के बावत कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से और यदि असफलता जारी रहती है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसी प्रथम असफलता के लिये दोषसिद्ध किये जाने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

यह खण्ड यथा संशोधित स्वीकृत हुआ ।

4. खण्ड 40 (देखिए दिनांक 2 मई, 1979 के कार्यवाही सारांश का पैरा 8) निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :–

पृष्ठ 19 पंक्ति 17

"भार साधक" के स्थान पर

"सीधे भार साधक" प्रतिस्थापित कीजिए ।

यह खण्ड यथा संशोधित स्वीकृत हुआ ।

5. खण्ड 41 (दिनांक 2 मई, 1979 के कार्यवृत के अनुच्छेद 8 के द्वारा) निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया ।

(एक) पृष्ठ 19 पंक्ति 36

"41" के बाद "(1)" अन्तःस्थापित कीजिए

(दो) पृष्ठ 19 पंक्ति 42 के बाद

"(2) उप धारा (1) से किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भाग होगा ।"

यह खण्ड यथा संशोधित स्वीकृत हुआ ।

6. तत्पश्चात समिति ने अपने प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु छोटे मोटे संशोधनों के साथ सामान्य सिफारिशों के प्रारूप (अनुबन्ध) पर विचार विमर्श किया और उसे स्वीकार कर लिया ।

7. समिति ने विधायी परामर्शदाता को विधेयक में स्पष्ट गलतियों के सुधार करने तथा मौखिक और परिणामिक स्वरूप के संशोधन करने के लिये प्राधिकृत किया ।

8. समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकृत करने हेतु अपनी अगली बैठक मंगलवार दिनांक 15 मई, 1979 को 3.00 बजे से करने का निर्णय किया।

9. तत्पश्चात् सभापति ने सदस्यों का ध्यान यिमत टिप्पण के सबंध में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के निर्देश 87 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की ओर दिलाया।

10. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती पार्वती कृष्णन को शुक्रवार दिनांक 18 मई, 1979 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और साक्ष्य के रिकार्ड को सभापटल पर रखने के लिये प्राधिकृत किया।

11. समिति ने श्री त्रिलोकी सिंह और उनकी अनुपस्थिति में श्री अजीत कुमार शर्मा को भी शुक्रवार दिनांक 18 मई, 1979 को प्रतिवेदन तथा साक्ष्य के रिकार्ड को राज्य सभा के पटल पर रखने के लिये प्राधिकृत किया।

12. सभापति ने घोषणा की कि विमति के टिप्पणों को, यदि कोई हों तो, प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किये जाने तथा उसे स्वीकृत किये जाने के पश्चात् लोक सभा सचिवालय को भेजा जाय जो सचिवालय में बृहस्पतिवार दिनांक 17 मई, 1979 को 12.00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए।

13. तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबन्ध

(देखिए दिनांक 3-5-1979 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 6)

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1978 सम्बन्धी

संयुक्त समिति

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिये सामान्य सिफारिशें

सामान्य सिफारिशें

संयुक्त समिति ने वायु प्रदूषण, जो बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण तथा अन्य कारणों से लगातार बढ़ रहा है, की समस्या के विभिन्न पहलुओं से अपने-आप को अवगत कराने और वायु की किस्म को बनाये रखने तथा वायु प्रदूषण को रोकने, जैसाकि प्रस्तावित विधान में प्रत्याशा की गई है, के उद्देश्य से सारे देश में विभिन्न स्थानों के अध्ययन दौरे किये। इन अध्ययन दौरों के दौरान समिति ने सम्बन्धित प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को लागू करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों से, जो प्रस्तावित विधान के उपबन्धों के अधीन वायु प्रदूषण के बारे में अतिरिक्त कृत्यों का भी निर्वहन करेंगे, अनौपचारिक चर्चा की। समिति ने इस विषय पर विभिन्न वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों तथा अन्य विशेषज्ञों' के विचार भी सुने।

2. समिति नोट करती है कि यद्यपि गत दशकों में तीव्र शहरीकरण, भारी औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक एवं औद्योगिक विकास से करोड़ों नागरिकों को भारी लाभ पहुंचा है, तथापि ये लाभ देश के भौतिक पर्यावरण में गिरावट लाकर हुए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि वायु प्रदूषण की समस्या का महत्व हाल के वर्षों में सारे विश्व में विभिन्न कारणों, विशेषकर तीव्र औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई, बढ़ता हुआ यातायात, तापन, घरेलु ईंधन, गन्दगी, कूड़ा जलाना, धूम्रपान आदि से और भी बढ़ गया है। शोर प्रदूषण भी एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है और इस सबका बुरा प्रभाव न केवल मनुष्य के स्वास्थ्य पर ही पड़ रहा है, अपितु विभिन्न पशुओं, वनस्पति सम्पत्ति और स्मारकों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अपितु विभिन्न पशुओं, वनस्पति, सम्पत्ति और स्मारकों पर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि देश में समस्या के प्रति सामान्य जानकारी, तकनीकी प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और

हज (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के वर्तमान उपबन्धों को लागू करने के लिये उत्तरदायी तंत्र को दी गई निम्न वरीयता के कारण अपर्याप्त धन भारत में स्थिति को गम्भीर बनाने के मुख्य कारण हैं ।

3. प्रस्तावित विधान के उपबन्धों पर विचार करने के बाद समिति महसूस करती है कि विधेयक के प्रस्तावित उपबन्धों से वायु प्रदूषण की समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं किया जा सकता । समिति महसूस करती है कि विस्तृत परिवर्तनों का सुझाव देना वर्तमान विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा । परन्तु इस विषय के महत्व तथा अविलम्बनीयता अपने नागरिकों के दीर्घकालीन कल्याण को ध्यान में रखते हुए समिति ने वर्तमान विधान के बारे में विशिष्ट सुझावों के अलावा कतिपय सामान्य सिफारिशें सरकार के विचारार्थ करने का निर्णय किया है । ये सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

1. वातावरण सम्बन्धी शिक्षा

समिति को बताया गया कि तकनीकी संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करके आने वाले इंजीनियरों को वातावरण के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं है । इसके फलस्वरूप, विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्तियों को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी नहीं है कि मलनिस्राव से वातावरण को भारी क्षति हो सकती है । सामान्य शिक्षा पद्धति में वातावरण सम्बन्धी शिक्षा एक नया विज्ञान है, वहां इसका महत्व बढ़ता जा रहा है और देश को विभिन्न स्तरों पर इसके विशेषज्ञों की अधिक आवश्यकता होगी ? समिति महसूस करती है कि देश में शिक्षा प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर वातावरण सम्बन्धी मूल्यों को लागू करके उसे समृद्ध बनाये जाने की आवश्यकता है ।

समिति को यह जानकर सन्तोष हुआ है कि कम से कम एक राज्य-महाराष्ट्र—में इस दिशा में पहल की गई है और वहां शिक्षा पद्धति के विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण को एक विषय के रूप में लागू किया गया है । निहित खतरों को ध्यान में रखते हुए और भावी पीढ़ियों के हित में समिति का यह विचार है कि सरकार राज्य सरकारों पर इस बात के लिये बल देने की वांछनीयता पर विचार करे कि वे अपनी सम्बन्धित शिक्षा प्रणालियों में पर्यावरण सम्बन्धी विषय को स्कूल कक्षाओं में सामान्य शिक्षा में; अवरस्नातक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में; स्नातकोत्तर स्तर पर विशिष्ट विषय के रूप में और तकनीकी शिक्षा में वातावरण सम्बन्धी इंजीनियरी विषय के रूप में लागू करें । चूंकि शिक्षा एक राज्य-विषय है, सरकार इस विषय में विशेषज्ञों के परामर्श से इस विषय के बारे में राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिये एक नीति बनाये ताकि उनके पाठ्यक्रम बनाये जा सकें । यह प्रस्तावित नई शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग होना चाहिये ।

2. वायु प्रदूषण प्रयोगशालाओं का विकास

समिति ने नोट किया कि प्रस्तावित विधान के अधीन राज्य वायु प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का उपबन्ध है । समिति को बताया गया कि क्षेत्र वायु प्रदूषकों के नमूने एकत्रित करना होगा और उनका विश्लेषण करना होगा और कुछ वायु प्रदूषकों के मामले में, जहां सान्द्रता बहुत कम है या जो छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, इसका पता स्थल पर ही लगाया जा सकता है, ऐसा होते हुए राज्य स्तर पर केवल प्रयोगशाल, ही चाहे वह कितनी ही सुसज्जित क्यों न हो, के लिये समस्या का कारगर ढंग से समाधान करना सम्भव नहीं होगा । समिति को यह भी बताया गया कि उस समय वायु प्रदूषण के क्षेत्र में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं । समिति की राय है कि प्रस्तावित विधेयक के समुचित प्रवर्तन तथा कारगर क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने के अलावा देश में विद्यमान सुविधाओं का लाभ उठाने की व्यावहारिकता पर विचार करना आवश्यक होगा, जैसे कि :—

(एक) **प्रशिक्षण प्रयोजन हेतु** :—दि स्कूल आफ इन्वायरमेंटल साइंसिस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, विट्ठलभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय ;

नेशनल इन्वायरमेंटल एण्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नागपुर; नेशनल इंस्टीट्यूट ग्राफ ग्राकुपेशनल हैल्थ, ग्रहमदाबाद – लेबर इंस्टीट्यूट, बम्बई; ग्रौर इण्डियन इंस्टीट्यूट ग्राफ साइंस, बंगलौर ।

(दो) **वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य हेतु** :––नेशनल इन्वायरमेंटल एण्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नागपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ग्राफ ग्राकुपेशनल हैल्थ, ग्रहमदाबाद ग्रौर लेबर इंस्टीट्यूट, बम्बई; ग्रौर

(तीन) **वायु प्रदूषण प्रयोगशालाग्रों हेतु**:––वर्तमान (जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) बोर्डों के साथ सम्बद्ध प्रयोगशालाग्रों के ग्रलावा क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज ग्रौर पांच भारतीय ग्रौद्योगिकी संस्थान ग्रौर भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।

समिति को बताया गया कि देश में विभिन्न चिकित्सा ग्रनुसन्धान संस्थानों ग्रौर चिकित्सा कालेजों को ग्रनुपूरक ग्रनुदार देकर वायु प्रदूषण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा सकती हैं । इसकी भी जांच की जानी चाहिए ।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) ग्रधिनियम, 1974 में उपबधों की कार्यान्विति में बाधाएं

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) ग्रधिनियम, 1974 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार ग्रधिकारियों के साथ ग्रौपचारिक वार्ताग्रों के दौरान समिति को यह बताया गया कि ग्रधिनियम को कारगर रूप से लागू करने तथा उसकी क्रियान्विति में उन लोगों के सामने कई बाधाएं ग्रा रही हैं । तकनीकी कुशलता का ग्रभाव है ग्रौर विभागों में तकनीकी स्कंध बहुत सीमित होने के कारण विभाग सर्वदा इस स्थिति में नहीं होते कि वे कुछ प्रकार के उद्योगों को कोई उचित सलाह दे सकें। विशेषकर ग्रपेक्षाकृत छोटे उद्योगों के मामले में ग्रधिनियम के उपबंध कार्यान्वित करने में भी वे कठिनाई का ग्रनुभव कर रहे हैं क्योंकि ये उद्योग वायु (प्रदूषक तत्वों) के नियंत्रण में रखने हेतु ग्रावश्यक महंगी-महंगी मशीनें तथा उपकरण; जोकि एक तरह से देश में उपलब्ध नही हैं, लगाने की स्थिति में नहीं हैं ।

समिति का यह प्रबल मत है कि पर्यावरण प्रदूषण के किसी पहलू के निवारण तथा नियंत्रण हेतु कोई कानून बनाकर किसी ग्रभिकरण के निर्माण मात्र से इस दिशा में तब तक कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक कि कानून को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए समुचित प्रशासनिक तंत्र के निर्माण तथा इस क्षेत्र में महारत हासिल करने जैसे विषयों को उचित प्राथमिकता नहीं दी जाती । ग्रतः समिति की यह राय है कि प्रस्तावित विधान को समुचित प्रवर्तन तथा कारगर क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु सरकार निम्नलिखित ग्रविलम्बनीय कदम उठाने की वांछनीयता पर विचार करे ।

(एक) तकनीकी कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक तथा ग्रल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था;

(दो) संबंधित विभागों द्वारा ठीक ढंग से कार्य सम्पन्न किया जाये इस हेतु संबंधित विभागों में पर्याप्त कर्मचारियों ग्रादि की नियुक्ति;

(तीन) जब तक वायु प्रदूषक तत्वों की निगरानी हेतु उपकरण तथा मशीनें देश ही में उपलब्ध नहीं होती तब तक ऐसे उपकरण तथा मशीनों के ग्रायात तथा वितरण की व्यवस्था;

(चार) देश में ग्रनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों की पर्याप्त व्यवस्था ताकि इस क्षेत्र में हम जल्दी ही ग्रात्मनिर्भर हो सकें ।

(पांच) मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाकर उनमें ऐसी समय सीमाएं निर्धारित की जायें जिनके भीतर विद्यमान उद्योगों से ग्रधिनियम के उपबंधों का पालन करने को कहा जाये; ग्रौर

(छ:) प्रदूषण नियंत्रक के लिए आवश्यक उपकरण मशीनरी लगाने के लिए छोटे उद्योगों को राज सहायता/सहायता देने हेतु निधि स्थापित करना। प्रोत्साहन के रूप में उद्योगों को उपकर या करों में कुछ छूट भी दी जा सकेगी।

समिति इस बात को पूरी तरह जानती है कि भारत जैसे विकासशील देश में जिसने उद्योगीकरण के विशाल कार्यक्रम को आरम्भ किया है अत्याधिक कठोर और अवास्तविक प्रदूषण विरोधी उपाय न तो व्यावहारिक हैं और न ही देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक है। पर्यावेक्षण प्रदूषण की रोकथाम के कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकाता है जिससे की एक ओर उद्योगों के विकास में जो कि देश के विकास के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं। अनावश्यक रूप से बाधा नहीं पड़े तथा दूसरी ओर प्रदुषण तत्व जोकि हानि कारक प्रभाव डालते हैं उनको पर्याप्ररूप से नियंत्रित किया जा सके। समिति का विचार है कि एक व्यापक बहुमाध्यम जन शिक्षा अभियान के द्वारा इस दिशा में राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करने से इस कानून के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सामान्य नागरिक को पर्याविशन के महत्व से अवगत कराया जाना चाहिए। जिससे कि वह व्यापक सामाजिक हित में क्रियान्वयन अधिकारियों के साथ समझदारी से सहयोग कर सकें।

4. शोर जन्य प्रदूषण

समिति को बताया गया है कि उद्योगों, मोटरवाहनों, वायुयानों, परिवर्धक यंत्रों तथा अरूसाधनों से उत्पन्न शोर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रायः खतरनाक होता है। फैक्टरियों के अन्दर शोर से कुछ मामलों में टोकन होने वाला बहिरापन हो सकता है। जोकि औद्योगिक कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। क्योंकि शोर हवा के जरीए फैलता है। इसलिए यह विचार व्यक्त किया गया है कि इसे कणाकार या सल्फर डायाक्साइड जैसा संभावित वायु प्रदुषण तत्व माना जाना चाहिए। और इस लिए इसे प्रस्तावित विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा इस बात की जांच करने के लिए कि क्या शोर प्रदुषण के नियंत्रण के उपायों को प्रस्तावित विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सकता है। गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यक्त किया गया है कि शोर प्रदूषण का प्रभाव केवल दूसरा विचार या भौतिक से होता है। तथा वायु प्रदुषण तत्वों की भांति रासायनिक नहीं होता। उनके विचारों के अनुसार शोर से वायु का स्वरूप और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह अस्थायी होता है और वायु के माध्यम से फैलता है जैसे ही शोर उत्पन्न करने वाली स्रोत शोर उत्पन्न करना बन्द कर देती है वह भी शिघ्र समाप्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि यह एक तात्कालिक प्रदुषण तत्व होता है किन्तु उसका चारों ओर की वायु पर बहुधा दीर्घकालीन प्रभाव नहीं होता है और इसलिए इसे सामान्य वायु प्रदुषक तत्वों के समान नहीं माना जाना चाहिए।

समिति को बताया जाता है कि कानूनी दृष्टि से वायु प्रदूषण का क्षेत्र बहुत व्यापक है। शोर प्रदुषण का कोई भी स्रोत हो यह आवश्यक रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। शोर प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रण करने का कानून राज्य सूची की प्रविष्टि 6 में "सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता" के विषय के अन्तर्गत अधिक आता है। शब्दावली "सार्वजनिक स्वास्थ्य का बड़ा व्यापक अर्थ है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए हानिकर सभी तत्व शामिल हैं इस लिए शोर प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रण करने सम्बन्धी कानून जहां तक उसका सम्बन्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य से है केवल राज्य विधान मंडल बनाया जा सकता है।

तथापि संसद् भी संविधान के अनुच्छेद 252 में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर इस प्रकार का कानून बनाने के लिए सक्षम है।

समिति इस बात से अवगत है कि आज की दुनिया में आज की उन्नत प्रोद्यौगिकी से उत्पादित सरल और सेवाओं की निरंतर बढ़ती हुई मांग है कि एक ओर जहां आधुनिक प्रोद्योगिकी लोगों को आराम पहुंचाती है वहां वहीं प्रौद्योगिकी प्रायः असुविधायें पैदा करती है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से उद्योगों परिवहन तथा अन्य आवाज उत्पन्न करने वाली मशीनों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक प्रगति से आसपास के शोर की स्तर मात्रा बहुत अधिक बढ़ गयी है। लोगों को यह शोर सहन करना पड़ता है। विशेष रूप से उन लोगों को जो घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र में रहते हैं। समिति ने यह भी नोट किया है कि वर्तमान दशक में शोर के सम्बन्ध में लोगों की चिन्ता निरन्तर बढ़ रही है।

समिति का विचार है कि क्योंकि देश में शोर प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। यह उचित तथा वांछनीय होगा कि उसे एक केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा नियंत्रित करने के उपाय किए जायें। इसलिए समिति का विचार है कि सरकार देश में शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा उचित कानून बनाने की वांछनीयता पर विचार करें।

5. व्यापक कानून और एक समन्वयन तंत्र स्थापित करना

विचार विमर्श के दौरान समिति को बताया गया कि विद्यमान जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974 कार्यचालन में अनेक कमियों तथा संगठनात्मक कठिनाइयां हैं। यद्यपि यह अधिनियम चार वर्ष से अधिक समय से प्रवर्तन में है तथापि देश में ऐसे कुछ राज्य हैं जहां कि जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी स्थापित नहीं हुए हैं और जिन राज्यों में बोर्ड स्थापित किए गए हैं उनमें भी वे सदैव कारगर ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप वांछित नतीजों को प्राप्त करने में प्रगति नहीं हुई है।

पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न पक्षों की गहराई से जांच करने के पश्चात् समिति का यह विचार है कि सम्पूर्ण देश में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण उपायों में समानता रखने के लिए सरकार एक व्यापक कानून बनाने की संभावना पर विचार करे ताकि सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए व्यवस्था की जा सके। कानूनी दृष्टि से भी समिति को बताया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 252 के उपबन्धों के अनुसार जल, वायु तथा शोर सहित पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए संसद् ऐसा एक व्यापक कानून बनाने के लिए सक्षम है।

समिति का यह भी विचार है कि संयुक्त राज्य अमेरीका, जहां कि केन्द्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की एक ही ऐजेंसी है जिसमें विभिन्न विशेषता प्राप्त शक्ति शामिल है, के समान सरकार केन्द्र में एक पर्यावरण सम्बन्धी मंत्रालय या विभाग स्थापित करने पर विचार करे जिसका विभिन्न बोर्डों अर्थात् जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शोर नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड पर प्रशासनिक नियंत्रण हो तथा जो उनके बीच समन्वय स्थापित करे। राष्ट्रीय पर्यावरण योजना और समन्वय समिति को भी सक्रिय किया जाना चाहिए। जिससे कि वह योजना आयोग के साथ निकट समन्वय करके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण समस्याओं के हल के लिए एक केन्द्रीय ऐजेंसी की भूमिका अदा कर सके।

समिति का यह भी विचार है कि विभिन्न बोर्डों के कार्यों में पुनरावृत्ति तथा परस्पर व्याप्ति से बचने के लिए प्रयोगशालाएं तकनीकी विशेषज्ञता तकनीकी के निमित्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिये कोई योजना बनानी चाहिये।

6. धूम्रपान विरोधी कानून को क्रियान्वित करना

जहां तक मानव स्वास्थ्य का सम्बन्ध है वायु-प्रदूषण का दुष्प्रभाव मुख्यतः स्वांसनली तथा फेफड़ों पर पड़ता है। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पर पड़ता है। कार्बनिक तथा अकार्बनिक धूल कणों तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों से प्रदूषित वायु जब सांस के साथ अन्दर जाती है तो उससे फेफड़ों को क्षति पहुंचती है और वह फेफड़े में जलन और सूजन पैदा कर देती है। धूम्रपान करने वालों पर विशेषकर इसका जल्दी असर हो जाता है क्योंकि धूम्रपान की अन्य प्रकार के प्रदूषण के साथ विषैली सक्रिया हो जाती है। समिति को बताया

गया कि सिगरेट पीना एक खतरनाक आदत है उससे स्वास्थ्य को भयंकर खतरा पैदा हो जाता है। लगातार सिगरेट पीने से स्थायी ब्रोंकाइटिस पोप्टिक अल्सर, पेट में गड़बड़ कारोनरी हृदय रोग उच्च रक्त चाप और फेफड़े का कैंसर हो जाता है। समिति को यह भी बताया गया कि सतत चिकित्सा अनुसन्धान के विश्वव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययनों से पता चलता है कि सिगरेट पीने स कारोनरी हृदय रोगों का खतरा तीन गुना बढ़ जाता है। महिलाओं द्वारा धूम्रपान न करने वाली माता की तुलना में उस महिला के मामले में जो एक दिन में दस सिगरेट पीती है यह संभावना अपेक्षाकृत बहुत अधिक है कि उसका बच्चा या तो गर्भ में ही मर जाएगा अथवा पैदा होने के बाद पहले चार सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। यदि बच्चा जीवित रह जाता है तो उसके मामले में धूम्रपान न करने वाली महिला के बच्चे की तुलना में यह संभावना अधिक है कि वह अपने प्रारम्भिक वर्षों में पढ़ने लिखने और समाज में उठने बैठने में अन्य बच्चों से पीछे रह जाएगा।

समिति को यह पता है कि सरकार ने गिरे सिगरेट (उत्पादन, पूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 बना कर सिगरेट पीने के विरुद्ध कुछ कदम उठाये हैं किन्तु उसे इस बात से गहरी चिन्ता हुई है कि यह अधिनियम सिगरेट पीने की आदत कम करने में कारगर साबित नहीं हुआ है जो कि इस बात से स्पष्ट है कि सिगरेट की निरन्तर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बाजार में सिगरटों के कई ब्रांड भरे पड़े हैं, तथा विभिन्न समाचारपत्रों, और फिल्मों में हमेशा आकर्षित संदेशों वाले ऐसे विज्ञापन प्रकाशित होते हैं जिनसे नवयुवक सिगरेट पीने की ओर आर्कषित हों।

समिति की यह राय है कि जब तक इस दिशा में और कारगर कदम नहीं उठाये जाते तब तक वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सिगरेट की डिब्बियों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनी छापने से सिगरेट पीने की आदत दूर करने तथा सिगरेट की खपत कम करने की कोई सम्भावना नहीं है सिगरेट की डिब्बियों पर लिखित चेतावनी के साथ कोई चिन्ह अंकित करने अथवा उसका चित्र छापने से भी, जो कि सिगरेट निर्माताओं की ऐसोसिएशन के विचाराधीन बताया जाता है। वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पायेंगे।

अतः समिति का दृढ़ विचार है कि सिगरेट पीने से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कई दुष्प्रभावों के संदर्भ में सरकार धूम्रपान की आदत को नियंत्रित करने की दृष्टि से और उपाय करने की व्यवहार्यता पर विचार करे, जैसे :

(एक) तम्बाकू में निकोटिन की मात्रा कम करने के लिए कानून बनाना;

(दो) सिगरेट का प्रचार करने के लिए दिए जाने वाले आकर्षक लिखित संदेशों अथवा उनके चित्रों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना;

(तीन) सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से धूम्रपान के खतरों के बारे में व्यापक प्रचार अभियान;

(चार) औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इस बात के लिए बाध्य करना कि वे धूम्रपान के खतरों के बारे में अपने श्रमिकों को शिक्षित करें;

(पांच) सभी स्तरों पर पाठ्य पुस्तकों में धूम्रपान और उसके दुष्प्रभावों के बारे में एक अध्याय शामिल करना; और

(छः) चारदिवारी वाले सभी क्षेत्रों तथा जनोपयोगी सेवाओं के अन्य-अन्य स्थानों में धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना।

7. मथुरा रिफाइनरी तथा ताजमहल

प्रस्तावित विधेयक के प्रभावों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से समिति ने देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते समय मथुरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी तथा आगरा स्थित ताजमहल का विशेष रूप से दौरा किया जिससे इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक पर इस समय पड़ रहे वायु प्रदूषकों के प्रभाव का रिफाइनरी से निकलने वाली वायु प्रदूषकों से पड़ने वाले संभावित प्रभावों का अध्ययन

किया जा सके । समिति इस बात से अवगत है कि रिफाइनरी से निकलने वाले वायु प्रदूषकों से ताज महल पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में उठाया गया विवाद प्रस्तावित विधेयक की परिधि में नहीं आता । चूंकि इस मामले में भारत तथा विदेशों में जनता ने काफी रुचि दिखाई और इसका संबंध हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से है; इसलिए समिति के लिए अपने विचाराधीन प्रस्तावित विधेयक के स्वरूप को देखते हुए इस समस्या पर विचार करना आश्यक हो गया ।

समिति को सूचित किया गया कि पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से प्रदूषण के प्रभाव को कम से कम रखने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में परियोजना प्राधिकारियों को सलाह देने के लिए जुलाई, 1974 में डा० एस० वरदराजन की अध्यक्षता में गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की थी :–

(एक) आगरा में विशेष कर आगरा किला और ताजमहल के निकट सल्फर डाइ-आक्साइड का प्रदूषण और अन्य प्रदूषणकारी तत्व काफी मात्रा में हैं । प्रदूषण के संभावित स्रोत के संभावित स्रोत सभी कोयला उपयोगकर्ता हैं जिनमें दो विद्युत संयंत्र लगभग 250 फाउंड्रियों और रेलवे शंटिंग यार्ड सहित अनेक उद्योग शामिल हैं जो क्रमशः 1100 मीटरी टन, 2000 से 3000 मीटरी टन और 40 से 50 मीटरी टन कोयला प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं ।

(दो) भारतीय तेल निगम के अनुमान के अनुसार सल्फर डाइआक्साइड की कुल मात्रा प्रति घंटा एक मीटरी टन तक सीमित होगी ।

(तीन) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किए गए अलग-अलग अध्ययनों और मैसर्स टैक्निको (एक इतालवी फर्म) तथा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा कि गई जांच पर आधृत अनुमानों के अनुसार 15 से 20 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर वर्तमान स्तर के मुकाबले रिफाइनरी से आगरा में सल्फर डाइआक्साइड का दीर्घकालिक सान्द्रण एक से दो माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होगा । सर्दियों में खराब से खराब मौसम में 65 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के अल्पकालिक (एक घंटा) सर्वाधिक सांद्रण की आशा की जा सकती है ।

(चार) आगरा में प्रदूषण के विद्यमान स्तर को कम करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए ।

(पांच) यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आगरा में रिफाइनरी के कारण सल्फर डाइआक्साइड स्तर में वास्तविक दीर्घकालिक योगदान 2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर न हो ।

विशेषज्ञ समिति ने आगरा में अनमोल स्मारकों विशेषकर ताजमहल को बचाने के लिए गंभीर चिंता प्रकट करते हुए शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार के विचारार्थ अनेक सिफारिशें की ताकि विद्यमान प्रदूषण स्तर को काफी कम किया जा सके और किसी और भावी प्रदूषक स्रोत को न बनने दिया जाए । विशेषज्ञ समिति ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि लगातार अध्ययन और जांच करने की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि स्मारकों को प्रदूषक तत्वों या ऐसे किसी अन्य तत्वों से खराब होने से रोका जा सके ।

समिति को यह भी बताया गया कि मैसर्स टेकनिको की रिपोर्ट के अनुसार संगमरमर तथा भुर भुरे बलुआ पत्थर में क्षय होना आरम्भ हो चुका है। यह बताया गया है कि विशेष कर समिति की रिपोर्ट की जांच रोम स्थित सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण और पुनरू -द्धार के अध्ययन सम्बन्धी अन्तरष्ट्रीय केन्द्र के सहायक निदेशक डाक्टर जी० टोरेका द्वारा भी की गई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि ताजमहल जैसी इमारत के लिए एक प्रतिशत जोखिम बहुत अधिक है ।

समिति को इस विषय के सम्बन्ध में अन्य विशेषज्ञों के विचार सुनने का भी अवसर मिला । समिति को बताया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा मैसर्स

टेकनिकों की रिपोर्टें अपर्याप्त आंकड़ों पर आधारित है और यह कि विशेषज्ञ समिति क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल नहीं थे । इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं ने कुछ दूरी से इस स्मारक पर केवल सल्फर डायआक्साइड के प्रभाव पर विचार किया था तथा रिफाइनरी से निकलने वाले अन्य प्रदूषक तत्वों जैसे कार्बन तथा नाइट्रोजन की आक्साइडों, धूल, पयररचरिक क्रिया से उत्पन्न उत्पादों तथा कणाकार पदार्थों के संभावित प्रभाव की ओर ध्यान नहीं दिया था जिससे कि ताजमहल तथा अन्य स्मारकों का रंग और रूप खराब हो जायेगा ।

जब मैसर्स टेकनिकों की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर डाक्टर जी० टोराको ने शंका व्यक्त की तब समिति को जानकारी दी गई कि बताया जाता है कि टेकनिकों विशेषज्ञों ने भी यह स्वीकार किया था कि कोई भी व्यक्ति स्मारकों के संरक्षण के बारे में स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि प्रदूषण और क्षय का क्या अनुपात है । इसकी अभी तक किसी को जानकारी नहीं है तथा सिद्धांन्तिक रूप से वायु प्रदूषण में प्रति घन मीटर एक माइक्रोग्राम की वृद्धि पत्थर के संरक्षण के लिये ठीक नहीं होगी । समिति को यह भी बताया गया कि विशेषज्ञ समिति ने विषैले अपशिष्ट तत्व उसके संशोधन के बाद भी गिराये जाने, जो जमुना नदी में आगरा तक आयेगा, के प्रभावों की उपेक्षा कर दी थी । समिति को बताया गया है कि एन० ई० ई० आर० आई० के सर्वेक्षण के अनुसार यमुना नदी का जल पहले से ही प्रदूषित हो चुका है और रिफाइनरी से अतिरिक्त प्रदूषक तत्वों तथा इनके गुणक प्रभाव आगरा के क्लोरीन युक्त पेय जल को इतना विषाक्त बना देंगे जिससे मानव तथा उसकी सन्तति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

समिति को यह भी बताया गया कि पश्चिम के देशों में वायु प्रदूषक तत्वों के प्रभाव से कला तथा वास्तुशिल्प की अनेक बहुमूल्य कृतियां नष्ट हो गई हैं । उदाहरण के लिये एथेंस में एक्रोपीलिस के आश्चर्यजनक संगमरमर के मन्दिर पर जो 2400 वर्षों से प्रकृति के प्रकोप को सहता रहा है अब तक 30 वर्षों के दौरान एथेंस के समीप वाहन यातायात में वृद्धि , शहरीकरण तथा औद्योगिक विकास के कारण सल्फर डायआक्साइड, संरक्षक गैसों तथा काले धुएं से बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है । क्लिओ पेट्राज नीडल जिसे मिश्र देश से न्यूयार्क ले जाया गया था उसका गत 3500 वर्ष की अपेक्षा गत 70 वर्षों में अधिक ह्रास हुआ है । स्मारकों की रक्षा के लिए अमरीका की निरन्तर रूचि होने तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति का उपयोग करने के बावजूद बताया जाता है कि वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल का संगमरमर का प्रदूषित वायु के एसिडों के प्रभाव से बहुत तेजी से ह्रास होता जा रहा है ।

समिति का विचार है कि ऐसे विषयों पर विशेषज्ञ परस्पर सहमत नहीं होते हैं । किन्तु समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये पूरे साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् समिति को इसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है कि मथुरा रिफाइनरी के निर्माण से आगरा के वायुमण्डल में प्रदूषण का स्तार बहुत अधिक बढ़ जायेगा तथा यह ताजमहल के लिये स्पष्ट रूप से खतरा उत्पन्न कर देगा जोकि संभवत: दुनियां का सर्वाधिक और सुन्दर अद्वितीय स्मारक है और जो सफेद संगमरमर का बना है जोकि सल्फर डायआक्साइड से विशेष रूप से प्रभावित होता है । समिति का विचार है कि यदि रिफाइनरी बन गई तो यह अवश्य अपेक्षा की जा सकती है कि वह कम से कम 150 या 200 वर्षों तक कार्य करती रहेगी और यदि जिन विशेषज्ञों ने निराशावादी विचार व्यक्त किए हैं वे सही सिद्ध होते हैं और हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण नहीं कर पाते हैं जोकि समस्त मानवता की धरोहर के रूप में हमारे पास है तो हम भावी पीढी के प्रति बहुत भारी अपराध के भागी होंगे ।

समिति ने स्वयं यह देखा है कि रिफाइनरी की कुछ संरचनाओं का निर्माण हो चुका है और कुछ और संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। अब तक हुये व्यय के सम्बन्ध में समिति को बताया गया कि यह व्यय 100 करोड़ रुपये हुआ है जिसमें से 15 करोड़ रुपये भूमि अर्जन सिविल निर्माण कार्य आदि पर हुआ तथा लगभग 85 करोड़ उपकरणों पर व्यय हुआ है । समिति का विचार है कि यदि रिफाइनरी का निर्माण किसी अन्य स्थान पर किया जाये जो कि मथुरा से बहुत अधिक दूर न हो तो निर्मित संरचनाओं का उपयोग भंडारण, परिवहन तथा आवश्यक सामान्य

के वितरण के लिये किया जा सकता है जिससे कि वे पूर्णतया व्यर्थ नहीं हो जायें तथा अधिकांश उपकरणों को दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है । यदि इससे कुछ अनुपयोगी व्यय हो सकता है किन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि ताजमहल का सांस्कृतिक तथा कलात्मक मूल्य होने के अतिरिक्त यह पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केन्द्र है, जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के द्वारा प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता प्रदान करता है । समिति का विचार है कि ताजमहल रिफाइनरी की सम्पूर्ण लागत कुछ वर्षों में ही पर्यटन से अर्जित आय द्वारा पूरी कर सकता है किन्तु यह तभी संभव हो सकता है जब कि इसकी कान्तिमय सुन्दरता जोकि इसकी चमकदार स्वेत वाध्य सतह की मृदुता तथा प्रकाश प्रतिबिम्बित करने के गुण पर निर्भर करता है, को बनाये रखा जाये । मामले की सावधानी पूर्वक जांच करने तथा गुण-दोष की तुलना करने के पश्चात समिति का यह निष्कर्ष है कि पुरातत्वीय परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण की दृष्टि से मथुरा रिफाइनरी स्थापित करने के लिये सर्वाधिक अनुपयुक्त स्थल है । समिति का विचार है कि रिफाइनरी के वायु प्रदूषक तत्वों के दुष्प्रभाओं से ताजमहल तथा आगरा और ब्रजमण्डल के अन्य स्मारकों को बचाने के लिये सरकार को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार आगरा में इस समय उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषक तत्वों की रोकथाम के लिये शीघ्र कारगर उपाय करने के अतिरिक्त रिफाइनरी की समस्या पर नये सिरे से विचार करना चाहिये तथा कम से कम रिफाइनरी की सर्वाधिक प्रदूषणकारी यूनिटों को इटावा क्षेत्रों में ले जाने कि संभाव्यता पर विचार करना चाहिये । समिति का यह भी विचार है कि संसाधन के बाद शेष रहे तरल पदार्थ की बाह्य प्रवाही धारा को जिस के द्वारा आगरा क्षेत्र के पहले से ही प्रदूषित पीने के जल को विषाक्त कर दिये जाने की संभावना है यदि संभव हो तो, पाइप लाइन के जरिये आगरा या इटावा से आगे नदी में किसी उपयुक्त स्थान पर प्रवाहित कर दिया जाना चाहिये जिससे पीने के पानी की सप्लाई की रक्षा हो सके ।

8. स्मारकों की रक्षा के लिये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को शक्तियों का प्रत्यायोजन

समिति ने प्रस्तावित विधान पर अपने विचार विमर्श के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जोकि स्मारकों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है, की भूमिका पर चर्चा की । यह पूछे जाने पर कि विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण के खतरों ताजमहल तथा अन्य एतिहासिक स्मारकों की रक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा क्या उपाय किये गये हैं, समिति को बताया गया कि सम्बन्धित अधिकारी मथुरा में रिफाइनरी स्थापित करने के सरकार के निर्णय से आगरा के स्मारकों विशेष रूप से ताजमहल पर प्रस्तावित रिफाइनरी की चिमनी से गैसीय प्रवाह के संभावित हानिकारक प्रभावों के कारण आशंकित हो गये थे । जिसके फलस्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान नागपुर से आगरा में स्मारकों के आस पास वर्तमान वायु की किस्म का सर्वेक्षण करने के लिये कहा कि की गई जांच से पता चला कि आगरा क्षेत्र में विशेष रूप से आगरा के किला तथा ताजमहल के पास दो बिजली सयन्त्रों तथा 250 फाउंड्रियों सहित उद्योगों तथा रेल शंटिंग यार्ड के कारण सलफर-डायआक्साइड तथा कणाकार तत्वों की उपस्थिति के बहुत अधिक प्रदूषण है ।

तदनुसार संबंधित प्राधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया था कि वह विद्युत संयंत्रों तथा ढलाई घरों से होने वाले प्रदूषण के सहायक कारणों को दूर करन के उपाय करें । इसी प्रकार रेलवे बोर्ड से भी मार्शलिंग यार्ड में वर्तमान कोयले से चलने वाले इंजिनों के स्थान पर डीजल से चलने वाले रेल इंजिनों का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया था । समिति को बताया गया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्वयं आगरा और दिल्ली में स्मारकों के प्रभावित भागों के नमूने लिये थे और यह पाया था कि सल्फर डाइ आक्साइड से संगमरमर पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है ।

जिस समय आगरा क्षेत्र में विद्यमान स्मारकों पर मथुरा के तेल शोधक कारखाने से पड़ने वाले पर्यावरण संबंधी दुष्प्रभाव के संबंध में सरकार को परामर्श देने हेतु डा० एस० वरदराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी थी, उस समय समिति को बताया गया था कि बैठक की कार्यवाही में भाग लेने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है तथा उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि पुरातत्व की दृष्टि से विभाग नहीं चाहता कि तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थापित किया जाये।

प्राधिकारियों ने यह भी बताया कि विद्यमान अधिनियम अर्थात पुरातत्व स्थलों तथा पुरातत्व अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन उन्हें स्थापित किये जा रहे किसी उद्योग को रोकने की शक्ति नहीं है । उन्हें इस अधिनियम के अधीन स्मारक स्थल के पास के कुछ क्षेत्रों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने की सीमित शक्ति ही है ताकि अथ खान अथवा खदान कार्यों अथवा किन्हीं ऐसे कार्य कलापों को रोका जा सके जिन से कि रक्षित स्थल को क्षति पहुंच सकती हो ।

समिति का विचार है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का समुचित बचाव एवं संरक्षण किया जाये सरकार को चाहिये कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आवश्यक शक्तियां प्रदान करने की दृष्टि से विद्यमान अधिनियम में संशोधन करने की वांछनीयता पर विचार करे ताकि ऐसे स्मारकों के आसपास किसी प्रकार का औद्योगिक विकास करने से पूर्व उनसे निरापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा ।

9. इन्द्रप्रस्थ ताप बिजली घर, दिल्ली

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान ने 1968–69 में किये अपने सर्वेक्षण में इस बात का उल्लेख किया था कि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में सल्फर डाइ आक्साइड, हाइड्रोसल्फाइड और धूल जैसे प्रदूषक पदार्थ काफी मात्रा में विद्यमान हैं । दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य स्त्रोत दिल्ली के मध्य भाग में स्थित इन्द्रप्रस्थ ताप बिजलीघर में निचले जड के ऐसे कोयले का प्रयोग किया जाता है जिस में लगभग 30 प्रतिशत राख होती है। अब बिजलीघर की सभी यूनिटें चालू थी तो इसमें प्रतिदिन लगभग 3500 मीटरी टन कोयला जलाया जाता था और परिणामतः लगभग 1000 मीटरी टन राख होती थी। इस राख में 90 से 95 प्रतिशत तक राख संयंत्र में ही रुकी रहती थी और करीब 5 से 10 प्रतिशत तक चिमनियों में से उड़कर चली जाती थी । इस राख को रोकने के लिए मुख्यतः यांत्रिक डस्ट कलेक्टरो और इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रैसीपिटेटर्स उपकरणों का प्रयोग होता था इस बिजलीघर में लगाये गये विद्यमान इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसीपिटेटर्स उपकरणों का डिजाइन उस समय तैयार किया गया था जब कि पश्चिमी देशों के प्रमुख निर्माताओं को कोयले में विद्यमान कम सल्फर अंश अथवा इलैक्ट्रोस्टेटिक तरल का पता ही नहीं था । फलतः सातवें दशक के आरम्भ में तैयार डिजाइन वाले प्रैसीपिटेटर झरिया, धनबाद कोयला क्षेत्र से प्राप्त कम सल्फर वाला/अधिक राख वाला कोयला प्रयोग करने वाले बायलरों के लिये छोटे आकार के तथा न टिकने वाले थे ।

प्रदूषण की इस समस्या को हल करने के प्रयास में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा ऊर्जा मंत्रालय ने कई पश्चिमी विशेषज्ञों से इन प्रैसीपिटेटरो की जांच कराई जिन्होने सर्वसम्मति से यह राय दी कि बड़ी फेरबदल/परिवर्तन किये बिना विद्यमान धूल संग्राहक उपकरण के कार्यानिष्पादन में और अधिक सुधार नहीं किया जा सकता । इसी प्रयास के अनुसरण में, ऊर्जा मंत्रालय ने इन्द्रप्रस्थ बिजली घर से होने वाले वायु प्रदुषण को कम करने के उपायों की जांच करने और उस बारे में सलाह देने के लिए 1976 में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक (इंजीनियरी) डा० एच० एल० शरण की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की । यह समिति भी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सभी यूनिटों के धूल संग्राहक उपकरणों में फेरबदल की जानी चाहिये तथा या तो विद्यमान उपकरणों के साथ या उन के स्थान पर नये इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसीपिटेटर लगाये जायें । समिति ने यह भी सिफारिश की कि ये विनियमनकारी आदेश जारी किये जायें कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर के बायलरों में जलाने के लिये कम राख वाला कोयला (जिस में 25 प्रतिशत से अधिक राख नहीं) सप्लाई किया जाये । तथापि, वास्तविक रूप से ऐसे कोयले की सप्लाई में अधिक सुधार नहीं हुआ है ।

जहां तक इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा किये गये उपायों का संबंध है, समिति को यह बताया गया था कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 113 लाख रुपये की लागत से दो इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसीपिटेटरों का क्रयादेश दिया गया था । परियोजना सफलतापूर्वक चालू हो जाने पर आशा की जाती है कि इस समय निःसृत फ्लू गैस में जो 3000 से 4000 मि० ग्रा० प्रति घन मीटर धूलिकण निकलते हैं उनका स्तर कम करके 150 मि० ग्रा० प्रति सामान्य घन मीटर किया जा

सकेगा । यूनिट संख्या 2 और 3 के मामले में (ऊर्जा मंत्रालय में विद्यमान इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटरों) में फेरबदल करने नये क्षेत्र जोड़ने और गैस अनुकूलन उपकरण की व्यव के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी । इस योजना के जिस पर लगभग 200 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है क्या कार्यान्वित हो जाने पर इससे धूल निकलने का स्तर जो इस समय बाहर निकलने वाली कूल गैस के प्रति घन मीटर राख में 1500 से 2500 मि० ग्रा० होता है वह कम होकर 150 मि० ग्रा० प्रति सामान्य घन मीटर से कम हो जायेगा । यूनिट संख्या 1 के नये इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटरों और यूनिट संख्या 2 तथा 3 के विचाराधीन उपकरणों के तुलनात्मक कार्य निष्पादन को देखकर दिया जायेगा ।

समिति को यह जानकर अप्रसन्नता हुई है कि इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों ने इतनी लम्बी प्रक्रिया अपनायी । बिजली घर की विभिन्न यूनिटों के इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटरों को फेरबदल प्रतिस्थापन थोड़ा थोड़ा करके किये जाने से पता चलता है कि संबंधित प्राधिकारियों ने इस समस्या को उचित महत्व नहीं दिया जो कि दिल्ली के निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी तथा संसार की सर्वाधिक सुन्दर राजधानियों में से एक राजधानी के नागवार और अस्वास्थ्यकर प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है ।

अतः समिति जोरदार शब्दों में सिफारिश करती है कि विद्यमान इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटरों की फेरबदल/प्रतिस्थापन के संबंध में तत्काल उपाय किये जाने चाहिये ताकि इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर से उत्पन्न स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रदूषण से दिल्ली वासियों को बचाया जा सके । समिति की यह भी राय है कि यदि भविष्य में कली दिल्ली के लिए कोई नया बिजलीघर बनाने का प्रस्ताव हो तो सरकार यह सुनिश्चित करे कि यह नगर की सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से काफी दूर नगर की सीमा से बाहर बनाया जाये ।

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगवलार, 15 मई, 1979 को 15.00 बजे से 15.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

डा० करण सिंह—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री मनोरंजन भक्त
3. श्री दिनेश जोरदर
4. श्रीमती पार्वती कृष्णन
5. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
6. श्री आर० के० महालगी
7. श्री गणनाथ प्रधान
8. श्री राम किंकर
9. श्री ए० सुन्नासाहिब
10. श्री सिकन्दर बख्त

राज्य सभा

11. प्रो० सौरेन्द्र भट्टाचार्जी
12. श्री धर्म चन्द जैन
13. श्री गयूर अली खां

14. श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब

15. श्री लक्ष्मण महापात्र

16. श्री अजीत कुमार शर्मा

17. श्री त्रिलोकी सिंह

18. डा० रफ़ीक जकारिया

सचिवालय

श्री यदुवंश सहाय——**मुख्य विधायी समिति अधिकारी ।**

विधान परिषद

1. श्रीमती रमा देवी——**संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता ।**
2. श्री जगदीश्वर नारायण——**सहायक विधायी परामर्शदाता ।**

निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री मीर नसरुल्ला——**संयुक्त सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।**
2. श्री बी० वी० रोतकर——**सदस्य सचिव, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ।**
3. श्री पी० एस० ए० सुन्द्रम——**उप-सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।**
4. श्री जे० एन० कालिया——**अवर सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय ।**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि

श्री डी० के० बिस्वास——**मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी ।**

2. सर्वप्रथम, समिति ने विधान परिषद द्वारा सुझाये गये प्रारूपण तथा पारिणामिक स्वरुप के निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया तथा उन्हें स्वीकार किया :—

क्रमांक	खण्ड	संशोधन
(एक)	खण्ड 6 का परन्तुक (पृष्ठ 4)	"ऐसी सभी शक्तियां और कृत्य या उनमें से कोई, जिनके पालन या निर्वहन के लिये उसे इस धारा के अधीन सशक्त किया गया है" के स्थान पर "सभी शक्तियां और कृत्य या उनमें से कोई इस धारा के अधीन" प्रतिस्थापित किया जाये ।
(दो)	खण्ड 16 (2) पंक्ति 37 (पृष्ठ 7)	"पूर्वगामी कृत्य" के स्थान पर "पूर्वगामी कृत्यों" प्रतिस्थापित किया जाये ।
(तीन)	खण्ड 24 (4) (पृष्ठ 13)	"जम्मू और काश्मीर राज्य के संबंध में उस राज्य में प्रवृत्त किसी तदनुरूपी कानून के उपबन्ध" के स्थान पर "जम्मू और कश्मीर राज्य या किसी क्षेत्र में जहां वह संहिता प्रवृत्त नहीं है, उस राज्य या क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तदनुरूपी कानून के उपबन्ध" प्रतिस्थापित किया जाये ।
(चार)	खण्ड 47 (3) (ख) (पृष्ठ 21)	"नाम-निर्देश या नियुक्ति के लिये अनर्हित नहीं समझा जायेगा" के स्थान पर "नाम निर्देश या नियुक्ति के लिये भी पात्र होगा" प्रतिस्थापित किया जाय ।

खण्ड 6, 16, 21, 24 और 47 और संशोधित रूप में, स्वीकार किये गये ।

3. उसके बाद समिति ने विधेयक पर विचार किया तथा उसे, संशोधित रूप में, स्वीकार किया ।

4. उसके बाद समिति ने निम्नलिखित रूपभेदों के अध्यधीन प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया :—

5. सभापति ने घोषणा की कि विमति टिप्पण, यदि कोई हो, लोक सभा सचिवालय को भेजा जाये ताकि यह उनके पास गुरुवार, 17 मई, 1979 को 12.00 बजे तक पहुंच जाये ।

6. समिति ने अपने विचार-विमर्श के दौरान निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) द्वारा दी गई सहायता की सराहना की ।

समिति ने अपने विचार विमर्श के दौरान निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की ।

7. समिति ने विधान परिषदों और निर्माण और आवास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दिये गये सहयोग तथा सहायता की भी प्रशंसा की ।

8. समिति ने सभी मामलों में लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा समिति को दी गई कर्मठ सहायता तथा मूल्यवान सहयोग के लिये उनकी सराहना की तथा उन्हें धन्यवाद किया ।

9. उपर्युक्त अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए सभापति ने समिति की कार्यवाही अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में चलाने में समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये पूर्ण सहयोग के लिये उनको धन्यवाद दिया ।

10. सभापति द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से अपने आप को सहयोजित करते हुए निर्माण और आवास मंत्री ने भी समिति और लोक सभा सचिवालय, विधान परिषद तथा अपने मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्य की सराहना की ।

11. समिति के सदस्यों ने भी समिति की कार्यवाही को पूर्ण योग्यता तथा निष्पक्षतापूर्वक चलाने और विधेयक के विभिन्न चरणों पर उनके विचार-विमर्श का मार्गदर्शन करने के लिये सभापति (डा० कर्ण सिंह) की प्रशंसा की तथा उनका धन्यवाद किया ।

12. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० नई दिल्ली–एल० एस III–1415 एल० एउ०–3–11–79–50

© 1979 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।